द्वितीय माला, खण्ड १६—अंक १६

४ सितम्बर, १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

179(A) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १९--अंक ११ से २०—२५ अगस्त से ५ सितम्बर, १९५८)

	पृष्ठ
अंक ११--सोमवार, २५ अगस्त, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४५, ४४८ और ४५२ से ४५९ .	१२३९--६२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१२६२--६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४३८, ४४६, ४४७, ४४९ से ४५१ और ४६० से ४६६	१२६५--८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ८६७ . .	१२८३--१३१८
स्थगन प्रस्ताव--	
दिल्ली में अतिसार रोग का फैलना . . .	१३१९--२२
दो सदस्यों को सजा	१३२२-२३
जानकारी के लिये प्रश्न	१३२३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१३२३
राज्य सभा से सन्देश	१३२४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
रिविलगंज में रेल का पटरी से उतर जाना . . .	१३२४
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वक्तव्य . .	१३२४--२६
समिति के लिये निर्वाचन . . .	१३२६
प्राक्कलन समिति	१३२६
विधेयक पुरःस्थापित	१३२६-२७
१. समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, और	१३२६-२७
२. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक . .	१३२७
श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक--	
पर विचार करने का प्रस्ताव	१३२७--५७
खण्ड २ से १४ तथा १ . . .	१३४३--५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१३५७--६०
दैनिक संक्षेपिका	१३६१--६७

पृष्ठ

अंक १२—मंगलवार, २६ अगस्त, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८, ५०० से ५०६, ५१४, ५१५, ५१७ और ५१८ . . . . . . १३६६—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १३६२—६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित श्न संख्या ४६७, ४६६, ५१० से ५१३, ५१६ और ५१६ से ५६० . . . . . . १३६५—१४१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६८ से ६०३, ६०५ से ६३० और ६३२ से ६५३ १४१७—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५२-५३

राज्य-सभा से संदेश १४५३

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . १४५३

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प—अस्वीकृत १४५३—८६

चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४५३—६३

खण्ड २ से १४ और खण्ड १ . . . . १४८६-६३

पारित करने का प्रस्ताव १४६३-६६

दैनिक संक्षेपिका १४६७-१५०३

अंक १३—बुधवार, २७ अगस्त, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६३, ५६४, ५६६ से ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८६, ५८८, ५८६, ५६४ और ५६६ से ५६८ . १५०५—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५७१, ५७२, ५७७, ५८२, ५८४, ५८५ ५८७, ५६० से ५६३, ५६५ और ५६६ से ६२८ . . १५३२—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५४ से १०१२ . . १५५०—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५७४-७५

राज्य सभा से संदेश १५७५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन . . १५७५

व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक— १५७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १५७६—८४

खण्ड २ से १३६ और १ . . . . . १५८०—८४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . , १५८४—८६

पृष्ठ

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५८६--९६

खण्ड १ से १२ १५९५

पारित करने का प्रस्ताव १५९६

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चौधरी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव १५९६--१६१२

दैनिक संक्षेपिका १६१३--१९

अंक १४--गुरुवार, २८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८, ६३९, ६९४ ६४१ से ६४५ और ६४७ १६२१--४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . १६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३३,६३७, ६४०, ६४६, ६४८ से ६७१, ६७३ और ६७५ से ६९३ १६४४--६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से ११२४ . १६६५--१७२१

स्थगन प्रस्ताव--

मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के ११३५ प्रवीण कर्मचारियों का अलग किया जाना १७२१

डा० गैटोन्डे के विरुद्ध अभियोग को वापस लेने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न के बारे में वक्तव्य १७२२--२४

देश में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तथा बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य . १७२४-२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७२५-२६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन १७२६

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७२६--३२

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १७३२--४२

खण्ड २ तथा १ . . . . . . १७४२

पारित करने का प्रस्ताव १७४२-४३

पृष्ठ

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . १७४३—५४

कार्यमंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . . १७५४

दैनिक संक्षेपिका . . . . १७५५—६३

अंक १५— शनिवार, ३० अगस्त, १९५८—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९५, ६९७, ४९८, ७०१ से ७०६, ७०८, ७१० से ७१४, ७१६ से ७१८ और ७२३ . १७६५—८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ६९६, ६९९, ७००, ७०७, ७०९, ७१५, ७१९ से ७२२ और ७२४ से ७४८ . १७९०—१८०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११८८, ११९० से ११९३ और ११९५ से १२०६ . १८०५—३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८३३-३४

सभा का कार्य १८३४-३५

सागर में विद्यार्थियों तथा सनिकोंमें हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में वक्तव्य . १८३५

समितियों के लिये निर्वाचन १८३५

१. प्राणिविज्ञान का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ।

२. भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर ।

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . . १८३६—३७

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . १८३७—५२

खण्ड २ और ३ . . . . . . १८५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पच्चीसवां प्रतिवेदन . . . १८५२

एकाधिकार रखने वाले साथी के कार्यों के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५३—५८

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५८—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . १८६८—७४

पृष्ठ

अंक १६—सोमवार, १ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— .

तारांकित प्रश्न संख्या ७५० से ७५२, ७५४, ७५६, ७५७, ७५९, ७६०, ७६२, ७६४, ७६५, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२, ७७६ से ७७९, ७८१ और ७८२ . . . १८७५—१९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९, ७५३, ७५५, ७५८, ७६१, ७६६, ७६९, ७७१, ७७३ से ७७५, ७८०, ७८३, ७८४ से ७८६ और ७८८ से ७९२ . १९०१—०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२६९ १९०९—३८

स्थगन प्रस्ताव . . . . . . १९३९—४२

(१) मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी में कर्मचारियों का काम से अलग किया जाना; और

(२) पांडेचेरी में संवैधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

समितियों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी विनियमों के संशोधन— . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १९४३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—पुरःस्थापित : . . . १९४३—४४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खण्ड ३ से ११, १४ से २०, २२ से ३०, १२, २१ और १ १९४४—५५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . १९५५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १९५६—७०

अखबारी कागज के लिये आयात अनुज्ञप्तियां तथा कागज के मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . . . . १९७०—७५

दैनिक संक्षेपिका . . . . १९७६—८१

अंक १७—मंगलावार, २ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७९४ से ८०१ और ८०३ से ८०७ . . १९८३—२००६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३, ८०२ और ८०८ से ८१५ और ८१७ से ८३९ . . . . २००६—२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० से १३८० और १३८२ से १३८६ . . . २०२०—७४

जानकारी के लिये प्रश्न २०७४

रेलवे के कार्य-संचालन सम्बन्धी चर्चा के बारे में सुझाव . . . २०७४

स्थगन प्रस्ताव . . . . २०७४—७७

१. कडुम बांध का टूट जाना ; और

२. बरोजगारी के कारण एक परिवार के सदस्यों द्वारा कथित आत्म-हत्या ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०७७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०७७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

आठवां प्रतिवेदन २०७८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर की शुद्धि २०७८

दिल्ली में हैजा और अतिसार के बारे में वक्तव्य २०७८-७९

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २०७९—२११३

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . २०९४—२११३

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २११३—१७

खण्ड १ और २ . . . . . २११७

पारित करने का प्रस्ताव २११७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २११७—१९

दैनिक संक्षेपिका . . . . २१२०—२६

अंक १८—बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ से ८४८, ८५०, ८५३, ८५६, ८५८ से ८६१, ८६४ और ८६५ . . . . . . २१२७—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४९, ८५१, ८५२, ८५४, ८५५, ८५७, ८६२, ८६३, ८६६ से ८९३ . . . . २१५२—६७

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८७ से १४५५ और १४५७ से १४६० . . . २१६८—९६

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति . . . २१९६—९९

राज्य सभा से संदेश . . . २१९९

सभा से अनुपस्थिति की अनुमति . . . २१९९

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१९९—२२०५

खण्ड २ से ४ और १ . . . २२०५

पारित करने का प्रस्ताव . . . २२०५

राज घाट समाधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २२०६—१६

रेलवे भाड़ा दर चार्ज समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . . २२१६—२७

दैनिक संक्षेपिका . . . २२२८—३४

अंक १९—गुरुवार, ४ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८ से ९०१, ९०३, ९०५, ९०७, ९०८ ९११, ९१४ से ९१८, ९२० से ९२२ और ९२६ . . . २२३५—६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६, ८९७, ९०२, ९०४, ९०६, ९०९, ९१२, ९१३, ९१९, ९२३ से ९२५, ९२७ से ९३९ और ९४१ से ९४६ . . . २२६०—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५१२, १५१४ से १५२६ और १५२८ . . . २२७२—९८

स्थगन प्रस्ताव— . . . २२९८—२३०३

केरल में स्थिति . . . २२९८—२३०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २३०३-०४

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . २३०४—०९

खण्ड २, ३ और १—पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २३०९

सरकारी भग्रहदि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक १९५८— . . . २३०९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . २३१०—२१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद . . . २३२१—४१

दैनिक संक्षेपिका . . . २३४२—४६

अंक २०—शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ से ९५७, ९५९ और ९६१ से ९६५ . . . २३४७—७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . २३७१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ९५८, ९६० और ९६६ से १००८ .	२३७३--९३
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२९ से १६०८ और १६१० से १६३१ .	२३९३--२४४२
दो सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में	२४४२-४३
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२४४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४४३-४४
१९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें . . .	२४४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मध्य रेलवे के दो पुलों का बह जाना	२४४४--४६
सभा का कार्य	२४४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के शुद्धि	२४४६-४७
सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२४४७--६३
महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा (निरसन) विधेयक--पुरस्थापित : .	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	२४६३
(धारा ५६ तथा १२३ का संशोधन)--पुरस्थापित : . .	२४६४
संविधान (संशोधन) विधेयक--	
(अनुच्छेद १३४, १३६ तथा १४५ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६४
वनस्पति में रंग मिलाना विधेयक--	
पुरस्थापित . .	२४६४
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६५
भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक--	
(धारा १०३ का संशोधन)-- पुरस्थापित	२४६५
संसदीय विशेषाधिकार विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६५
प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३, २२, ३० तथा ३६ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव. .	२४६६--७३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ५५-क, ८२ तथा ११६-क का संशोधन)--वापस लिया गया .	२४७३--८०
विचार करने का प्रस्ताव	२४७३--८०
छावनी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४८१-८२
दैनिक संक्षेपिका	२४८३--९०

नोट:--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ४ सितम्बर १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

†*८९५. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक विभिन्न देशों को दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रायें अर्जित की गयी हैं;

(ख) इस वर्ष दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार से अभ्यावेदन किया गया है कि इनका भाड़ा कम दरों पर वसूल किया जाय; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]**

†**श्री तंगामणि :** विवरण में यह कहा गया है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने रेलवे मंत्रालय से भाड़ा घटाने का अभ्यावेदन किया है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम १ अक्तूबर, १९५८ से भाड़े की दरों का पुनरीक्षण करने वाले हैं, क्या यह कमी १-१-१९५८ से ही कर दी जायगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं समझ नहीं पाया ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में कहा गया है कि अखिल भारतीय करघा बोर्ड ने रेलवे मंत्रालय से भाड़े की दरों में कमी करने का अभ्यावेदन किया है । रेलवे मंत्रालय १ अक्तूबर, १९५८ से भाड़े की दरों का पुनरीक्षण करने वाला है । इसलिये, क्या यह कमी भी उसी तारीख से कर दी जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** तत्काल ही कोई कमी होने की तो कोई संभावना नहीं है लेकिन मुख्य प्रस्ताव यह है कि उसे मौजूदा दरों से घटा कर कम कर दिया जाय । यदि कोई रियायत दी जायेगी तो वह निर्यात के संवर्द्धन के लिये होगी, उसमें भाड़ा जोड़ने के लिये नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ:** विवरण से यह पता चलता है कि अपनी दस्तकारी की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये हम विदेशों में प्रचार कार्य कर रहे हैं और, साथ ही साथ, अपनी दस्तकारी की वस्तुओं से परिचित कराने के लिये हम विदेशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों को यहां बुला रहे हैं । इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप इन देशों में हमारी दस्तकारी की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने में अब तक किस हद तक प्रगति हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अब तक परिणाम काफी आशाप्रद है । पूर्वी योरोप के देशों में हमारा दस्तकारी की वस्तुओं के लिये अधिक बाजार नहीं । अब चेकोस्लोवाकिया, रूस और अन्य पूर्वी योरोप के देशों में यह बढ़ रहा है । इसी प्रकार अमरीका में भी दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, और हमें आशा है कि दस्तकारी की वस्तुओं में गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद भी हमारा निर्यात ऊपर जा रहा है ।

सेठ अचल सिंह : फारेन कंट्रीस के जो टूरिस्ट यहां आते हैं और जो हैंडीक्राफ्ट्स का काफी सामान ले जाते हैं, उसको तरक्की देने के लिए क्या स्टैप लिये जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सी कोआप्रेटिव सोसाइटीस बढ़ा रहे हैं, अभी हम ने एक आल-इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स डिवेलेपमेंट कारपोरेशन बनाई है तथा स्टेट्स को सहायता दे रहे हैं जिस से कि वे क्रैफ्ट्समैन और आर्टिजेंस की मदद करें ताकि हैंडीक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े ।

भारत-पाक सीमा का सीमांकन

+

†*८९८. { **श्री दामानी :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री कुमारन :
श्री बांगशी ठाकुर :
श्री अमर सिंह डामर : }

क्या **प्रधान मंत्री** २१ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सीमा के सीमांकन में और कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसे शीघ्र अन्तिम रूप प्रदान करने में क्या मुख्य बाधायें हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) सीमा का सीमांकन करना बड़ा ही जटिल और मेहनत का काम है जिसमें राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों, नक्शों और भूमि सर्वेक्षणों से निर्धारित की जाने वाली प्रत्येक गज भूमि के

†मूल अंग्रेजी में

बारे में सहमति प्राप्त करनी होती है। साथ ही क्योंकि इस में दोनों देशों के सर्वेक्षण और राजस्व अधिकारियों को एक साथ मिल कर काम करना पड़ता है, इसलिये प्रगति पाकिस्तानी अधिकारियों के सहयोग पर, जो सदैव ही नहीं मिल पाता, निर्भर करती है।

†**श्री दामानी :** क्या प्रधान मंत्रियों की आगामी बैठक में सीमांकन सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में चर्चा की जायगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** दोनों प्रधान मंत्रियों की वार्ता विशेष रूप से सीमा सम्बन्धी विवादों का निबटारा करने के लिये हो रही है। इसलिये, सीमांकन का प्रश्न उन समस्याओं का ही एक अंग है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने रैडक्लिफ और बग्गे पंचाटों की, जिनके आधार पर आसाम और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा का सीमांकन किया जाना है, कुछ अस्पष्ट बातों के बारे में कुछ गंभीर आपत्ति उठायी है और यदि हां, तो यदि ये बातें वास्तव में अस्पष्ट हैं तो इन्हें स्पष्ट करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां। मेरा ख्याल है कि रैडक्लिफ पंचाट और शायद बग्गे पंचाट का अर्थ लगाने के बारे में कुछ मतभेद है। कहीं कहीं पर ये दोनों दस्तावेज एक दूसरे से नहीं मिलते। यहां तक कि एक मामले में कागज़ पर किसी चीज का वर्णन और विवरण एक है और नक्शे में लाइन खींची दूसरे स्थान पर गयी है। उससे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। और ये सब कठिनाइयां भी उसी से उत्पन्न हुई हैं।

इस कठिनाई पर विजय पाने के केवल दो तरीके हैं। एक तो यह है कि परस्पर लेन देन के आधार पर इस मामले में कुछ समझौता कर लिया जाय और दूसरा यह कि कोई दूसरा——कोई न्यायाधिकरण या कोई और जिसे हम दोनों नियुक्त करें——हमारी ओर से उसका निर्णय कर दे।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या यह सच है कि युद्ध विराम का आदेश हो जाने के बाद हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान की सेना ने त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से कुछ सीमा सीमांकन-चौकियों को हटा दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे बहुत धुंधला सा स्मरण है कि एक या दो मामलों में यह किया गया था।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** त्रिपुरा की कितने वर्ग मील भूमि पर अब तक पाकिस्तान ने बलात् कब्ज़ा कर लिया है और वह अब भी उनके ही कब्जे में है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। लेकिन, यदि माननीय सदस्य लक्ष्मीपुर क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं, तो लक्ष्मीपुर गांव भारत के कब्जे में था। जब सीमांकन समिति वहां गयी, उसने यह निश्चय किया कि उसे पाकिस्तान में जाना चाहिये। हम ने उनका निर्णय मान लिया, लेकिन पिछले समझौते के अनुसार सभी राज्य-क्षेत्रों का हस्तांतरण एक परस्पर तय की गयी, निर्धारित तिथि को होना चाहिये था। लेकिन उन्होंने हस्तांतरण के लिये तारीख तय होने की प्रतीक्षा नहीं की और एक रात को बलात् लक्ष्मीपुर पर कब्जा कर लिया।

†**श्री हेम बरुआ :** तुकेरग्राम का क्या हुआ जो भारत के कब्जे में था और जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सच है। वह भी अब पाकिस्तान के कब्जे में है।

श्री प० ला० बारूपाल : मैं जानना चाहता हूं कि आज तक कुल कितनी मीटिंग्स हुई हैं और इस पर कुल कितना खर्च आया है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस की मीटिंग्स के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं? तरह तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं, कभी वहां पुलिस वालों की मीटिंग्स होती हैं, कभी कांस्टेबल्स की, कभी उनके अफसरों की, कभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस की, कभी कमिशनर्स की, कभी सैक्रट्रीस की, कभी सैक्रट्रीस टू गवर्नमेंट की, कभी मिनिस्टर्स की, किस की मीटिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यदि हम इसी गति से बढ़े तो दोनों देशों के बीच की सीमाओं के सीमांकन को अन्तिम रूप प्रदान करने में कितना समय लग जायेगा?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं कह सकता। अर्थात् विवाद ग्रस्त क्षेत्र का सीमांकन आप विवाद तय हो जाने के बाद ही कर सकते हैं--लेकिन उसके अलावा भी बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जिसका सीमांकन तभी किया जा सकता है जब धीरे-धीरे चला जाय। मेरे पास वास्तव में हो चुके सीमांकन के पूरे आंकड़े मौजूद हैं, उन से माननीय सदस्य को कुछ अन्दाज़ हो जायेगा। उदाहरण के लिये, पश्चिम बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान सीमा में सीमा की लम्बाई १३५० मील है और १११२ मील लम्बी सीमा का सीमांकन हो चुका है। त्रिपुरा पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में सीमा की लम्बाई ५२२ मील है और ५५ मील लम्बी सीमा का सीमांकन हो चुका है। आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा में सीमा की लम्बाई ६२० मील है, और सीमांकित की जा चुकी सीमा की लम्बाई २१७ मील है। पंजाब-पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा में सीमा की लम्बाई ३१८ मील है और १६० मील लम्बी सीमा का सीमांकन हो चुका है।

बिहार में प्रचण्ड-विस्फोटकों का कारखाना

†*८९९. **श्री बोस :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गुमिया में प्रचण्ड-विस्फोटक-पदार्थों के कारखाने की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह कारखाना कब तक उत्पादन आरम्भ कर देगा; और

(ग) विस्फोटकों के उत्पादन के लिये इस कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) ३० जून, १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि में हुई प्रगति इस प्रकार है :--

(१) ९२ प्रतिशत मशीनों का आर्डर दिया जा चुका है और ये मशीनें आ चुकी हैं। शेष ८ प्रतिशत का आर्डर भी दे दिया गया है लेकिन ये अभी आई नहीं हैं।

(२) ९५ प्रतिशत से भी अधिक आवास बन चुके हैं और ९० प्रतिशत फैक्ट्री पूरी हो चुकी हैं।

(३) स्थायी जल-संभरण व्यवस्था काम कर रही है।

(४) बिजली के संभरण की व्यवस्था प्रायः तैयार ही है और अब केवल स्थायी कनेक्शन होने की देर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८ के अन्त तक ।

(ग) दो पालियों के आधार पर ५००० टन उत्स्फोटन विस्फोटक पदार्थों[1] का प्रति वर्ष निर्माण ।

†**श्री बोस** : इस समय देश की कुल आवश्यकता कितनी है और इस फैक्ट्री के उत्पादन से उसमें से कितने प्रतिशत पूरी हो जायगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक उत्स्फोटन विस्फोटक पदार्थों का सम्बन्ध है, उन की जरूरत बिल्कुल पूरी हो जायगी । लेकिन जहां तक अधिस्फोटक[2] और सेफ्टी फ्यूजों का सम्बन्ध है, इससे हमारी आवश्यकतायें केवल आंशिक रूप से ही पूरी हो सकेंगी ।

†**श्री बोस** : हमें अब भी कितने मूल्य के विस्फोटक पदार्थों का आयात करना पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उत्पादन शुरू होने तक प्रति वर्ष लगभग २।। करोड़ रुपयों का ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि किर्की में भी प्रचण्ड-विस्फोटकों का एक कारखाना है और इसी प्रयोजन के लिये उसके विस्तार की परिकल्पना की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह बिल्कुल दूसरी ही तरह का है । किर्की के कारखाने के विस्तार का कार्य प्रतिरक्षा मंत्रालय कार्यक्रम के अनुसार ही आरम्भ कर रहा है । लेकिन ये विस्फोटक कुछ अधिक असैनिक कार्यों—कुएं खोदने, कुओं का अधिस्फोट करने और विभिन्न प्रकार के खनन सम्बन्धी कार्यों के लिये हैं । यह अधिकतर असैनिक कार्यों के लिये है; हो सकता है कि आंशिक रूप से उसका सैनिक उपयोग भी हो । इसीलिये इस कारखाने की जरूरत पड़ी थी ।

लोकमान्य तिलक का स्मारक

\+

†*९००. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री वाजपेयी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** २१ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में मांडले की जेल में लोकमान्य तिलक के स्मारक के रूप में एक कक्षा-व-भाषण हाल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उस पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) बताया जाता है कि बरामदे के दोनों ओर स्लैब डाले जा चुके हैं, रोशनदानों की चौखटें लगा दी गयी हैं और छत तक का काम पूरा हो गया है । अनुमान है कि निर्माण कार्य का ५० प्रतिशत अंश पूरा हो गया है । बहुत से ऐसे कारणों की वजह से जिन पर भारत सरकार का कुछ भी जोर नहीं था, इस कार्य को जून, १९५८ के अन्त तक पूरा करने के पिछले लक्ष्य का पालन करना संभव नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Blasting Explocives.
[2]Detonators.

(ख) अब तक पूरे किये जा चुके कार्य के लिये ठेकेदार को दो किश्तों में १५००० रुपये दिये जा चुके हैं।

†**श्री दी०चं० शर्मा** : मांडले की जेल में इस कक्षा-व-लेक्चर हाल को इस ढंग से चलाने के लिये जिससे वह सार्वजनिक रूप ग्रहण कर ले, क्या व्यवस्था की जायगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि इसे कौन चलायेगा, लेक्चर आदि की कौन व्यवस्था करेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : स्पष्ट है कि जेल के भीतर के इस प्रकार के स्मारकों में बर्मा सरकार का जेल-प्रशासन ही इसकी व्यवस्था करेगा और कौन कर सकता है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कक्षा-व-लेक्चर हाल है। स्पष्ट है कि वहां कक्षायें और लेक्चर हुआ करेंगे। यह कक्षायें और लेक्चर चलाने के लिये क्या व्यवस्था की जायगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं फिर कहूंगा कि इस का निर्णय जेल के सुपरिंटेंडेंट करेंगे।

श्री भक्त दर्शन : इस स्मारक के निर्माण में काफी देरी हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बर्मा गवर्नमेंट ने कोई सूचना दी है कि देर से देर कब तक इस का निर्माण पूरा हो जायेगा ?

श्री सादत अली खां : सितम्बर की २० तारीख तक उम्मीद है कि यह काम पूरा हो जायेगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य यह देखेंगे कि दूसरे मुल्क में यह काम हो रहा है। हमारा हुक्म तो वहां नहीं चलता, न उचित है कि हम बहुत दबाव से वहां अपनी राय दें। हम उन से प्रार्थना करते हैं, उन से बहस होती है, उन की हजार दिक्कतें हैं। इस तरह से काम होता है।

मैसर्स हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, सल्किया

†*९०१. **श्री हाल्दर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, सल्किया, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल परियोजनाओं के बारे में प्रतिरक्षा, इस्पात कारखानों, रेलवे (अधिकतर पूर्वोत्तर रेलवे) और नौवहन संबंधी अर्डरों से पूरी तरह बुक हो चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन आर्डरों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). यह कम्पनी प्रतिरक्षा, रेलवे और परिवहन तथा अन्य मंत्रालयों के आर्डरों को पूरा करने के लिये अपनी शक्ति भर पूरे जोर से कार्य कर रही है। कच्चे माल आदि की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उसे आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

†**श्री हाल्दर** : इस अवधि में इस कम्पनी ने कितनी राशि के आर्डरों का सम्भरण किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** लगभग ६० लाख रुपये के बाकी हैं ।

†**श्रीमती रेनुचक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि इस कम्पनी के पास पूरे आर्डर होने पर भी वहां पूरी संख्या में मजदूरों को काम पर नहीं रखा गया हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं, ऐसी बात नहीं है । जब वह पूरी तरह व्यस्त है तो यह कैसे हो सकता है कि उस में पूरे आदमी काम न करते हों ।

नाहन फाउन्ड्री (प्राइवेट) लिमिटेड

+
†९०३. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाहन फाउन्ड्री (प्राइवेट) लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश) की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी एक समिति ने कुछ समय पहले जो सिफारिश की थीं उन्हें क्रियान्वित करने के सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उन कार्यवाहियों के फलस्वरूप उस फाउन्ड्री के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) जैसा कि सभा को मालूम है, इस समिति के सदस्यों में मतभेद था इसलिये समिति की रिपोर्ट से कोई अधिक फायदा नहीं हुआ । फिर भी, नाहन फाउन्ड्री मजदूर पंचायत द्वारा कारखाने के काम काज के बारे में उठाये गये अनेक मामलों को निबटाने और मजदूरों से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न प्रश्नों के सिलसिले में सरकार ने कई कदम उठाये हैं ।

यह कदम उठाने की वजह से फाउंड्री ने बहुत उन्नति की है, मजदूरों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध काफी सुधर गये हैं और कारखाने का उत्पादन १९५५–५६ के १९५१ टन से बढ़ कर १९५७–५८ में २४५३ टन हो गया हैं ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे याद है कुछ वर्षों पहले भारत सरकार को सुझाव दिया गया था कि इस फैक्ट्री को नाहन से उठा कर अम्बाला ले जाया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि यह नाहन में ही रहेगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो पुराना इतिहास है । अब उसे वहां से कोई नहीं हटायेगा ।

†**श्री बोस :** इस फाउंड्री में कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं और कौन से ईंधन और कच्चे माल का उपयोग किया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : विभिन्न प्रकार के ईख पेरने के कोल्हू और विभिन्न प्रकार की ढ़ाली गयी वस्तुयें विशेष रूप से डाक तथा तार विभाग के लिये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि यह फैक्ट्री बहुत वर्षों पहले राजाओं के जमाने में स्थापित की गई थी, इसलिये इस की मशीनरी बहुत पुरानी हो गई है, **आउट**

†मूल अंग्रेजी में

आफ डेट हो गई है? क्या इस को बदलने के बारे में कुछ प्रयत्न किया जा रहा है ताकि इस का प्रोडक्शन ऊंचा हो सके ।

श्री मनुभाई शाह : जी हां, इस पर हम हमेशा विचार करते रहते हैं और जैसा मैं ने बताया इस की तरक्की अच्छी हो रही है । पहले लाँस हुआ करता था लेकिन अब प्राफिट होता है ।

भारत का राज्य-व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*९०५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम से व्यवसायियों के सहयोग के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की शर्तें और प्रक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) राज्य व्यापार निगम बड़े बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से, उन वस्तुओं के व्यापार के संबंध में जिन का वे व्यवसाय करते हैं, मिल कर काम करता है ।

(ख) इस की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है क्योंकि फिलहाल यह कार्य प्रयोगात्मक रूप से किया जा रहा है । इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो जाने के बाद इस की शर्तों और निबन्धनों का ब्यौरा तैयार किया जायेगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या राज्य व्यापार निगम के साथ मिल कर काम करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठान कुछ पारिश्रमिक भी पाते हैं या योंही स्नेहवश कार्य करते हैं ?

†**श्री कानूनगो :** व्यवस्था यह है कि प्रत्येक सौदा गुणावगुण के आधार पर किया जाता है । उस का कोई पारिश्रमिक नहीं होता । इस में कुछ कमीशन या बट्टा काटा जाता है । यही शर्तें हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या निगम के डइारेक्टरों के रूप में व्यवसायियों का राज्य व्यापार निगम में सहयोग लिया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो :** यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†**श्री रंगा :** क्या उन लोगों की सहकारी समितियों का इस में सहयोग लिया जायेगा जो स्वयं खान मालिक या उत्पादक हैं, और उन वस्तुओं का संभरण करने के लिये तैयार हैं जो राज्य व्यापार निगम खरीद रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** यह सरकार की धोषित नीति है कि राज्य व्यापार निगम सदैव सहकारी समितियों को प्राथमिकता देता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि मैंगनीज अयस्क के संबंध में हम निचली ग्रेड की मैंगनीज का ठेका नहीं कर पाये हैं जब कि गैर-सरकारी व्यवसायियों ने इस का ठेका कर लिया है और राज्य व्यापार निगम को उस के बारे में लिखा है लेकिन कई महीने हो चुके जवाब अभी तक नहीं मिला है ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे विशेष रूप से इस बात का पता नहीं है लेकिन यह सच है कि विश्व में निचली ग्रेड के मैंगनीज अयस्क का बाजार पिछले १८ महीनों से मन्दा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री पाणिग्रही :** राज्य व्यापार निगम किन किन लोगों से मिल कर काम कर रहा है और इन लोगों से राज्य व्यापार निगम ने कितना कमीशन कमाया है ?

†**श्री कानूनगो :** यह बताना कठिन है क्योंकि शर्तें भिन्न-भिन्न हैं। फिर भी यदि किसी विशेष वस्तु के बारे में पृथक प्रश्न पूछा जाय तो हम उस का उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं।

†**श्री बासप्पा :** क्या राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये राज्य खनन बोर्डों का सहयोग राज्य व्यापार निगम के लिये प्राप्त किया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो :** यह तो स्पष्ट है, क्योंकि राज्य व्यापार निगम को खान मालिकों से तो खरीदना है ही ?

†**श्री रंगा:** क्या यह सच नहीं है कि उन्हों ने खान मालिकों को किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी है ? बल्कि, अधिकांश परमिटें उन लोगों को दी जा रही हैं जो व्यवसायी हैं और जिन का खनन से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

†**श्री कानूनगो :** यह बात सच नहीं है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** राज्य व्यापार निगम के साथ सहयोग करने वाले व्यवसायियों को अब तक कुल कितना कमीशन दिया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** ठेकों के लिये कमीशन की दर ठेके की किस्म के आधार पर १ प्रतिशत से ६ प्रतिशत तक होती है।

†**श्री रंगा :** क्या मैं ....

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं एक सुझाव दूं ? माननीय श्री रंगा कहते हैं कि खान मालिकों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और व्यवसायियों को, जिन का इस से कोई संबंध नहीं है, प्रोत्साहन दिया जाता है। मंत्री महोदय का कहना है कि यह बात सच नहीं है। इसे मैं कैसे तय कर सकता हूं इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि मंत्री महोदय को कुछ ऐसी जानकारी मिले जिस को मंत्री महोदय पुष्टि न करते हों, बल्कि जिसे मंत्री महोदय गलत बताते हों, तो वह सभा की बैठक समाप्त होने के बाद मंत्री महोदय को उस के बारे में समझाने का प्रयास करें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच नहीं है कि राज्य व्यापार निगम ऐसे नये आने वाले लोगों को ऐसे बड़े-बड़े कोटे दे रहा है जो उस समय के उनके व्यवसाय के आकार को देखते हुये उचित प्रतीत नहीं होते जब राज्य व्यापार निगम की स्थापना हुई थी ?

†**श्री कानूनगो :** मैं यह निवेदन कर दूं कि राज्य व्यापार निगम कोटे नहीं देता, सरकार देती है।

दर्शन-यंत्रों के शीशे

†*९०७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते का ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सही विशिष्ट विवरण का दर्शन यंत्रों का शीशा तैयार करने में सफल हो गया है और प्रतिरक्षा मंत्रालय ने उसे आयात किये गये शीशे के समान मान लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्राओं की बचत के ख्याल से प्रतिरक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये उसके उत्पादन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां।

(ख) क्योंकि नमूनों की जांच अभी बहुत हाल ही में हुई है इसलिये ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की सफलता के आधार पर इसका वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन करने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** कुल आवश्यकता कितनी होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** लगभग १० टन प्रति वर्ष।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** गवेषणा कार्य किस स्थिति में है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक गवेषणा कार्य का सम्बन्ध है, हमें इस बात से संतोष है कि यह संस्था बड़ा सराहनीय कार्य कर रही है। हमने सोवियत प्रविधिक विशेषज्ञों से भी, जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, कह दिया है कि यदि हमारी गवेषणा सफल रही तो वे हमें उनकी प्रणाली के स्थान पर अपनी प्रणाली अपनाने की छूट दे देंगे।

†**श्री बासप्पा :** क्या लगभग एक दर्जन संसद् सदस्य लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में गये थे और उन्होंने कहा है कि वहां बड़े संतोषप्रद ढंग से काम हो रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सच है। उन्हों ने इंस्टीट्यूट की बड़ी प्रशंसा की है।

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या यह इंस्टीट्यूट किसी दूसरी किस्म का कांच बना रहा है ? क्या उसने कोई गवेषणा की है ? इन कांचों के लिये कारखाने की स्थापना में कितनी लागत पड़ेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह प्रश्न दर्शनयंत्रों के शीशे के बारे में है। यदि माननीय सदस्य को दर्शन-यंत्रों के शीशे के बारे में दिलचस्पी हो तो मैं उन्हें बता दूं कि इस कारखाने की लागत लगभग २½ करोड़ रुपये होगी और यह दर्शन यंत्रों के १० टन शीशों का और चश्मों के २०० टन कांच का उत्पादन करेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी :** प्रतिरक्षा विभाग की वार्षिक आवश्यकता क्या है ? क्या हमारे उत्पादन से यह आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वह पूर्णरूपेण पूरी हो जायेंगी

बाटों तथा मापों की दशमिक प्रणाली

†*९०८. **श्री सूपकार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अक्तूबर, १९५८ से कुछ निश्चित क्षेत्रों में बांटों तथा मापों की दशमिक प्रणाली लागू करने पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** दशमिक प्रणाली अपनाने में जो व्यय होगा वह कई वर्षों में किया जायगा और यह बताना संभव नहीं है कि १–१०–१९५८ को

†मूल अंग्रेज़ी में

आरम्भ होने वाले इस के प्रथम चरण पर कुल कितना व्यय होगा । पूरी अवधि में इस पर होने वाले व्यय के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। यह प्राक्कलन कुछ राज्यों से प्राप्त अपूर्ण आंकड़ों पर आधारित होंगे और इसलिये सम्भव है कि इन का पुनरीक्षण करना पड़े । केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किया गया व्यय भी लगभग इतना ही होगा लेकिन निश्चित प्राक्कलन अभी तैयार नहीं है ।

†**श्री सूपकार :** बाटों तथा मापों के संभरण और वितरण के बारे में सरकार की क्या नीति है ? क्या उन्हों ने थोक संभरण और वितरण की जिम्मेदारी ले ली है या वह केवल मान निर्धारित कर यह अपेक्षा करेंगे कि व्यापारी और निर्मातागण आवश्यक संख्या में बाट और माप तैयार कर लेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** विभिन्न राज्य सरकारें इस सब का प्रबन्ध करेंगी जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, वह केवल मान निर्धारित और लागू करती है । उस ने घोषणा कर दी है कि संसद् ने अधिनियम में जो मान निर्धारित कर दिये हैं भविष्य में वही मान लागू किये जायेंगे । लेकिन अपने-अपने क्षेत्रों में बाटों तथा मापों का वितरण वास्तव में राज्य-सरकारें ही करेंगी ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** जब तक माननीय सदस्य एक-एक कर खड़े न होंगे तब तक क्रमवार उन का नाम पुकारना मेरे लिये कठिन होगा ।

†**श्री सूपकार :** दवाओं, पैट्रोल और पैट्रोलियम पदार्थों के बारे में क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करन के लिये कार्यवाही की है कि जिन क्षेत्रों में १ अक्तूबर, १९५८ से बाटों तथा मापों की दशमिक प्रणाली लागू होने वाली है उस में इन के सम्बन्ध में दशमिक प्रणाली ही अपनाई जाय ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सभा पटल पर एक विवरण रखा जा चुका है। जिस में यह दिखाया गया कि यह पहली बार में किन-किन क्षेत्रों में लागू की जा रही है और उन का सम्बन्ध सरकार के किन-किन विभागों से होगा और यह किस हद तक लागू की जायगी ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी खाद्य-स्थिति अभी इतनी नाजुक है, क्या दशमिक प्रणाली को अपनाने का काम स्थगित कर उस पर व्यय होने वाले धन को अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं पर व्यय करना अधिक वांछनीय नहीं होगा—क्योंकि हमें बताया गया है कि इस पर लगभग ५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं ने ५ करोड़ रुपयों का जो तखमीना बताया है वह फौरन ही खर्च होने वाले नहीं हैं । यह व्यय ८ या ९ वर्षों में किया जायेगा अर्थात् १९६६ तक, जब यह परिवर्तन पूरा होगा, जा कर इतना व्यय होगा । यह धन क्रमशः व्यय होगा । इस पूरी पूरी समस्या पर बहुत अच्छी तरह विचार किया गया है और यह अनुभव किया जाता है कि इसे फौरन ही लागू करना बेहतर होगा—बल्कि स्थिति तो यह है कि यदि वाकई इसे लागू करना है तो हमें शुरूआत फौरन ही करनी होगी ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री ने यह बतलाया कि यह अंदाज़ा लगाया गया है कि ५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार और ५ करोड़ रुपये राज्य सरकारें खर्च करेंगी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट ने इस बात का कोई अंदाज़ लगाया है कि इस नई दशमिक प्रणाली के चलने से भारत की आम जनता को कितनी कठिनाई होगी, खास कर जो विदेशी नाम रक्खे गये हैं क्या उस सम्बन्ध में कोई पुनर्विचार करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री सतीश चन्द्र : खयाल तो यह है कि जब यह दशमिक प्रणाली चालू हो जायेगी तो जो कठिनाइयां अब होती हैं वे नहीं होंगी और बहुत आसानी हो जायेगी। और हमारे देहातों में बच्चों की पढ़ाई में जो बहुत सा समय इस वक्त लगता है वह बचेगा और उस से बहुत से फ़ायदे होंगे। जहां तक नामों का ताल्लुक है, वहां मीटर या ग्राम यह नाम तो रहेंगे लेकिन अब १० ग्राम या १०० ग्राम, यह लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ख़र्चा किस बात में किया जायगा जबकि आजकल मौजूदा वेट्स एंड मेज़र्स ठेकेदारों से व्यापारी और दुकानदार लोग ख़रीद लेते हैं।

श्री सतीश चन्द्र : गवर्नमेंट ख़र्चा नहीं करेगी। जो व्यापारी वेट्स लेंगे वे उन की क़ीमत अदा करेंगे और यह वेट्स एंड मेज़र्स जहां इस वक्त बनते और बिकते हैं वहीं पर बनते और बिकते रहेंगे। नये वेट्स एंड मेज़र्स बनाने के लिये उन को दुबारा गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जब देश ने बाटों तथा मापों की दशामिक प्रणाली को अपनाना मंजूर कर लिया है तब इस्पात कारखानों को ऐसे विशिष्ट विवरण तैयार करने की अनुमति क्यों दी गई जो बाटों तथा मापों की अंग्रेज़ी प्रणाली पर आधारित हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह प्रश्न लोहा और इस्पात मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : ५ करोड़ रुपयों के जिस खर्च का उल्लेख किया गया है क्या उस में दुर्गापुर का क्षेत्र भी शामिल है--जिस में वर्तमान पद्धति चल रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें नहीं मालूम।

†**श्री सतीश चन्द्र**: मेरा खयाल है कि सभी नये कारखाने दशामिक प्रणाली के आधार पर तैयार किये जा रहे हैं। मैं दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के विषय में तो निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता लेकिन मुझे आशा है कि वहां भी यही बात होगी।

†**श्री सूपकार** : भारत सरकार ने इस योजना पर अब तक कितना व्यय किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अभी तक अधिक व्यय नहीं हुआ है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। सरकार ने कुछ मान बाट बनवाने में कुछ धन व्यय किया है। कुछ सरकारी टकसालों में बन रहे हैं--मैं अभी इन की निश्चित संख्या नहीं बता सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : प्रश्न संख्या ९१०।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे १० सितम्बर, १९५८ की प्रश्न सूची के लिये स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केबल फैक्टरी, त्रिचूर

†*९११. { श्री वारियर:
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-जापान प्रविधिक करार के अधीन त्रिचूर के निकट एक केबल फैक्टरी स्थापित की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार से लाइसेंस तथा मंजूरी प्राप्त करने में कठिनाई के कारण फैक्टरी के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ; इस के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१, के अधीन हाल ही में एक लाइसेंस जारी किया गया है ।

†**श्री वारियर** : क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से इस लाइसेंस में होने वाले विलम्ब के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में कोई देर तो नहीं लगी है । वास्तविक बात यह थी कि जापानी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तें हमें स्वीकार नहीं थीं । हम ने उन्हें लिखा था कि वे अपनी शर्तों में संशोधन करें । संशोधित शर्तों के प्राप्त होते ही हम ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उस के लिये लाइसेंस भी जारी कर दिया ।

†**श्री पुन्नूस** : इस समय उस की क्या स्थिति है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने तो इस के लिये मंजूरी दे दी है, इस के लिये लाइसेंस भी दे दिया है । अब तो आगे काम चलाना उस कम्पनी का काम है । उन्हों ने अभी तक मशीनरी के आयात के लिये प्रार्थना नहीं की है ।

†**श्री पुन्नूस** : उस पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ४० लाख रुपये ।

†**श्री पुन्नूस** : उस में लगभग कितने मजदूरों को काम मिल सकेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ५०० से ६०० तक मजदूरों को ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : उस कारखाने पर आने वाली कुल लागत में से कितना भाग शेयर पूंजी के रूप में दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कुल ४० लाख रुपयों में ४५ प्रतिशत जापानी अंश और ५५ प्रतिशत भारतीय अंश होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काम दिलाऊ दफ्तरों को रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में सूचना दिया जाना

+

†*९१४. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** **श्री मोहन स्वरूप :** }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है जिस में सरकार को यह शक्ति दी जायेगी कि वह सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में सभी नियोजकों से कह सकें कि वे अपने रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में काम दिलाऊ दफ्तरों को सूचना दिया करें ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) :** मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इसके फसला करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री आबिद अली :** कुछ महीने और लगेंगे ।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या सरकार इनमें से कुछ एक काम दिलाऊ दफ्तरों को जिलाहेडक्वार्टरों में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, क्योंकि इस समय य सभी दफ्तर बड़े-बड़े शहरों में हैं और ग्रामों में रहने वाले लोग इनका उपयोग नहीं कर सकते ?

†**श्री आबिद अली :** हमारी मंशा तो यही है कि आखिरकार प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर में कम से कम एक दफ्तर तो अवश्य हो ।

†**श्री तंगामणि :** जब तक यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक के लिय क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर सरकारी सभी नियोजकों को कोई निदेश जारी किया है कि वे सभी रिक्त स्थानों के बारे में काम दिलाऊ दफ्तरों को सूचित कर दिया करें ?

†**श्री आबिद अली :** इस सम्बन्ध में एक बार प्रयत्न किया गया था ।

†**श्री बोस:** क्या यह सच है कि कुछ एक सरकारी उपक्रमों और कुछ एक फैक्टरियों के नियोजकों ने काम दिलाऊ दफ्तरों को सूचित करने की इस अनिवार्य शर्त का विरोध किया है, क्योंकि वे अपने दफ्तरों में अपने ही सम्बन्धियों को नौकरी देना चाहते हैं ?.

†**श्री आबिद अली :** अब उन विभागों ने भी इस प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया है ?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** ऐसे कितने ज़िले है जिनमें अभी तक काम दिलाऊ दफ्तर नहीं हैं ?

†**श्री आबिद अली :** लगभग पचास प्रतिशत ज़िलों में ।

भारतीय राज्य-क्षेत्र का चीन के अधीन दिखाया जाना

†*९१५. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "चाइना विक्टोरियल" में जो कि चीनी लोक गणराज्य का एक सरकारी पत्र है, जुलाई के अंक में उत्तरी आसाम और पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण का बहुत सा भूखण्ड चीन की सीमा के अन्दर दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) नकशा छोटे पैमाने का है, परन्तु उसमें आसाम के कुछ एक भाग जिनमें पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण भी सम्मिलित है, चीन की सीमा के अन्दर दिखाये गये हैं ।

(ख) चीन सरकार का ध्यान इस नकशे की ग़लती की ओर आकृष्ट किया गया है और उससे यह प्रार्थना की गयी है कि नक्शे को संशोधित कर दिया जाये ।

†**श्री हेम बरुआ** : एक और अवसर पर भी "पीपल्स चाइना" के १९५४ के अक्तूबर अंक में इसी प्रकार का एक नकशा छपा था । उसमें भी बहुत सा भारतीय राज्य-क्षेत्र चीनी सीमा में दिखाया गया था । उस समय उस सम्बन्ध में चीनी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था । क्या चीनी सरकार ने उस समय कोई आश्वासन दिया था कि इस प्रकार की बात फिर नहीं होगी ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उसका उत्तर देना मेरे लिये कठिन है क्योंकि चीन के नकशे हम तो छापते नहीं ।

†**श्री हेम बरूआ** : परन्तु हम उनका ध्यान तो आकृष्ट कर सकते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरूः** जी, हां । जब इस ओर उनका ध्यान प्रथम बार आकृष्ट किया गया था, उस समय उन्होंने यह उत्तर दिया था कि यह तो पुराने नक्शों का ही पुनर्मुद्रण है । पुराने नकशे च्यांग काई शेक के जमाने में तैयार किये गये थे । उन नकशों को अभी तक संशोधित नहीं किया गया है । चीनी लोक गणराज्य सरकार ने अन्य बहुत सी वस्तुओं का तो संशोधन कर दिया है परन्तु अभी तक नकशों का संशोधन नहीं किया गया है ।

†**श्री गोरे** : तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने च्यांग-काई शेक तो बाहिर खदेड़ दिया है—परन्तु उसके नकशों को अभी तक अपनाया हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरूः** हमें निजी तौर पर यह आश्वासन दिलाया है कि उन नकशों का कोई विशेष महत्व नहीं और वे इन्हें शीघ्र ही संशोधित कर देंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय प्रधान मन्त्री जी ने लगभग ६ वर्ष पूर्व अपने एक भाषण में कहा था कि जब चीन और भारत की सीमाओं का प्रश्न उत्पन्न हुआ था, उसके बारे में चीन के लोक गण-राज्य की सरकार को लिखा गया था । उस समय चीनी सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह मामला मैत्रीपूर्ण ढंग से हल कर लिया जायेगा । मेरा ख्याल है कि वह मामला अभी तक सुलझाया नहीं गया है । इस स्थिति में क्या चीनी सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, अर्थात् १९०३ में शिमला सम्मेलन में निश्चित की गयी मेक मोहन लाइन, की ओर आकृष्ट किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का सम्बन्ध है, उस बारे में कोई विवाद ही नहीं, वह तो पहले ही निश्चित है ।

जब पहली बार सभा में इस बात का उल्लेख किया गया था, उस समय भी मैंने बता दिया था कि उसके सम्बन्ध में तो चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । क्योंकि वह तो हमारी सुनिश्चित सीमा है । परन्तु इस सुनिश्चित सीमा के अतिरिक्त तीन चार अन्य छोटे-छोटे स्थानों पर सीमा के सम्बन्ध में कुछ विवाद हैं । वे बहुत छोटे छोटे स्थान हैं । वहां पर पहाड़ हैं । पहाड़ों में दो मील इधर या उधर का कोई फर्क नहीं पड़ता । उनके सम्बन्ध में बातचीत हुई थी और यह निर्णय किया गया था कि

---

†मूल अंग्रेजी में

इनका फैसला शान्तिपूर्ण वार्ता से किया जाये । इस सम्बन्ध में हमने बातचीत की है और वह बातचीत आगे भी चलती रहेगी । उनमें से दो तीन स्थान उत्तर प्रदेश की सीमा पर या एक दो तिब्बत और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर हैं । वे स्थान कोई विशेष महत्व के नहीं हैं । हमने यह विचार किया है कि उन मामलों पर प्राकृतिक सीमाओं आदि के आधार पर ही फैसला किया जाये ।

इन छोटे-छोटे मामलों के सम्बन्ध में हम कुछ समय से बातचीत कर रहे हैं । जहां तक बड़े मामलों का सम्बन्ध है, उनके बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । परन्तु जब इस प्रकार के नकशे छपते हैं तो उस सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है । प्रस्तुत मामले के बारे में भी हमने उन्हें लिख दिया है ।

†**श्री हेम बरूआ :** इस "चाइना विक्टोरियल" के जुलाई, १९५८ के अंक में प्रकाशित नकशे में पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण और आसाम के कितने मील के क्षेत्र को चीन के अधीन दिखाया गया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह नकशा बहुत छोटे पैमाने का है । उसकी एक छोटी सी लाइन में ही कम से कम २० मील का क्षेत्र आ जायेगा । परन्तु फिर से मोटे तौर पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसमें पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण भूटान और लद्दाख के बहुत से भाग चीनी सीमा के अन्दर दिखाये गये हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या वह कुल क्षेत्र १७०० मील नहीं बन जाता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु :** मैं कह नहीं सकता ।

तम्बाकू और सिगरेटों का आयात

†९१६. **श्री पद्म देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ में अब तक कितने मूल्य के तम्बाकू और सिगरेटों का आयात किया गया ; और

(ख) यह आयात कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) १९५८-५९ (अप्रैल-जून ५८) में तम्बाकू की निम्न वस्तुओं के आयात के मूल्य का विवरण :—

	मूल्य हजार रु० में १९५८-५९ (अप्रैल-जून)
१. तम्बाकू अनिर्मित	
(१) तम्बाकू से बनी चीजें	६६४१
(क) सिगरेट और चुरुट	—
(ख) सिगरेटें	९०
(ग) मानव-उपभोग धूम्रपान तथा खाने के लिये तम्बाकू की बनी वस्तुएं	—

(ख) चालू लाइसेंस अवधि में पुराने आयातकों द्वारा सिगार, सिगरेट और अनिर्मित तम्बाकू के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । लेकिन पाइप में रख कर पी जाने वाली तम्बाकू के ५ प्रतिशत आयात की अनुमति पुराने आयातकों को दी गयी है ।

†मूल अंग्रेजी में

सं० रा० अमेरिका से पी० एल० ४८० के अन्तर्गत भारत रुपया मुद्रा से अनिर्मित तम्बाकू भी खरीदता है। इस सिलसिले में माननीय सदस्य का ध्यान उस विवरण की ओर आकृष्ट कराया जाता है, जो २२ अगस्त, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ के उत्तर में सभा की मेज पर रखा गया था।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या बाहर से सभी प्रकार के सिगरेटों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री कानूनगो** : एक विशेष प्रकार के सिगरेट की थोड़ी सी मात्रा के अतिरिक्त अन्य सभी सिगरेटों के आयात पर पहले ही प्रतिबन्ध है।

†**श्री नंजप्प** : लंका से कितनी कीमत का तम्बाकू मंगाया जाता है और उसके आयात को कम करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कानूनगो** : हमें प्रायः लंका से अनिर्मित तम्बाकू आयात करना पड़ता है। मेरा अनुमान है कि १९५७ में लंका से १ करोड़ २८ लाख रुपयों का तम्बाकू मंगाया गया था। हमें वहां से खरीदना पड़ता है क्योंकि कई किस्म का अनिर्मित तम्बाकू यहां पर उपलब्ध नहीं है। हम अन्य ऐसे स्थान खोज रहे हैं जहां से तम्बाकू सस्ते भाव पर मिल सके।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह मुनासिब नहीं समझते कि सिगरेटों की इम्पोर्ट को बन्द कर दिया जाये ?

श्री कानूनगो : उसको बन्द कर दिया गया है।

†**श्री तंगामणि** : ६६ लाख रुपयों का जो अनिर्मित तम्बाकू आयात किया जाता है, क्या उसमें "रैपर" तम्बाकू भी सम्मिलित है जो कि सिगारों के काम आता है ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे इस बारे में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। अनिर्मित तम्बाकू को यहां पर कच्चे सामान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सिगार रैपर्स के बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है।

†**श्री बि० दास गुप्त** : देश में प्रतिवर्ष कितना तम्बाकू पैदा होता है और उसकी प्रतिवर्ष कितनी मांग है। क्या इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुये उसके आयात की कोई आवश्यकता सिद्ध होती है ?

†**श्री कानूनगो** : सभी प्रकार के तम्बाकू का कुल उत्पादन ? इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री के उत्तर का यह तात्पर्य है कि तम्बाकू को एक अत्यावश्यक वस्तु समझा जाता है, क्योंकि हमें यह बार बार बताया गया है कि केवल अत्यावश्यक वस्तुओं का ही आयात किया जाता है ?

†**श्री कानूनगो** : देश में तम्बाकू की कमी है, इसलिये उसका आयात कैसे रोका जा सकता है।

†***अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

*प्रश्न संख्या ९१७ के उत्तर के बाद भी देखिये।

उत्पादिता दल[1]

†*९१७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के सात उत्पादिता दल विदेशों में भेजे जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इन दलों के सदस्य कौन कौन होंगे ; और

(ग) उन दलों के कब तक भेजे जाने की सम्भावना है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) अलग अलग दलों के सदस्यों के सम्बन्ध में अभी तक अंतिम निर्णय तो नहीं किया गया है ।

यह काम राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् सम्बन्धित संघटनों के परामर्श से करेगी ।

(ग) आशा है कि दल सितम्बर, १९५८ से जून, १९५९ तक छः छः सप्ताह के लिये भेजे जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पूर्ववर्ती* प्रश्न के सम्बन्ध में माननीया सदस्या ने यह पूछा था कि विदेशी मुद्रा की इतनी अधिक कठिनाई होने पर भी १ करोड़ २० लाख रुपयों की विलास वस्तु क्यों मंगायी जा रही है । उसका कोई संतोषजनक उत्तर दिया जाना चाहिये था, परन्तु माननीय मंत्री ने तो बस उतना ही उत्तर दिया कि उसका आयात कैसे रोका जा सकता है ।

†**श्री कानूनगो** : मैं ने बताया है कि निर्मित तम्बाकू का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु किसी भी प्रकार का तम्बाकू क्यों मंगवाया जाये ? जब कि तम्बाकू विलास वस्तुओं के अन्तर्गत आती है तो उसे निर्मित या अनिर्मित रूप से मंगाया ही क्यों जाये ? उसे किस प्रयोजन के लिये मंगाया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं अनिमित तम्बाकू के उपभोगों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस दल के कितने श्रमिकों को बाहर भेजा जायगा और क्या उसमें सरकारी क्षेत्र के श्रमिक भी सम्मिलित होंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । उसमें सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, उच्च प्रबन्धकों, मध्यम प्रबन्धकों और प्रविधिकों सभी के प्रतिनिधि श्रमिक होंगे ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : कितने श्रमिक भेजे जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् की रचना ऐसी है कि उसमें सभी सम्बन्धित वर्गों को अनुपाततः प्रतिनिधित्व प्राप्त है । श्रमिकों, अथवा टैक्निशियनों या प्रबन्धकों की संख्या इस बात पर निर्भर करेंगी कि हम किस प्रकार का दल भेजते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Productivity Teams

*देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९१६

†**श्री बोस** : उन दलों को किस किस कार्य का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोयला खनन उद्योग, औद्योगिक सम्बन्ध, उच्च प्रबन्धक, प्रशिक्षण संगठन, छोटे पैमाने के उद्योग, निवारक संधारण, सामग्री की व्यवस्था, संयंत्रों की योजना, कारखानों का निर्माण, वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक उद्योग ।

†**श्री बोस** : ये दल ऐसे देशों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जो कि इस दृष्टि से उन्नत हैं ? क्या वहां से वापिस आने पर इन दलों के सभी लोगों को काम काज प्रदान कर दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : देश में उत्पादित आन्दोलन सम्बन्धी कार्यक्रम का और भी अधिक प्रसार किया जायेगा । इन लोगों को केवल बाहर से अनुभव ग्रहण करने के लिये भेजा जा रहा है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र के व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित होंगे । परन्तु उनके चुनाव का क्या आधार होगा? राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् में अखिल भारतीय सरकारी क्षेत्र संघ का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा में इस बात का कई बार स्पष्टीकरण कर चुका हूं कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् में देश की प्रत्येक संस्था को प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया जा सकता । परन्तु उसमें सरकारी क्षेत्र के कई प्रतिनिधि अवश्य होंगे, वे भले संघ के प्रतिनिधि न हों, परन्तु फिर भी वे प्रबन्धकों की ओर से अथवा किसी और संस्था की ओर से अवश्य होंगे ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : उसमें कौन कौन से प्रतिनिधि हैं ? जहां तक मेरी जानकारी है रेलवे कर्मचारी फैडरेशन, डाक तथा तार फैडरेशन, प्रतिरक्षा फैडरेशन तथा और भी बहुत सी संस्थायें किसी भी केन्द्रीय कार्मिक संघ से सम्बद्ध नहीं हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस दल में किस किस को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सिन्दरी फर्टिलाइज़र वर्कर्ज़ यूनियन का सभापति ।

मद्यसार (पावर अल्कोहल)

†९१८. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मद्यसार (पावर अल्कोहल) की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पावर अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाईशाह)** : पावर अल्कोहल का वर्तमान उत्पादन हमारी मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी है । लेकिन अतिरिक्त योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है जिससे भविष्य में होने वाली सम्भावित मांगों और निर्यात सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके ।

†**श्री मोहन स्वरूप** : भारत में मद्यसार की वार्षिक मांग कितनी है और कितनी फैक्टरियों में मद्यसार का उत्पादन किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समय ४८ फैक्टरियों में मद्यसार तैयार किया जा रहा है ; ८ नई फैक्टरियां स्थापित की जा रही हैं और १० का विकास किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री च० द० पाण्डे** : क्या सरकार को ज्ञात है कि इन फैक्टरियों की अधिष्ठापित उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। १२० लाख गैलन मद्यसार का निर्माण किया जा रहा है और उसका भी वहां से उठाना कठिन है क्योंकि पेट्रोल उत्पादक उसके पैट्रोल में मिलाये जाने के खिलाफ हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि मद्यसार उद्योग की पूरी पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है, किन्तु उसका कारण यह है कि हम इतना अधिक मद्यसार तैयार कर रहे हैं कि इस प्रकार के देश के किसी भी औद्योगिक विकास में इतने अधिक मद्यसार की खपत नहीं होती। यह कहना ठीक नहीं है कि पैट्रोल उत्पादक उसके पैट्रोल में मिलाये जाने के खिलाफ़ हैं। वस्तुतः, कई राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, २० प्रतिशत मद्यसार मिलाया जाता है ; परन्तु उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहां मद्यसार का ले जाना बड़ा महंगा पड़ेगा, स्वभावतः हम मद्यसार के पैट्रोल में मिलाये जाने को प्रोत्साहन नहीं देते। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस सम्बन्ध में पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्पादित किये गये सम्पूर्ण मद्यसार का रासायनिक उत्पादनों के लिये पूरा पूरा उपयोग किया जाये।

†**श्री जाधव** : मद्यसार के उत्पादन में शीरे का कहां तक उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह तो इसकी आधारभूत कच्ची सामग्री है, परन्तु हम देश में उत्पादित सभी प्रकार के शीरे का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर सके हैं।

जूता निर्माण सम्बन्धी प्रतिमान[1]

†*९२०. **श्री वारियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था ने जूता निर्माण सम्बन्धी प्रतिमान (स्टैण्डर्ड) निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्तावित प्रतिमान क्या-क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने जूते बनाने के छोटे पैमाने के कारखानों में उन प्रतिमानों को प्रचारित करने के सम्बन्ध कोई कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) भारतीय मानक संस्था द्वारा जूते बनाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिमान (स्टैण्डर्ड) प्रकाशित किये गये हैं :

प्रकाशित प्रतिमान (स्टैण्डर्ड)

१. आइ एस : ५७६–१९५४	शू अपर्स (जूते का ऊपर का हिस्सा) के लिये ग्लेज्ड किड
२. आइ एस : ५७८–१९५४	शू अपर्स के लिये क्रोम टैन्ड बाक्स और विल्लोकिप्स तथा साइड्स।
३. आइ एस : ५७९–१९५४	सोल का चमड़ा।
४. आइ एस : ५८२–१९५४	वेजीटेबल और क्रोम टैन्ड चमड़े के लिये नमूने बनाने और टैस्ट करने के तरीके।

†मूल अंग्रेज़ी में

1. Stanndards for shoe-making.

५. आइ एस : ५८३–१९५४	सामान्य प्रयोजनों के लिये फौजी जूते।
६. आइ एस : ५८४–१९५४	सामान्य प्रयोजनों के लिये फ्रंटीयर ढंग की चप्पलें।
७. आइ एस : १०१६–१९५६	ऑयल टैन्ड (तेल से कमाये गये) चमड़े के लिये नमूने बनाने और टैस्ट करने के तरीके।

(ग) भारतीय मानक संस्था ने उनके सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित पार्टियों को जानकारी देने के लिये प्रैस नोट जारी करके उनका पर्याप्त प्रचार किया है। उसके अतिरिक्त उसने स्वयं भी इन प्रतिमानों (स्टैण्डर्ड्स) को अधिक प्रचारित करने के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों के संघटनों को इनके बारे में सूचित कर दिया है।

काफी का उत्पादन और बिक्री

†*९२१. **श्री जीनचन्द्रन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काफी के उत्पादन में अत्याधिक वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चिकोरी के आयात पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगा देने का विचार रखती है ;

(ख) क्या यह सच है किस सरकार ने काफी बोर्ड द्वारा अपनायी जा रही बिक्री की प्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिये कोई विशेषज्ञ समिति स्थापित की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस समिति के कौन कौन सदस्य हैं और उसके निर्देश पद क्या-क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**

†**श्री जीनचन्द्रन :** क्या काफी बोर्ड ने इस आशय का कोई संकल्प प्रस्तुत किया था कि चिकोरी के आयात को बिल्कुल बन्द कर दिया जाये ?

†**श्री कानूनगो :** जी, हां। काफी बोर्ड का यह मत है कि चिकोरी के आयात को बन्द कर दिया जाये। परन्तु हम उनके सीमित दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं।

†**श्री बासप्पा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्व की मार्केट में काफी के लिये बड़ा मुकाबला चल रहा है और यह कि काफी से पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है, क्या इस पर निर्यात शुल्क को घटाने और कुछ एक राज्य सरकारों द्वारा काफी उत्पादन पर लगाई गई उच्चतम सीमा को हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है।

†**श्री कानूनगो :** वर्तमान अवस्था में हम निर्यात की सम्पूर्ण मांग को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय मांग बहुत बढ़ गयी है। प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया है कि बिक्री की योजना और विशेष कर निर्यात के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त

---

†मूल अंग्रेज़ी में

की गयी है। जहां तक उच्चतम सीमा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को संविधान के अधीन यह अधिकार प्राप्त है कि वे जैसा चाहें वैसा कर सकें।

†**श्री बासप्पा :** क्या यह सच है कि केरल सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की है और न ही योजना आयोग इस सीमा के पक्ष में है?

†**श्री कानूनगो :** जहां तक मुझे स्मरण है, योजना आयोग ने यह परामर्श दिया है कि फसलों के उत्पादन पर जिन में काफ़ी का उत्पादन भी सम्मिलित है, किसी भी प्रकार की सीमा निर्धारित न की जाये।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** उस विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन कौन हैं और उसके निर्देश पक्ष क्या क्या है?

†**श्री कानूनगो :** उसके निर्देश पद बहुत अधिक हैं। परन्तु मुख्य रूप से वे बिक्री के सम्बन्ध में अधिक कुशल उपाय सुझाने के लिये हैं। उसके सदस्य हैं :—श्री ए० एम० सन्थानम् श्री रैडक्लिफ, श्री रामस्वामी और श्री श्रीनिवासन्।

†**श्री तंगामणि :** काफ़ी के सम्बन्ध में देश के अन्दर की पर्याप्ति और उसके निर्यात की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार काफ़ी के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

†**श्री कानूनगो :** जी, हां। काफ़ी के पौधों को फिर से लगाने और उसके उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने के सम्बन्ध में एक बड़ी व्यापक योजना तैयार की गयी है, और उसे गत दो वर्षों से सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।

†**श्री पुन्नूस :** क्या चिकोरी के उत्पादन और देश में उसकी बिक्री के बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध है?

†**श्री कानूनगो :** बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या देश में उसके उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध है?

†**श्री कानूनगो :** उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

†**श्री पुन्नूस :** क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ एक यूरोपीय बाग़ान मालिक अपने मजदूरों को इस चिकोरी के उत्पादन से रोक रहे हैं?

†**श्री कानूनगो :** हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। परन्तु देश में चिकोरी के उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

†**श्री जीनचन्द्रन :** क्या यह सच नहीं है कि काफी में चिकोरी मिला देने से काफी का अपना स्वाद समाप्त हो जाता है?

†**श्री कानूनगो :** इस सम्बन्ध में मतभेद है। वास्तव में फ्रेंच काफी में जिसे लोग इतना अधिक पसन्द करते हैं, चिकोरी मिलाई जाती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री बासप्पा : क्या सरकार काफी के नये पौधे लगाने तथा पुन: पौधे लगाने पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रही है, और क्या इसके लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं ?

†श्री कानूनगो : इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। वास्तव में, जैसा कि मैंने बताया है, हम तो पुन: पौधे लगाने और उत्पादन विस्तार के लिये लोगों को बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं।

†श्री शंकरय्या : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि देश में काफी की बड़ी कमी है, काफी के स्थान पर काफी के छिल्कों का उपयोग करने के सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया गया है ?

†श्री कानूनगो : काफी के छिलके आवश्यक नहीं हैं। पीने के लिये उनका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है।

ऊनी कपड़े का निर्यात

†*६२२. श्री साधू राम : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८ में दूसरे देशों को कितने ऊनी कपड़े का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या सरकार उसके निर्यात में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १२२,८०४ गज़।

(ख) जी हां।

(ग) निर्यात को प्रोत्साहन देने के रूप में ऊनी कपड़े के निर्यात के बदले उत्पादन कर्ताओं/निर्यातकों को कच्चा माल आयात करने के विशेष लाइसेंस दिये गये हैं।

उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड

†*६२६. { +श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री महन्ती :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ११ अगस्त, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य बड़े उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड न स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मन्त्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : तीन बड़े उद्योगों के लिये पहले से ही मजूरी बोर्ड स्थापित हैं। मजूरी बोर्ड स्थापित किये जाने से पूर्व प्रत्येक उद्योग की परिस्थितियों पर विचार करना पड़ता है।

†श्री तंगामणि : क्या पटसन, लोहा, और इस्पात, इंजीनियरी का सामान और चाय बागानों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव था और क्या सरकार अब मूल प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ल० ना० मिश्र : प्रस्ताव अवश्य था। वस्तुतः पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन ने इस मामले पर विचार किया है और सम्बन्धित उद्योगों के लिये समितियां नियुक्त की जा चुकी थीं, प्रत्येक उद्योग के गुणावगुणों पर विचार करना पड़ता है और सरकार अब इस पर विचार कर रही है।

†श्री तंगामणि : यह कहा गया था कि वस्त्र, चीनी और सीमेंट के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित किये गये हैं। किन्तु जहां तक वस्त्र उद्योग का सम्बन्ध है, दो वर्षों से अधिक समय बीत चुका है। ये मजूरी बोर्ड अपनी सिफारिशें कब तक देंगे ?

†श्री ल० ना० मिश्र : उनकी रिपोर्टें कब तक प्राप्त होंगी इसकी निश्चित तारीख बता सकना मेरे लिये कठिन है।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या यह सच है कि वस्त्र उद्योग के बड़े बड़े उद्योगपति वस्त्र मजूरी बोर्ड को समाप्त कर देने के लिये सरकार पर जोर डाल रहे हैं, और यदि ऐसा है तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : मैं समझ नहीं सका। क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न पुनः पूछेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : बहुत से अभ्यावेदन किये जायेंगे। प्रत्येक का अपना अपना स्वार्थ है।

†श्री स० म० बनर्जी : मिलें बन्द हो जाने के कारण कपड़े के बड़े-बड़े उद्योगपतियों का यह प्रस्ताव है कि मजूरी बोर्ड समाप्त कर दिये जाने चाहियें। यह बड़ा गम्भीर मामला है। बड़ी लड़ाई के पश्चात् इस बोर्ड की स्थापना हो सकी थी।

†अध्यक्ष महोदय : अभ्यावेदन करने से किसी को कौन रोक सकता है ?

†श्री स० म० बनर्जी : सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? इन्होंने सरकार को लिखा है।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने लिखा है कि वे प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†श्री तंगामणि : वस्त्र मजूरी बोर्ड की स्थापना दो वर्ष बीते तब की गई थी। हम नहीं जानते कि उनकी रिपोर्ट कब प्रकाशित होने जा रही है। क्या विलम्ब का कारण कुछ निहित स्वार्थों के अभ्यावेदन हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने इस प्रकार प्रश्न पहले ही क्यों नहीं पूछा ? माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वस्त्र मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट देने में विलम्ब का कारण कोई अभ्यावेदन है अथवा विभिन्न स्वार्थों द्वारा, जो उसके विरोध में हैं, कुछ विपरीत कार्यवाही करना है।

†श्री ल० ना० मिश्र : मैं नहीं समझता कि उनकी रिपोर्ट में कोई असाधारण विलम्ब हुआ है।

†श्री महन्ती : लोहा और इस्पात, तथा इंजीनियरी के सामान के लिये मजूरी बोर्ड क्यों नहीं स्थापित किये जा रहे हैं ?

†श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) : इन उद्योगों के लिये फिलहाल मजूरी बोर्ड स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसका निर्णय पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन में कर लिया गया था।

†श्री महन्ती : क्या मैं विनम्र निवेदन कर सकता हूं कि योजना आयोग की यह एक प्रमुख सिफारिश थी कि मजूरी बोर्डों की स्थापना की जानी चाहिये ?

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस प्रकार प्रश्न सीधे क्यों नहीं पूछते हैं ?

†**श्री महन्ती** : प्रश्न यह था कि लोहा और इस्पात, इंजीनियरी के सामान के लिये मजूरी बोर्ड क्यों नहीं स्थापित किये गये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर यह है कि इन उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया। यदि माननीय सदस्य को कोई और जानकारी है तो वह यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या यह सच नहीं है कि स्वयं योजना आयोग ने यह सिफारिश की है ?

†**श्री महन्ती** : उस दशा में क्या हम यह जान सकते हैं कि इसके क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सारे कारण कैसे बताये जा सकते हैं ?

†**श्री महन्ती** : यह गम्भीर विषय है। वह कहते हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं समझा गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे वास्तव में खेद है। माननीय सदस्य श्री महन्ती को संसदीय अनुभव प्राप्त है। उन्होंने प्रश्न पूछा है और उन्हें उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिये। इन तीन उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड न स्थापित करने के लिये क्या बड़े-बड़े कारण हैं ?

†**श्री आबिद अली** : हमने तीन उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित किये हैं और हमें देखना चाहिये . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस्पात और अन्य उद्योगों के लिये ?

†**श्री आबिद अली** : इस्पात के लिये हम फिलहाल मजूरी बोर्ड नहीं स्थापित कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री आबिद अली** : क्योंकि फिलहाल ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जो कुछ हो रहा है उसे समझते रहें। माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसा आवश्यक नहीं समझा गया। उस सिफारिश को स्वीकार न करने अथवा ऐसा करना आवश्यक न समझने का यदि कोई महत्वपूर्ण कारण है तो वह बता दिया जाना चाहिये। यदि वे कारण बहुत लम्बें-चौड़े हैं तो माननीय सदस्य किसी और स्थान पर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे।

†**श्री आबिद अली** : एक तो इस उद्योग विशेष में श्रमिकों की संख्या बहुत कम है प्रतिष्ठान भी कम हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सर्वप्रथम पूर्ववर्तिता अन्य तीन उद्योगों को दी गई थी, अब हम इस ओर अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और तत्पश्चात् हमें क्या करना चाहिये यह हम करेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** इस्पात एक छोटा उद्योग है।

†**श्री नाथ पाई**: मुझे यह सुन कर आश्चर्य होता है कि इस्पात का उद्योग एक छोटा उद्योग है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : मैंने कहा था कि इस उद्योग में श्रमिकों की संख्या कम है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच नहीं कि पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि इन उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित किये जाने चाहियें?

†**श्री आबिद अली** : ऐसा कहना सही नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : यह सच है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न का निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूं। अब प्रश्न काल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सूती कपड़े का निर्यात

†*८९४. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि दक्षिणीं-पूर्वी एशिया के बाजारों में, विशेषकर मलाया और सिंगापुर में जहां चीन और पश्चिमी जर्मनी जैसे नये प्रतिद्वंदी देशों के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपना काफी निर्यात करना आरम्भ कर दिया है जिसके कारण भारत के सूती वस्त्र के व्यापार के लिये गम्भीर खतरा पैदा हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो भारतीय निर्माणकर्ताओं और निर्यातकों को प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर अपना माल बेचने के लिये सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये जो उपाय किये जा रहे हैं। वे सदन को विदित हैं। और आगे उपायों पर उद्योग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

भारी मशीनी औजार का कारखाना

†*८९६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मशीन औजार का कारखाना, एक भारी ढांचा बनाने का कारखाना और एक प्लेट तथा जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने की योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर कानूनी वायदा व्यापार

†*८९७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री अपने मंत्रालय के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ १७ के पैरा ४१ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर कानूनी वायदा व्यापार का पता लगाने के लिये मारे गये छापे के परिणामस्वरूप कुल कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: तीन।

राष्ट्रपति की जापान यात्रा

†*९०२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रपति इस वर्ष सितम्बर/अक्टूबर में जापान की यात्रा पर जा रहे हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : जी हां।

वस्त्र परामर्शदाता बोर्ड

†*९०४. { **सरदार इक़बाल सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस देश के वस्त्र उद्योग के लिये एक वस्त्र परामर्शदाता बोर्ड की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड की शक्तियां और कार्य क्या होंगे ; और

(ग) यह बोर्ड कब बनाया जायेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) बोर्ड के कार्य सामान्यतः वस्त्र उद्योग के विकास के लिये सरकार को परामर्श देना और समय समय पर उद्योग से संबंधित जो भी समस्यायें उसे भेजी जायेंगी उन पर परामर्श देना होगा।

(ग) बोर्ड की नियुक्ति शीघ्र ही करने का विचार है।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

†*९०६. **श्री दलजीत सिंह** : : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक अफगानिस्तान के साथ हमारे व्यापार की क्या स्थिति है ;

(ख) यह वृद्धि पर है अथवा कमी पर ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जनवरी-अप्रैल, १९५८ में अफगानिस्तान के साथ हमारा आयात और निर्यात क्रमशः १६२·४५ लाख रुपये और ८५·६८ लाख रुपये था।

(ख) जनवरी-अप्रैल, १९५७ की तुलना में व्यापार वृद्धि पर है।

(ग) अफगानिस्तान सरकार के साथ १०-७-१९५८ को एक व्यापार समझौता पूरा किया गया था जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार सन्तुलन की व्यवस्था की गई है और भारत ने अगस्त, १९५८ में काबुल की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया था।

भारतीय मोटर कारों का निर्यात

†*९०९. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मोटर कारों के निर्यात से गत वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ख) इस मोटर कारों का निर्यात किन-किन देशों को किया गया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५७ में मोटर कारों का कोई वाणिज्यिक निर्यात किया गया नहीं जान पड़ता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इंजीनियरी के बेकार स्नातक

†*९१२. **श्री वाजपेयी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरी के स्नातक इस समय बेकार हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ; और

(ग) उन्हें रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जुलाई, १९५८ के अन्त तक काम दिलाऊ दफ्तरों में इंजीनियरी के ५४२ स्नातकों ने पंजीयन कराया था।

(ग) योजना के अधीन विकास की जो विभिन्न परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं उनमें उन्हें काम मिलने की सम्भावना पाई जाती है।

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सम्पत्ति में अधिकार

†*९१३. **श्री रणवीर सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास मंत्रालय ने पंजाब राज्य सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के स्थानीय लोगों को पंजाब राज्य के गावों में जो मकान उन्होंने अब तक बनवाये हैं और उनके कब्जे में हैं उनके नीचे के रहने की जगह मामूली मूल्य का भुगतान करने पर उस पर उन्हें सम्पत्ति के अधिकार दे दें ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना को कार्यन्वित करने में अब तक जितनी प्रगति की गई है उससे मंत्रालय संतुष्ट है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) पंजाब के गांवों में 'कमीन' लोगों के कब्जे में जो मकान हैं उनके निबटारे के बारे में कुछ निदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(ख) अधिक प्रगति नहीं की गई हैं क्योंकि जिस भूमि पर ये मकान बने हैं उसके मूल्य के बारे में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। इनको दूर किया जा रहा है और आशा की जाती है कि अब शीघ्र प्रगति होगी ।

काच के नगों का आयात[1]

†*६१६. **श्री शिवराज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी-जून, १६५७ के दौरान में घोषित की गई आयात नीति के अनुसार काच के नगों के आयात पर रोक लगा दी गई है ;

(ख) देश में इस समय काच के नगों का कितना स्टाक उपलब्ध है और उससे कब तक देश की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है ;

(ग) क्या सरकार ने काच के नगों के लिये परमिट देने का निश्चय किया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) काच के नगों की कितनी मात्रा आयात करने का विचार है ; और

(च) क्या काच के नग आयात करने की नीति कुछ समय तक चालू रहेगी अथवा यह केवल अस्थायी प्रबन्ध है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत काच के नगों के आयात की अनुमति निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन दी गई है। इसका आयात काच के नगों वाले नकली हीरे जवाहिरात के निर्यात मूल्य के ५ प्रतिशत के बराबर करने की अनुमति दी गई है ।

(घ) निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिये ।

(ङ) किसी गैर-सरकारी श्रमी को अप्रैल-सितम्बर, १६५८ (५-७-५८) तक आयात का लाइसेंस नहीं दिया गया है। राज्य व्यापार निगम को १·२५ लाख रुपये के मूल्य का एक निर्यात संवर्द्धन लाइसेंस जारी किया गया है जिसके अनुसार यह आवश्वासन दिया गया है कि प्रत्येक तिमाही में अगली तीन और तिमाहियों तक इतनी ही मूल्य का लाइसेंस दिया जायेगा ।

(च) राज्य व्यापार निगम को जितने लाइसेंसों का वचन दे दिया गया है उसके अतिरिक्त आगामी लाइसेंस दिये जाने वाले काल में काच के नगों की आयात नीति क्या होगी उसके बारे में इस प्रकम पर कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Import of Glass Chatons.

कलकत्ता में पत्तन श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश

†*९२३. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर समुद्र तट और जहाज पर का माल चढ़ाने उतारने वाले मज़दूरों को सप्ताह में एक दिन सवेतन अवकाश मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो बम्बई और मद्रास के पत्तनों पर समुद्र तट और जहाज़ पर का माल चढ़ाने उतारने वालों के लिये भी यह योजना लागू करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) समुद्र पर काम करने वाले मज़दूर : स्थायी समुद्र तट के मज़दूर को कम से कम ९२ रु० ८ आ० पा० प्रतिमास वेतन मिलता है जिसमें सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी सम्मिलित होता है। कलकत्ता पत्तन आयुक्त के गौण गैंग पोर्टरों को छः दिन लगातार काम करने के पश्चात् एक दिन का अवकाश मिलता है।

जहाज पर का माल चढ़ाने उतारने वाले लोग : रक्षित श्रमिक समूह को छः दिन लगातार काम करने पर सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है।

(ख) **समुद्र तट पर काम करने वाले मजदूर** : बम्बई में तट पर काम करने वाले मज़दूरों को रविवार की छुट्टी मिलती है, जिसके लिये न तो अगल से कुछ भुगतान देय होता है और न दिया जाता है। मद्रास में समुद्र तट पर काम करने वाले स्थायी मज़दूरों की सप्ताह में एक दिन की छुट्टी रहती है।

जहाज पर का माल चढ़ाने उतारने वाले मजदूर : बम्बई और मद्रास पत्तन के श्रमिक बोर्ड साप्ताहिक अवकाश के लिये अलग से कोई भुगतान नहीं करते। यह मामला गोदी श्रमिक बोर्ड के स्वविवेक के अधीन रहता है।

रेमोंमेगासाइसाइ पुरस्कार

*९२४. **श्री सरजू पांडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेमोंमेगासाइसाइ पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है ;

(ख) यदि हां, तो किसे ; और

(ग) यह पुरस्कार किस आधार पर दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां।

(ख) आचार्य बिनोबा भावे।

(ग) यह पुरस्कार उन्हें "एशिया में असाधारण जन नेतृत्व", के लिए दिया गया है।

पाकिस्तान में पावन स्थान

†*९२५. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में ऐसे गैर-मुस्लिम पावन स्थानों की संख्या कितनी है जिनकी पवित्रता का उल्लंघन करने के संबंध में भारत सरकार को १९५६, १९५७ और ३१ जुलाई, १९५८ तक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उपर्युक्त में से ऐसे स्थलों की संख्या कितनी है जिनके बारे में पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है और उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) लाहौर में शीतला मन्दिर, गुरुद्वारा पंजा साहिब और ननकाना साहिब में गुरुद्वारा जन्मस्थान की देख-भाल की क्या स्थिति है ; और

(घ) क्या इन में से किसी भी पुण्य स्थल में पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम निवासी उनकी पूजा करते हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). १९५६ में सात, १९५७ में दो और ३१ जुलाई, १९५८ तक कुल ३७ शिकायतें की गई थीं। इन सारे मामलों की सूचना पाकिस्तान सरकार को दी गई थी जिसने केवल पांच मामलों के बारे में उत्तर भेजा है। उसने ४ मामलों में आरोपों का खण्डन किया है जब कि पांचवें मामले के संबंध में उसने कहा है कि वह मन्दिर अपनी मूल दशा में है।

(ग) तीन पावन स्थानों के संबंध में जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]**

(घ) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

सिगारों के लिये लपेटी जाने वाली तम्बाकू[1]

†*९२७. **श्री अब्दुल सलेम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लपेटी जाने वाली तम्बाकू के उपलब्ध न होने के कारण अच्छी किस्म के सिगारों का बनना कम हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका से लपेटी जाने वाली तम्बाकू का आयात करने के कारण मद्रास राज्य में सिगार निर्माताओं ने अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आयातों को सुविधा देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु बताया गया है कि अच्छी किस्म के सिगारों के उत्पादन पर लपेटी जाने वाली तम्बाकू के आयात पर प्रतिबन्ध के कारण प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी, हां, मेसर्स पीकाक-ऐण्ड कम्पनी, वारियर, तिरुचिरापल्ली के द्वारा।

(ग) अमरीका से पी० एल० ४८० के अधीन बिना तैयार की गई तम्बाकू के आयात के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक नोटिस संख्या ५८–आई० टी० सी० (पी०एन०)/५७, दिनांक २० जुलाई, १९५७ के अनुसार अनुमति दी गई थी जो भारत सरकार के दिनांक २० जुलाई, १९५७ के असाधारण गजट के भाग १ की धारा में प्रकाशित की गई थी।

अमरीका से आयात के लिये अब (चालू समय में) सार्वजनिक नोटिस संख्या ६०–आई० टी० सी० (पी० एन०)/५८, दिनांक १२ जुलाई १९५८ के द्वारा एक उपबन्ध किया गया है जो १२ जुलाई, १९५८ के भारत सरकार के असाधारण गजट भाग १ की धारा १ में छपा है और जिसके

†मूल अंग्रेज़ी में

1 Wrapper Tobacco for Cigars

लिये वास्तव में इस्तेमाल करने वालों से आवेदनपत्र आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा मांगे जायेंगे ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में रोज़गार ब्यूरो

†*९२८. { **श्री रामकृष्ण :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री तंगामणि : }

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री १८ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२९ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में रोज़गार ब्यूरो खोलने की योजना किस स्थिति में है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** दिल्ली विश्वविद्यालय में रोज़गार ब्यूरो स्थापित करने की प्रारूप योजना दिल्ली प्रशासन को भेज दी गई है और उसके प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

औषधियों का निर्यात

†*९२९. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के निर्यात के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) उक्त निर्यात के संवर्द्धन के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) भारतीय औषधियों के सामान का निर्यात इस समय पाकिस्तान, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया के देशों को किया जा रहा है । १९५७ में औषधियों और भेषज सम्बन्धी उत्पादों का निर्यात १,०१,२४,३३१ रुपये का किया गया और जनवरी-जून, १९५८ में यह राशि ४१,१२,००० रुपये थी । निर्यात संबंधी जो उपाय इस समय किये जा रहे हैं उन से आशा की जाती है कि इन आंकड़ों में पर्याप्त वृद्धि होगी ।

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के संबंध में की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]**

साबुन उद्योग

†*९३०. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साबुन उद्योग में भारत में कितनी विदेशी पूंजी का विनियोग किया गया है ;

(ख) इस समय इस उद्योग में कितनी भारतीय पूंजी का विनियोग किया गया है ; और

(ग) उपर्युक्त उद्योग में भारतीय पूंजी के विनियोग में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) ५,६८,८०,३५० रुपये ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

(ख) संक्षिप्त सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) साबुन उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में केन्द्रित है । विदेशियों की अथवा नियंत्रित फर्मों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे आवश्यकता पड़ने पर भारतीय पूंजी के साथ सहयोग स्थापित करें ।

हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*६३१. **श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के पास टेट्रासिक्लीन निर्माण का कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी विदेशी फर्में इस में सहयोग दे रही हैं ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) मेसर्स हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड एण्टीबायटिक्स के टेट्रासिक्लीन समूह के निर्माण की सम्भावना खोज रहे हैं । अभी निश्चित कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) विदेशी सहयोग के प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये बेतिया कैम्प

*६३२. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री बाजपेयी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के बेतिया कैम्प में पूर्वी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्ति अब तक भेजे गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने बेतिया कैम्प के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(घ) इस कैम्प के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) ६७४४ शरणार्थी परिवार ।

(ख) से (घ). ३४८६ काश्तकार और ३३७ गैर-काश्तकार परिवारों के पुनर्वास की योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है । शरणार्थियों को ज़मीन पर बसाने, फिशरीज़ और व्यापार के कर्ज़े आदि देने की दूसरी योजनाएं भी विचाराधीन हैं । इन में से २३०० परिवारों को ज़मीन पर बसाया जा चुका है ।

कच्ची फिल्मों का वितरण

† ६३३. **सरदार इक़बाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीन चलचित्र उत्पादकों को चल-चित्र उत्पादन के लिये कच्ची फिल्में प्राप्त करने में कठिनाई होती है ;

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कच्ची फिल्मों के आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक परामर्शदाता समितियों द्वारा कोई नवीन प्रक्रिया ढूढ़ी गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप है ; और

(ङ) चलचित्रों की लम्बाई और प्रिंट पर लगाये गये प्रतिबन्धों का क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ङ) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०]**

सांख्यकीय गुण नियंत्रण[1]

†*९३४. **श्री दासानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंण्डियन स्टैण्डर्ड इंस्टीट्यूशन (भारतीय मानक संस्था) के अधीन सांख्यकीय गुण नियंत्रण विभाग कार्य-विधि को लोक प्रिय बनाने की दृष्टि से विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ।

(ख) विभिन्न उद्योगों में इस कार्य-विधि का उपयोग कैसे किया गया है ;

(ग) क्या उद्योग स्वयं सांख्यकीय गुण नियंत्रण एककों का संचालन कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सूती वस्त्र, लाइट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स, केमिकल्स, धातुकर्मिक इत्यादि उद्योगों के सांख्यकीय गुण नियंत्रण पद्धतियों का व्यवहार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). जी हां, फिलिप्स इलेक्ट्रिकल कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग की गवेषणा सन्था की कुछ सदस्य-मिलों आदि कुछ उद्योगों के उत्पादन संयंत्रों से उत्पन्न गुण सम्बन्धी रोजमर्रा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अपने सांख्यकीय विभाग हैं।

बेरूत में भारतीय वाणिज्य दूतावास के निकट बम विस्फोट

*९३५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ जुलाई को बेरूत में भारतीय वाणिज्य दूत के निवास स्थान से लगभग १० गज की दूरी पर एक प्लास्टिक बम का विस्फोट हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का वास्तविक विवरण क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). २१ जुलाई, १९५८ को बेरूत स्थित भारतीय कोंसल के मकान से करीब दस गज के फासले पर एक बम फटा था । धमाके से कोंसल का मकान हिल जाने के अलावा कोई खास नुकसान नहीं हुआ ।

† मूल अंग्रेजी में

[1]Statistical Quality Control.

भविष्य निधि की बकाया राशि

†*९३६. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि छः महीने की अवधि के नियंत्रण के परिणामस्वरूप बर्खास्त अथवा सेवा निवृति के पश्चात् भविष्य निधि की बकाया राशि तुरन्त मिलने में श्रमिकों को पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं। प्रायः श्रमिकों की ओर से इस विषय में कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

आसाम में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

†*९३७. **श्री हेम बरुआ :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में कचार जिले के अन्तर्गत रामकृष्णनगर में चार बस्तियों में स्थित विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के उद्देश्य से संचालित केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की असफलता के कारण निर्धारित करने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इसकी असफलता के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): राज्य सरकार को इस विषय की जांच करने के लिये कहा गया है।

हसनाबाद में भारतीयों की गिरफ्तारी

†*९३८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से सीमा प्रदेश २४ परगने में पी० एस० हसनाबाद में हिंगलगंज के समीप इचामती नदी के समीप पांच महीने पूर्व गिरफ्तार किये गये भारतीयों को मुक्त कर दिया गया है ;

(ख) उन व्यक्तियों की ओर से ढाका स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने क्या प्रयत्न किये हैं ; और

(ग) इस विषय की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी नहीं।

† मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). इन भारतीयों की मुक्ति के लिये पाकिस्तान सरकार से सक्रिय वार्ता चल रही है। यह समझा जाता है कि कराची में सचिव-स्तर पर होने वाली मीटिंग में, जो ३० अगस्त से प्रारम्भ हुई है। सीमावर्ती कैदियों की अदला-बदली पर परस्पर सहमति प्राप्त हो गई है।

भारत-पाकिस्तान पुलिस अधिकारियों की बैठक

*६३६. **श्री सरजू पांडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में अमृतसर में पाकिस्तान और भारत की सीमा के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक सीमाओं पर होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिये हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या फैसले किये गये ; और

(ग) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). सीमा की समस्याओं पर विचार करने के लिये पुलिस अधिकारियों की मीटिंगें समय-समय पर होती रहती हैं। भारत सरकार को यह पता नहीं है कि अमृतसर की जिस मीटिंग का ज़िक्र प्रश्न में किया गया है, वह किसी खास महत्व की थी। बहरहाल, पंजाब सरकार से संबंध में आवश्यक सूचना मांगी गई है।

भेड़ों और बकरियों का निर्यात

†*६४१. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भेड़ों और बकरियों को टूटीकोरिन और प्वाइंट केलीमीर होकर बड़ी संख्या में श्री लंका भेजने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) क्या इस के परिणामस्वरूप मद्रास राज्य के दक्षिणवर्ती ज़िलों में गोश्त की कीमत असाधारण रूप से बढ़ गई है ;

(ग) क्या इनका निर्यात बन्द करने के लिये उक्त क्षेत्र से कोई अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) श्री लंका को भेड़ों और बकरियों का निर्यात एक नियमित मात्रा में टूटीकोरिन और आदिरामपत्तनम् द्वारा किया जाता है। प्वाइंट केलीमीर से निर्यात की अनुमति नहीं है।

(ख) सरकार के पास जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं,

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर और पुर्जों का आयात[1]

†*९४२. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें बताई गई हों :

(क) मोटरों और पुर्जों के आयात के लिये १९५७–५८ में कितने लाइसेंस जारी किये गये थे और इन लाइसेंसों के बल पर कितनी मात्रा में उनका आयात किया गया है ;

(ख) किन-किन देशों से आयात किया गया था तथा उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ; और

(ग) इस वर्ष उनके आयात की क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५७–५८ में विद्युत् मोटरें और पुर्जों के लिये ७८९ लाइसेंस जारी किये गये थे। इन लाइसेंसों की सहायता से आयात की गई मात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रत्येक देश के १९५७–५८ में आयात की गई विद्युत् मोटरों का मूल्य बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) अप्रैल से सितम्बर १९५८ (१९ जुलाई १९५८ तक) इलेक्ट्रिक मोटर और पुर्जों के आयात लाइसेंस का मूल्य लगभग १३ लाख रुपये है।

तापसह ईंटों का उत्पादन[2]

†*९४३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीन इस्पात संयंत्रों का उत्पादन प्रारम्भ होने पर उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिये तापसह ईंटों (रिफ्रेक्टरीज़) समुचित मात्रा में देश में उत्पादन करने के लिये यदि कुछ कदम उठाये गये हैं तो वे क्या-क्या हैं ; और

(ख) तापसह ईंटों (रिफ्रेक्टरीज़) के निर्माण के लिये प्रतिष्ठापित क्षमता इस समय कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) उद्योग (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, १९५१ के अधीन आधुनिक फैक्टरियों के प्रसार एवं नवीन फैक्टरियों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं। ४,९८,२४० टन की वर्तमान क्षमता के अतिरिक्त ९,६६,४१० टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का अनुमोदन किया गया है। इन योजनाओं की कार्यान्विति में शीघ्रता करने के लिये तापसह ईंटों (रिफ्रेक्टरीज़) के लिये एक तालिका[3] भी स्थापित की गई है।

(ख) विभिन्न प्रकार की ४,९८,२४० टन।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Imports of Motors and Spare Parts.

[2]Refractories.

[3]Panel.

विभाजन से उत्पन्न विषयों का हल

†*९४४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** २१ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाजन से उत्पन्न उन विवादों के हल के बारे में और क्या प्रगति हुई है जो इतनी लम्बी अवधि से निलम्बित थे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** चूंकि दोनों देशों के वित्त मंत्रियों की अभी तक बैठक नहीं हुई है अतः अवशिष्ट विवादों को हल करने में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

प्लास्टिक रेज़िन और मध्यवर्ती पदार्थ[1]

†*९४५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्लास्टिक रेज़िन और मध्यवर्ती पदार्थों के भारत में निर्माण की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) भारतीय उद्योगों में १९५७–५८ में इन वस्तुओं की कितनी मात्रा में खपत हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]**

छोटे जहाज़ों का निर्माण

†*९४६. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री देश में छोटे जहाजों के निर्माण संबंधी उद्योगों की वृद्धि के लिये की जा रही कार्यवाही बताने की कृपा करेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३]**

विस्थापित व्यक्तियों के लिये प्रतिकर

†१४६१. { **श्री स० म० बनर्जी :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान के ऐसे कितने दावेदार विस्थापित व्यक्ति हैं जिन्हें अभी प्रतिकर नहीं दिया गया है ; और

(ख) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Plastic Resins and Intermediates.

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ४ लाख ६४ हजार में से १ लाख ५९ हजार ।

(ख) प्रादेशिक सेटलमेंट कमिश्नरों से बचे हुए मामलों का अन्तिम रूप से निबटारा करने में शीघ्रता करने के लिये कहा गया है । इस दिशा में हुई प्रगति पर प्रत्येक माह सूक्ष्म रूप से ध्यान दिया जाता है । प्रगति में बाधक सभी बातें दूर करने के लिये कदम उठाये गये हैं ।

नमक का निर्यात

†**१४६२. श्री दासानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में भारत से नमक के निर्यात की मात्रा (प्रत्येक देश की अलग-अलग) और इसके परिणामस्वरूप अर्जित विदेशी मुद्रा की रकम कितनी कितनी है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में भारत के किस राज्य से सबसे अधिक मात्रा में नमक का निर्यात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) लोकसभा के पटल पर रखे गये विवरण में अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ख) बम्बई ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†**१४६३. श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की कितनी संख्या है जिन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात शरणार्थी माने जाने के लिये आवेदन दिये हैं ;

(ख) क्या इन में से कोई याचिकायें विचारार्थ हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें निबटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) १६,६९१ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

टेक्नीकल संस्थायें

†**१४६४. श्री हेम राज** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कितनी टेक्नीकल संस्थायें खोली गई हैं ;

† मूल अंग्रेजी में

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिये कितने टेक्नीशियनों की आवश्यकता है ; और

(ग) इन संस्थाओं के विद्यार्थियों को डिपलोमा प्रदान करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) ५४ नयी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों की स्थापना के लिये स्वीकृति प्रदान की गई थी इन में से ३२ ने कार्य आरम्भ कर दिया है ।

(ख) निश्चित संख्या मालूम नहीं है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा नियुक्त टेक्निकल प्रशिक्षण समिति के अनुमान के अनुसार ६ लाख ३५ हजार व्यक्तियों की आवश्यकता है ।

(ग) सफल उम्मीदवारों को नेशनल कौंसिल के नाम वाले प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं । इन प्रमाणपत्रों पर व्यावसायिक उद्योगों के प्रशिक्षण की नेशनल कौंसिल के सेक्रेटरी और व्यवसायिक उद्योगों के प्रशिक्षण की स्टेल कौंसिल के सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†**१४६५. श्री पांगरकर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य के किन- किन स्थानों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारम्भ की गई है; और

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् बम्बई राज्य में श्रमिकों और नियोजकों द्वारा पृथक्-पृथक् प्रदेशवार कितनी रकम दी गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) वृहत्तर बम्बई, नागपुर, अकोला और हिंगनघाट ।

(ख) निगम ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रारम्भ में विभिन्न राज्यों को प्रदेशों में समाहृत कर दिया था और शुरू से ही बम्बई प्रदेश में बम्बई, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, मध्य भारत और भोपाल सम्मिलित थे । बाद में मध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल अन्य प्रदेशों में बदल दिये गये। लेखे समूचे प्रदेश के बारे में हैं, वे राज्यवार नहीं हैं । प्रारम्भ से जून, १९५७ तक मिले जुले बम्बई राज्य में नियोजकों और कर्मचारियों का अंशदान नीचे दिया जाता है :—

नियोजक अंशदान—४,६२,३२,१६२ रुपये

कर्मचारी अंशदान—४,०२,८८,१३२ रुपये

राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् बम्बई प्रदेश में केवल बम्बई राज्य है और जुलाई १९५७ से बम्बई राज्य के बारे में पृथक् लेखे रखे जाते हैं । जुलाई, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक कर्मचारियों और नियोजकों का अंशदान नीचे दिया जाता है :—

नियोजक अंशदान—८९,५८,७७९ रुपये

कर्मचारी अंशदान—१,३३,८२,११२ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में हथकरघे

†१४६६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में आजकल कितने करघे चल रहे हैं ;

(ख) इन हथकरघों को सहकारी उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) बम्बई राज्य में सहकारी उद्योग संस्थाओं के अन्तर्गत कितने हथकरघे चल रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) बम्बई राज्य में हथकरघों की कुल संख्या २१ अगस्त, १९५८ को २,४२,००० है। कितने करघे वस्तुतः चल रहे हैं यह ज्ञात नहीं है।

(ख) और (ग). सहकारिता उद्योग क्षेत्र में १९५३ में ५९,५०६ हथकरघे थे जो २१ अगस्त, १९५८ को १,३९,००० तक बढ़ गये हैं।

बम्बई में रेशमकीट पालन उद्योग का विकास

†१४६७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में रेशमकीट पालन के विकास के लिये बम्बई सरकार को कितनी रकम दी गई है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी रकम की मांग की गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९५७-५८ में कुछ नहीं दिया गया था। १९५८-५९ में केन्द्रीय सहायता का आवंटन ५०,००० रुपये है। अभी तक कुछ रकम स्वीकार नहीं की गई है।

(ख) जानकारी नीचे दी गई है :—

वित्तीय वर्ष	मांगी गई रक़म
१९५७-५८	कुछ नहीं
१९५८-५९	६८,००० रुपये

आंध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग

†१४६८. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में १९५८-५९ के लिये छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों के विकास की कोई योजनायें स्वीकृत हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां ।

(ख) जिन योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है अथवा जिन के टैक्नीकल अनुमोदन की सूचना राज्य सरकार को दी जा चुकी है वे नीचे उल्लिखित हैं और साथ में राशि भी बताई गई है :—

	अनुदान	ऋण	कुल
	रुपये	रुपये	रुपये
दस्तकारी योजनायें	२,२०,३००		२,२०,३००
रेशमकीट पालन	८४,५६६	३०,०००	१,१४,५६६
हथकरघा योजनायें	४०,८७,७५२	८७,३०८	४१,७५,०६०
खादी योजनायें	५,८९,६०३	१२,४८,५१५	१८,३८,११८
अम्बर तथा विक्रय डिपो की योजनायें	१,०६,००७	२४,०००	१,३०,००७
ग्राम उद्योग योजनायें	८,८४,५८२	१०,००,३२५	१८,८४,९०७

इन के अतिरिक्त एक नारियल जटा उद्योग के विकास की और कुछ खादी और ग्राम उद्योगों की योजनाओं का परीक्षण हो रहा है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये आंध्र प्रदेश सरकार को १९५८-५९ के लिये ७,५०,००० रुपया अनुदान और २२,५०,००० रुपये ऋण के तौर पर दिये गये हैं । नई प्रक्रिया के अन्तर्गत, जिसके बारे में १२ मई, १९५८ को आदेश दिये गये थे, तमाम आवंटित राशि राज्य सरकार को ९ किश्तों में दे दी जायेगी और आगे राज्य सरकार ही इनका आवंटन करेगी ।

१२ मई, १९५८ के पश्चात् यह प्रक्रिया केवल नारियल जटा उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों पर ही नहीं बल्कि दस्तकारी, रेशमकीट पालन और हथकरघा उद्योगों की योजनाओं पर भी लागू होती है । केवल खादी और ग्राम उद्योगों के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग स्वयं राज्य सरकारों, राज्य संविधि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीबद्ध संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं आदि को निधि स्वीकृत करेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में दस्तकारी का प्रशिक्षण

†१४६९. **श्री ओंकार लाल:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में दस्तकारी के प्रशिक्षण की योजनायें अनुमोदित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन्हें किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५**]

राजस्थान में खादी का उत्पादन

†१४७०. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५८ तक राजस्थान में कुल कितनी खादी का उत्पादन हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** राजस्थान के सभी खादी और अम्बर चरखा केंद्रों से १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५८ तक के उत्पादन के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अब तक जो प्रतिवेदन मिले हैं उनके अनुसार १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५८ तक २०.३७ लाख वर्ग गज़ खादी, जिसमें अम्बर खादी भी शामिल है, का उत्पादन हुआ था।

राजस्थान में बुनकरों की सहकारी संस्थायें

†१४७१. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बुनकरों की सहकारी संस्थाओं की संख्या क्या है ; और

(ख) राजस्थान में (जिलावार) बुनकर सहकारी संस्थाओं के अधीन कितने करघे पंजीबद्ध हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) ३१ मार्च, १९५८ को राजस्थान में ७४७ बुनकर सहकारी संस्थायें थीं।

(ख) एक विवरण जिसमें उन करघों की संख्या दी गई है जो राज्य में (जिलावार) अप्रैल, १९५८ की समाप्ति तक पंजीबद्ध थे, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६**] यह मालूम नहीं कि उन में से कितने सहकारी सैक्टर के थे।

राजस्थान में हथकरघा

†१४७२. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गैर सरकारी सैक्टर और सहकारिता सैक्टर में हथकरघे का कितना माल विक्रय के लिये पड़ा हुआ है ; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन करघों को कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है जो सहकारिता में शामिल नहीं हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार लगभग ४५५ सहकारी संस्थाओं में मई, १९५८ की समाप्ति तक २९,६८३ गज़ कपड़ा पड़ा हुआ था जिसका मूल्य २९,४३० रुपये था। सहकारी संस्थाओं के बाहर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

राजस्थान में पंजीबद्ध समवाय

†**१४७३. श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में (जिलावार) पंजीबद्ध समवायों के नाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** राजस्थान में ५५० पंजीबद्ध समवायों की जिलावार सूची तैयार करने में जो परिश्रम और समय लगेगा उसके अनुकूल उस से लाभ नहीं होगा। एक विवरण, जिसमें प्रत्येक जिले में समवायों की संख्या बनाई गई है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७]**

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान

†**१४७४. श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान को कितनी राशि आवंटित की ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपी गई निधि में से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी (जिसमें अम्बर खादी भी शामिल है) और अन्य ग्राम उद्योगों के विकास के लिये प्रयोगात्मक रूप से २२,३४,४०० रुपये अनुदान और २९,८६,६७० रुपये ऋण दिया है।

काम दिलाऊ दफ्तर

†**१४७५. श्री जाधव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में बम्बई राज्य में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ; और

(ख) इस समय उपरोक्त राज्य के काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) २६,६२४।

(ख) ३१ जुलाई, १९५८ को संख्या १,५७,४५१ थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में केन्द्रीय योजनायें

†१४७६. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित और कार्यान्वित की गई योजनाओं पर कुल कितना खर्च किया है ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि खर्च की जानी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). द्वितीय योजना के पहले दो वर्षों में पंजाब में केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय उपलब्ध कर दी जायेगी। पूर्णतः केन्द्रीय योजनाओं के लिये प्रायः राज्यों और प्रदेशों के अनुसार व्यय का आवंटन करना सम्भव नहीं होता ।

लघु उद्योग बोर्ड

†१४७७. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९५८ के द्वितीय सप्ताह में मसूरी में हुई अखिलभारतीय लघु उद्योग बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक में क्या संकल्प पारित किये गये और क्या सिफारिशें की गईं;

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]**

बेरोज़गारी का सर्वेक्षण

†१४७८. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **योजना** मंत्री २१ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गवेषणा कार्यक्रम समिति के अधीन बेरोजगारी का जो सर्वेक्षण किया गया उसमें और क्या प्रगति हुई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** आसाम में बेरोजगारी सम्बन्धी प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का अनुमोदन गवेषणा कार्यक्रम समिति ने कर दिया है और यह समिति ही उस प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का पूरा खर्च देगी। त्रावनकोर-कोचीन में बेरोजगारी सम्बन्धी प्रतिवेदन की पुनरीक्षित प्रति गवेषणा कार्यक्रम समिति को केरल विश्वविद्यालय से २७ मार्च, १९५८ को प्राप्त हुई। गवेषणा कार्यक्रम समिति ने इस पर विचार किया और यह निर्णय किया कि यदि लेख चाहे तो इसे प्रकाशित कर सकता है परन्तु इसकी लागत में गवेषणा कार्यक्रम समिति कोई अंशदान नहीं देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक नगरों के सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण का संबंध है बड़ोदा पर प्रतिवेदन अप्रैल, १९५८ में छप गया था। आगरा, बम्बई, कलकत्ता, कटक, दिल्ली और जयपुर के प्रतिवेदन तैयार हो रहे हैं और अन्य नगरों के प्रतिवेदनों के बारे में अन्तिम निर्णय हो रहा है।

कांडला में अबाध व्यापार बन्दरगाह

†१४७९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला बन्दरगाह में अबाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो सिंगापुर अथवा हांगकांग करमुक्त पत्तन और इसमें क्या अन्तर होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां। वहां अबाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने के बारे में विकास आयुक्त, कांडला द्वारा तैयार की गई योजना मिली थी और उस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) हांगकांग और सिंगापुर जैसे करमुक्त बन्दरगाहों में विदेशी वस्तुओं का आयात अबाध रूप से किया जा सकता है और बिना सीमा शुल्क दिये उन वस्तुओं को विभिन्न स्थानों पर उपभोग के लिये ले जाया जा सकता है। परन्तु अबाध व्यापार क्षेत्र ऐसा स्थान होता है जो बन्दरगाहों और हवाई अड्डों पर अलग कर दिया जाता है जहां अबाध रूप से विदेशी माल का आयात किया जा सकता है और उसे तैयार करके पुनः विदेशों को निर्यात किया जा सकता है परन्तु इन वस्तुओं को सीमा शुल्क के घेरे से बाहर लाकर अन्य स्थानों पर तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक कि सरकार द्वारा लागू किये गये प्रभार और सीमा शुल्क नहीं दे दिये जाते।

रेडियो-धर्मिता

†१४८०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इक़बाल सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अगस्त, १९५८ की समाप्ति तक रेडियो-धर्मिता का उच्चतम स्तर क्या सूचित किया गया ; और

(ख) क्या यह लोक-स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) और (ख). ३ अप्रेल, १९५८ को श्री हरिश्चन्द्र माथुर के तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ के उत्तर में बताया गया था कि दिल्ली में अधिकतम रेडियो-धर्मिता अप्रैल, १९५७ में थी। यह १८.७ माइक्रोमाइक्रो क्यूरीज़ प्रति घन फुट वायु थी जो कि अधिकतम स्वीकार्य सीमा से कम थी। उसके बाद स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर सम्बन्धी प्रलेखीय चित्र

†१४८१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वाजपेयी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ३ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर के जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित प्रलेखीय चित्र का निर्माण करने के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** यह निश्चय किया गया है कि श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर सम्बन्धी चलचित्र के निर्माण का काम श्री सत्यजीत राय को सौंप दिया जाये। १९६१ में मनाये जाने वाले टेगोर जन्म शताब्दी समारोह के पूर्व चलचित्र तैयार किया जाना है।

दण्डकारण्य योजना

†१४८२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री रा० चं० माझी :
श्री बर्मन :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री २२ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दण्डकारण्य को कृषि योग्य बनाने के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** समस्त दण्डकारण्य को नहीं बल्कि दूसरे कुछ चुने हुए क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया जा रहा है।

भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य फ़ासगांव क्षेत्र में हो रहा है। प्रथम गांव का निर्माण किया गया है और अभी तक २०० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जा चुकी है।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†१४८३. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमेटेड ने हाल ही में पश्चिमी जर्मनी से ६०,००० टन नाइटरोजनस उर्वरक खरीदा है ;

(ख) यह खरीद वस्तु विनिमय के आधार पर की गई है ;

(ग) क्या यह सब भारतीय जहाज़ों में लाया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो जो भाड़े की दर तय हुई है क्या वह प्रतिस्पर्धात्मक तथा देश के लिये लाभप्रद है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

काम दिलाऊ दफ्तर

†१४८४. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री साधू राम : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक विभिन्न राज्यों के काम दिलाऊ दफ्तरों में कुल कितने साक्षर और निरक्षक व्यक्ति पंजीबद्ध थे ;

(ख) उक्त अवधि में कितने लोगों को रोज़गार दिलाया गया ; और

(ग) क्या सरकार ने काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध बेरोज़गार लोगों को शीघ्र नौकरी दिलाने के बारे में कोई योजनायें बनाई हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). जानकारी नीचे दी जाती है :—

मद	मैट्रिक और अधिक शिक्षा प्राप्त		अन्य	
	१९५७-५८	१९५८ (अप्रैल-जून)	१९५७-५८	१९५८ (अप्रैल-जून)
१	२	३	४	५
पंजीपन	५,५३,५७५	१,६५,१८७	१३,१३,६१०	३,६७,२३६
नौकरियां दिलाना	६७,२७६	१७,३१५	१,३६,१३१	४१,८९६

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बेरोज़गार लोगों को काम पर लगाने की योजनायें बनाई गई हैं ।

स्वास्थ्य बीमा निगम

†**१४८५. श्री दामानी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में कर्मचारियों के राज्य बीमा निगम के अधीन स्वास्थ्य बीमे के लिये कितनी राशि जमा की गई ;

(ख) उक्त अविध में कितना खर्च किया गया है ; और

(ग) कितनी राशि शेष बची हुई है और इसे किस प्रकार खर्च करने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) ६,६७,११,४८५ रुपये ।
(ख) ४,३७,९९,६९७ रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १३,९०,९१,५७५ रुपये (१९५७-५८ की समाप्ति तक)

फाल्तू राशि उन व्यक्तियों के लिये जिन्होंने बीमा कराया है अस्पतालों के निर्माण, वर्तमान अस्पतालों की इमारतों के विस्तार और डिसपैंसरियां बनाने पर खर्च की जायेगी।

राज्यों को साहयता

†१४८६. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार ने १९५७-५८ में कितनी सहायता दी है ; और

(ख) सहायता के रूप में दी गई राशि के व्यय पर नियंत्रण रखने के लिये केन्द्रीय सरकार ने यदि कोई व्यवस्था की है तो वह क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**

(ख) भारत सरकार का सहायतार्थ दी गई राशि के व्यय पर कोई नियन्त्रण नहीं है क्योंकि खर्च राज्य सरकार को करना होता है। परन्तु जब कभी किसी विशेष योजनाओं के लिये रुपया दिया गया होता है तब राज्य सरकारों से वास्तविक व्यय की सावधिक सूचना प्राप्त करके यह सुनिश्चय कर लिया जाता है कि जिस प्रयोजन के लिये सहायता दी गई थी उसी के लिये खर्च की जा रही है।

बेलोनिया की शरणार्थी बस्तियां

†१४८७. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शरणार्थी माहीगीरों के लगभग १५० परिवार बेलोनिया, त्रिपुरा की शरणार्थी बस्तियों में रह रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस समय उनकी आय का क्या साधन है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन लोगों के पुनर्वास के लिये मीनक्षेत्रों की विकास की कोई योजना बनाई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) जी, हां।

(ख) इस समय उनका मुख्य व्यवसाय काश्त करना है जिस के लिये प्रत्येक परिवार को दो एकड़ भूमि दी गई है। इसके अतिरिक्त वे विकास कार्य करते हैं ; नदियों और तालाबों से मछली पकड़ते है ; और सूखी मछली का कारबार करते हैं।

(ग) अभी कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। दो क्षेत्र जिनका कुल क्षेत्रफल ११.३६ एकड़ हैं मीनक्षेण के विकास के लिये चुने गये हैं और एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिये त्रिपुरा पुनर्वास विभाग उनका सर्वेक्षण कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पान की काश्त

†१४८८. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने एक योजना प्रस्तुत की थी कि बेलोनिया शरणार्थी बस्तियों में पान की काश्त शुरु की जाये जिस से कि विस्थापित परिवारों का ठीक तरह से पुनर्वास हो जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख). दिसम्बर १९५६ में त्रिपुरा प्रशासन के पुनर्वास विभाग ने पुनर्वास मंत्रालय को कुछ योजनायें भेजीं कि विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में पान की काश्त शुरु की जाये परन्तु यह देखा गया कि इन योजनाओं से उन परिवारों का आर्थिकपुन: संस्थापन नहीं हो सकता था इस लिये उनकी स्वीकृति नहीं दी गई ।

पश्चिमी पाकिस्तान से आये लोग

†१४८९. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में अब पक पश्चिमी पाकिस्तान से कितने लोग प्रवजन करके आये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५८ में २,७१९* प्रवजक भारत आये ।

दिल्ली में सरकारी इमारतों के किराये की बकाया राशि

†१४९०. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी इमारतों की कितनी-कितनी राशि निम्नलिखित के पास बकाया है :

(१) सरकारी विभाग (प्रत्येक विभाग के पास)

(२) संस्थाएें ; और

(३) गैर-सरकारी व्यक्ति ; और

(ख) बकाया किराये को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** (क) (१) ३,०३,४५१ रुपये । एक विवरण जिसमें प्रत्येक विभाग के अलग-अलग आंकड़े दिये गये हैं सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(२) १,००,००० रुपये ।

(३) ४,१३,३६८ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*इन आंकड़ों में वे प्रवजक शामिल नहीं हैं जो जुलाई, १९५८ में पंजाब में दाखिल हुए ।

(ख) सरकारी विभागों से पुस्तक समायोजन द्वारा बकाया राशि वसूल कर ली जायेगी। जहां विकलन की स्वीकृति में बहुत अधिक विलम्ब हो चुका है वहां सम्बन्धित विभागों से बातचीत चल रही है। गैर-सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों से या तो प्रतिभूतियों द्वारा या प्रमाणपत्र कार्यवाही के द्वारा और सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत निवासियों की बेदखली) विधेयक, १९५८, जो संसद् द्वारा अधिनियमित किया जा रहा है, के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह किराये की बकाया राशि वसूल की जायेगी।

भारत सेवक समाज

†१४९१. { **श्री दलजीत सिंह :**
श्री ओंकार लाल : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५८–५९ में प्रत्येक राज्य के भारत सेवक समाज को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) क्या सन् १९५७–५८ में राज्यों के भारत सेवक समाजों ने जो कार्य किया है उसकी कोई रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त हुई है।

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) सन् १९५८–५९ में दिल्ली प्रदेश के भारत सेवक समाज को योजना आयोग ने निम्नलिखित सहायता-अनुदान दिये हैं :—

योजना का स्वरूप	मंजूर की गई रकम
(१) दिल्ली की गंदी बस्ति वाले क्षेत्रों में सामाजिक तथा आर्थिक सुधार के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने और उसे सक्रिय बनाने के लिये विशाल परियोजना	११,५०० रुपये
(२) दिल्ली के शहरी क्षेत्र में १० युवक योजना कलब शुरू करके राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने की विशाल योजना	८२५ रुपये
कुल	१२,३२५ रुपये।

(ख) चूंकि भारत सेवक समाज सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करता, अतएव १९५७–५८ में राज्यों में समाज द्वारा किये गये कार्य की रिपोर्टें आने का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु फिर भी योजना आयोग ने भारत सेवक समाज से उन योजनाओं के काम की रिपोर्ट मांगी थी जिनके लिये सन् १९५७–५८ में अनुदान दिया गया था और इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी प्रतिनिधिमंडल

†१४९२. { **श्री दलजीत सिंह :**
सरदार इक़बाल सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५७–५८ में कितने विदेशी प्रतिनिधि मंडल सरकारी तौर पर भारत आये थे;

(ख) उन प्रतिनिधि मंडलों के आने का क्या उद्देश्य था ;

(ग) जिन देशों के प्रतिनिधि मंडल आये थे, उनके क्या नाम हैं ; और

(घ) प्रत्येक पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ५४ ।

(ख) से (घ). जो जानकारी प्राप्त है वह लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण से मिल सकती है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१**]

हथकरघों का पंजीयन

†**१४९३. श्री जगन्नाथ राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे भारत में हथकरघों के पंजीयन का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) अभी तक कुल कितने हथकरघों को पंजीयित किया गया है खास तौर पर उड़ीसा में उनकी कुल कितनी संख्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) ६ अगस्त, १९५८ तक पंजीयित किये गये कुल हथकरघों की संख्या २४,२३,८२५ है। इन में से उड़ीसा राज्य में पंजीयिन के लिये दर्ज किये गये हथकरघों की संख्या १,०८,५५३ है।

भारतीय पदाधिकारी का पाकिस्तान से वापस बुलाया जाना

१४९४ { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री स० म० बनर्जी :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री ले० अचौ० सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त के प्रथम सचिव श्री ए० के० सेन को वापस बुलाने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि श्री ए० के० सेन ने उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया था। हमने पाकिस्तान को बताया कि यह बात सच नहीं है, लेकिन आम राजनयिक व्यवहार के अनुसार श्री ए० के० सेन को वापस बुला लेने के अलवा हमारे पास कोई और चारा नहीं था।

तिलहन, चाय और जूट का निर्यात

†**१४९५. श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक तिलहन, चाय और जूट का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

चाय का उत्पादन

†**१४९६. श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक चाय की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : पिछले दो वर्षों में हर साल चाय उद्योग को लगभग ८०,००० टन उर्वरक दिये गये थे और चालू वर्ष में भी इतने ही उर्वरक देने का प्रयत्न किया जा रहा है। अच्छे किस्म के बीजों और कीड़े मारने वाली दवाओं के वितरण का भी प्रबन्ध किया जा रहा है ?

उड़ीसा राज्य का सीमेंट का कोटा

†**१४९७. श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५८–५९ के लिये उड़ीसा राज्य को सीमेंट का कितना कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) उड़ीसा ने अब तक कितनी सीमेंट ले ली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). १–४–१९५८ से ३०–९–१९५८ तक की अवधि के लिये ८९,७०० टन सीमेंट उड़ीसा को बांट में दी गई थी परन्तु १–१०–१९५८ से ३१–३–१९५९ तक का निर्धारण अभी देय नहीं है। इस निर्धारण में से जुलाई सन् १९५८ के अन्त तक उड़ीसा ने ३१,४५८ टन सीमेंट ले ली है।

मनीपुर में नागा विद्रोही

†**१४९८. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि छः सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने २९ जुलाई, १९५८ को कोहिमा और माओ के बीच के स्थान पर चार माल से लदे हुए असैनिक ट्रकों पर आक्रमण किया था और उन्हें लूटा था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : रिपोर्ट से पता चलता है कि २९ जुलाई, १९५८ को कुछ नागा आक्रमणकारियों ने खोईजुमा (नागा पहाड़ियां) के पास तीन असैनिक मोटरगाड़ियों और एक सरकारी मोटर गाड़ी पर आक्रमण किया था और उन्हें लूटा था। इस से लगभग ४७३ रुपये की हानि हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी क्वाटरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेने वाले लोग

†१४९९. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५६ में दिल्ली राज्य को ऐसे निदेश दिये गये थे कि वह सरकारी क्वाटरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेने वाले लोगों को दूसरी जगह दे ।

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** मार्च १९४९ में यह तय किया गया था कि ११ दिसम्बर १९४८ के पहिले जिन विस्थापित व्यक्तियों ने सरकारी स्थानों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है उन्हें निष्कासन के पहले दूसरा स्थान दिया जाये । इस प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों को दूसरा स्थान देने का कार्य १ सितम्बर, १९५४ तक एस्टेट आफिस कर रहा था और उस के बाद वह काम दिल्ली राज्य के आवास तथा किराया अधिकारी को हस्तांतरित कर दिया गया है । इस बारे में कोई निदेश नहीं दिया गया ।

आयात लाइसेंस सम्बन्धी नीति

†१५००. **श्री पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अक्तूबर, १९५८ से प्रारम्भ होने वाले आगामी छः महीनों में आयातों के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की कुल राशि को अन्तिम रूप से विनिश्चित कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह कितनी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) :** (क) अभी तक नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में सूत कातने की मिल

†१५०१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में, सूत कातने की मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित की जायेगी;

(ग) क्या एक सूत कातने की सहकारी मिल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण संख्या १ रखा जाता है जिस में यह बताया गया है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१, के अधीन किन सूत कातने वाली मिलों को लाइसेंस दिया गया है या दिये जाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ग) और (घ). सभा-पटल पर एक विवरण (संख्या २) रखा जाता है जिस में यह बताया गया है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन किन सूत कातने की सहकारी मिलों को लाइसेंस देना स्वीकृत हो गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अमेरिका को चाय का निर्यात

†१५०२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में हर साल अमेरिका को निर्यात की गई चाय की मात्रा और कीमत क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४**]

आन्ध्र प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†१५०३. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों पर कुल कितनी रकम खर्च किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) दूसरे राज्यों में प्रस्तावित खर्च की तुलना में यह कैसा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). योजना आयोग ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों पर अनुमानित विनियोजन के राज्यानुसार वर्गीकरण का हिसाब नहीं लगाया। इस प्रकार के अनुमान संभव भी नहीं हैं क्योंकि पांच वर्षों में गैर-सरकारी उद्योग कर्ताओं के इरादे क्या होंगे, यह अनिश्चित ही है। इस का अनुमान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंसों के आवेदन पत्रों से भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि विनियोजन के बारे में बहुधा पूरी तथा सही जानकारी नहीं दी जाती है और बहुत से मामलों में कुछ कारणों से परियोजनायें शुरू ही नहीं की जाती।

पाकिस्तान जाने वाले तीर्थ यात्री

†१५०४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक भारत के कितने तीर्थ यात्री पाकिस्तान के धार्मिक मेलों में गए हैं ;

(ख) पाकिस्तान सरकार भारतीय तीर्थयात्रियों को क्या सुविधायें देती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और ज्यों ही प्राप्त हो जाएगी त्यों ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

†१५०५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग पर भारत ने कितना रुपया खर्च किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के बनने से लेकर मई, १९५८ तक भारत ने कुल ६१,८०,२४८ रुपये, ८३ नये पैसे खर्च किये हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इस में से ३६,६५,४३७ रुपये, ६२ नये पैसे की रकम जेनेवा शक्तियों से वसूल की जानी है क्योंकि भारत ने उनकी ओर से यह रकम खर्च की है।

इन आंकड़ों में फेर बदल होने की गुंजाइश है क्योंकि अभी कुछ प्रतिरक्षा प्राधिकारों से आंकड़े प्राप्त होने हैं।

मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†१५०६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २५ अप्रैल, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना बनाने में कितनी प्रगति हुई है।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है। उन में से कुछ के विचार मालूम हो गये हैं। ज्योंही शेष राज्य अपनी टीका टिप्पणी भेज देंगे त्योंही इस मामले की आगे की कार्यवाही की जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों का केन्द्रीय बोर्ड

†१५०७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री २२ नवम्बर, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस में किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) बोर्ड ने क्या निर्णय किये और क्या सिफारिशें की हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). २४ मार्च १६५८ को हुई बोर्ड की बैठक की कार्यवाही तथा निर्णयों/सिफारिशों की एक एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५]**

सिन्दरी में भारी पानी का उत्पादन

†१५०८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी में भारी पानी के उत्पादन के सम्बन्ध में जो अध्ययन हो रहा था उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** इस समस्या की अभी भी परीक्षा की जा रही है और इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय होने में अभी कुछ समय लगेगा।

अफगानिस्तान से मेवों[1] का आयात

†१५०६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५७–५८ में अफगानिस्तान से मेवों की कितनी मात्रा आयात की गई है और उस की क्या कीमत है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में
[1]Dry fruits.

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५७ में अफगानिस्तान से १७,१२३ टन मेवा आयात किया गया था और उस की कीमत ३,३४,२८,००० रुपये है। तथा जनवरी--अप्रैल १९५८ में ५,८३१ टन मेवा आयात किया गया था और उस की कीमत १२,८५,००० रुपये है ।

रोक लगाये गये चलचित्र[1]

†**१५१०. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक १९५८ में जिन चित्रों को प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दिया गया है, उनकी संख्या क्या है; और

(ख) उन के क्या नाम हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). १-१-१९५८ से २२-८-१९५८ तक केन्द्रीय चलचित्र निर्वाचन बोर्ड ने निम्नलिखित चलचित्रों को प्रदर्शन का प्रमाण पत्र नहीं दिया :

क्रमांक	चलचित्र का नाम
१	गोल्डन गैंग (हिन्दी)
२	जासूस (हिन्दी)
३	बोले तैसा न चाले (पुनरीक्षित मराठी)
४	स्पीड क्वीन (हिन्दी)
५	शरारत (हिन्दी)
६	सवेरा (हिन्दी)
७	मिलियन्स वेट (अंग्रेजी)

विदेशी चलचित्र :

८	'दि नेकड स्ट्रीट ' और ट्रेलर
९	'शार्ट कट टू हेल' और ट्रेलर
१०	'दि ब्लैक स्कार्पियन' और ट्रेलर
११	'जाइन्ट क्ला' और ट्रेलर
१२	'यू० एन० ओ० रिपोर्ट आन हंगरी'
१३	'दि बास' और ट्रेलर
१४	'जेट पाइलट'
१५	'बेर्ड लेन्ड्स आफ मन्टाना'
१६	'समर लव' और ट्रेलर
१७	'दि डियरस्लेयर' और ट्रेलर
१८	'पेटन प्लेस' और ट्रेलर
१९	'दिस इज एसिया' और ट्रेलर
२०	'दि मान्स्टर देट चेलन्ज्ड दि वर्ल्ड' और ट्रेलर

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Banned Films.

क्रमांक	चलचित्र का नाम
	विदेशी चलचित्र—जारी
२१	'दि क्लाइट अमेरीकन' और ट्रेलर ।
२२	'डिजायर अंडर दि एम्स' और ट्रेलर ।
२३	'दि ग्रीन आइड ब्लोंडे' और ट्रेलर ।
२४	'दि स्लीपिंग टाइगर' और ट्रेलर ।
२५	'फ्लेश एण्ड दि स्पर' और ट्रेलर ।
२६	'रिर्फाफी' ।
२७	'स्कारफेश' (पुनरीक्षित) ।
२८	'गनस्लिंगर' और ट्रेलर ।
२९	'इन्वेजन आफ दि सासर मेन' और ट्रेलर ।
३०	'दि ला एण्ड दि जेक वेड ।'
३१	'बेबी फेस नेलसन' और ट्रेलर ।
३२	'दि रेस्टलेस ब्रीड' ।
३३	'टच आफ ईविल' और ट्रेलर ।
३४	'आइलेंड आफ लास्ट सोल्स' और ट्रेलर ।
३५	'दि लेफ्ट हैंडेड गन' और ट्रेलर ।
३६	'गर्ल्स आन दि लूज' और ट्रेलर ।

जिन में चलचित्रों को पहिले प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दिया गया था और बाद में जिन में आवेदकों द्वारा आवश्यक कांट छांट किये जाने के बाद जिन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन का प्रमाण पत्र दिया गया है उन की संख्या १-१-५८ से २२-८-५८ तक निम्नलिखित हैं :—

१ भला आदमी (हिन्दी)

२ 'ट्वैल्व ओ क्लाक' (हिन्दी)

३ मुजरिम (हिन्दी)

४ तीसरी गली (हिन्दी)

५ तकदीर (हिन्दी)

६ मौसी (हिन्दी)

७ पुलिस (हिन्दी)

८ भोला शिकार (हिन्दी)

९ हथकड़ी (हिन्दी)

१० 'टेन ओ क्लाक' (हिन्दी)

११ गौरी शंकर (हिन्दी)

१२ 'इन ड्रीम लैंड' (छोटा चलचित्र) (हिन्दी)

१३ 'देयर इज टाइम टू लव' की टेस्ट रील ।

फरीदाबाद विकास निगम

†१५११. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** २३ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से फरीदाबाद विकास निगम अधिनियम के अधीन कोई व्यापार निगम स्थापित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निगम में कितने सदस्य हैं और उन के क्या नाम हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). फरीदाबाद विकास निगम के पारित होने के बाद फरीदाबाद में कुछ नई बातें हो गई हैं। नगर की बस्ती का निर्माण प्रायः पूरा हो गया है और सरकार ने इन वर्षों में जो प्रयत्न किये हैं उसके फलस्वरूप बस्ती की अर्थ व्यवस्था में सुधार हो गया है। एक ऐसी अवस्था आगई है जब बोर्ड की विभिन्न गतिविधियां सरकार के सामान्य अभिकरणों को सौंपी जा सकती है। अतएव बुनियादी और उत्तर-बुनियादी स्कूल पंजाब सरकार को हस्तांतरित कर दिये गये हैं और फरीदाबाद का बिजली घर शीघ्र ही इसी राज्य सरकार को सौंप दिया जायेगा। फरीदाबाद के बादशाह खां अस्पताल को भी राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय हो गया है। इस के आगे पंजाब सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि वह फरीदाबाद में नगरपालिका के उन कार्यों की देखरेख करने के लिये एक अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना करे जो कि अब तक बोर्ड के जिम्मे थे।

उपर्युक्त इन बातों के हो जाने के कारण फरीदाबाद में एक निगम स्थापित करने का विचार छोड़ दिया गया है और पंजाब सरकार से यह लिखा पढ़ी चल रही है कि वह बोर्ड के शेष कार्यों और प्रशासन को भी संभाल ले।

जालन्धर सूचना केन्द्र

†१५१२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने अब तक जालंधर सूचना केन्द्र पर कुल कितना रुपया खर्च किया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : जालंधर के सूचना केन्द्र पर जो कि २० जुलाई १९५५ को खोला गया था अब तक निम्नलिखित खर्च हुआ है :—

	रुपये
१९५५–५६	१२,९६९
१९५६–५७	११,७४५
१९५७–५८	१७,९४९ २३ नये पैसे
१९५८–५९ (३१-७-१९५८ तक)	३,९३९ रुपये ७ नये पैसे

सूती मिलों का बन्द होना

†१५१४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९५८ तक जो सूती मिलें बन्द हुई हैं, उन के क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]**

स्थानीय विकास निर्माण कार्य

१५१५. श्री दलजीत सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक १९५८ में पंजाब के प्रत्येक जिले में स्थानीय विकास निर्माण कार्यों के लिये जो योजनायें बनाई गई हैं, उनका क्या स्वरूप है; और

(ख) योजनाओं का कुल खर्च क्या है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : अपेक्षित जानकारी इकटठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नांगल फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये मशीनें

†**१५१६. श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड को मशीनें खरीदने के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) मशीनें देने वाली फर्मों अथवा भारत में उनके अभिकर्ताओं के क्या नाम हैं और प्रत्येक फर्म कितने मूल्य की मशीनें देने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) भारत सरकार ने अब तक नंगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के उर्वरक—भारी पानी परियोजना के हेतु मशीनरी खरीदने के लिये चार बड़े प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इससे सम्बन्धित कुल लागत १४९५.१६ लाख रुपये है —

(ख)

दिया जाने वाला उपकरण	देने वाली फर्म का नाम	भारत के अभिकर्ता का नाम	ठेके की कीमत
			लाख रुपये
इलेक्ट्रोलाइज़र संयंत्र	मेसर्स ओरनजिओ डिनोरा, इटली ।	कोई नहीं	३६३.७०
उर्वरक संयंत्र समूह की मशीनरी	मेसर्स सेंट गोबिन, पेरिस	कोई नहीं	८४९.४९
बिजली का उपकरण	मेसर्स इंग्लिश इलेक्ट्रिक कम्पनी, यू० के० ।	मेसर्स इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी बम्बई ।	२२३.७९
इलेक्ट्रोलिसिस संयंत्र के लिये पुर्जे और सहायक मशीनें ।	मेसर्स ओरनजिओ डिनोरा, इटली ।	कोई नहीं ।	५८.१८
	कुल . . .		१४९५.१६

†मूल अंग्रेजी में

सीमा विवाद

†१५१७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, १९५८ में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सरकारी रूप से अखौरा में ऐसी बैठक हुई थी जिसमें आसाम से त्रिपुरा के भारतीय संघ राज्य-क्षेत्र को जाने वाले मार्ग पूर्वी पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या निर्णय हुये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान-सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक १७ अगस्त, १९५८ को अखौरा में हुई थी जिसमें लक्ष्मीपुर की घटना पर चर्चा की गई थी। इसके पहिले कि उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने बैठक में यह घोषणा कर दी कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान—त्रिपुरा सीमा को तोड़ने का निर्णय कर लिया है।

पूर्वी पाकिस्तान त्रिपुरा सीमा के टूट जाने से पूर्वी पाकिस्तान से हो कर जाने वाला आसाम—त्रिपुरा मार्ग खुल गया है।

सीमा दुर्घटनायें

†१५१८. **श्री बाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर ऐसी कितनी दुर्घटनायें हुई हैं जिनमें भारतीय राष्ट्र जनों को धान की फसल काटने से रोका गया है ;

(ख) इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाये जाने के कारण किसानों को होने वाली साधारण अड़चनों को छोड़कर केवल दो विशेष दुर्घटनायें हुई हैं।

(ख) ११ जुलाई, और फिर उसके बाद २० जुलाई, १९५८ को पाकिस्तानी सेनाओं ने आसाम—पूर्वी पाकिस्तान सीमा के लाटू के समीप उटिटे का गांव के भारतीय किसानों को धान की फसल काटने से रोकने का प्रयत्न किया था।

(ग) भारतीय सेनाओं ने भारतीय किसानों को आवश्यक रक्षा प्रदान की थी जिसके फलस्वरूप वे अपनी धान की फसलें पाकिस्तानी सेनाओं के हस्तक्षेप के बिना काट सके थे।

हिमाचल प्रदेश में अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†१५१९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ में और १९५८–५९ में अब तक हिमाचल प्रदेश के कितने व्यक्तियों को अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत क़र्ज़ दिया गया है और उनकी प्रत्येक जिले में कितनी संख्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७]**

पंजाब की राज्य योजना

†१५२०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये पंजाब सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों का कोई प्राक्कलन प्रस्तुत किया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : जी, हां। प्राक्कलन की योजना आयोग जांच कर रहा है ?

कानपुर टैक्सटाइल मिल्स

†*१५२१. **श्री काशीनाथ पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर टैक्सटाइल मिल्स में कपड़े के स्टाक के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) कानपुर में बेरोज़गारी की समस्या पैदा करने के लिये यह कहां तक जिम्मेवार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १६ अगस्त, १९५८ को कानपुर टैक्सटाइल मिल्स में लगभग ६२,८७३ गांठ कपड़ा ऐसा था जो कि उस समय तक नहीं बिक सका था।

(ख) कानपुर में कपड़े के स्टाक के इकट्ठे हो जाने के कारण लगभग ३,३०० मज़दूर बेकार हो गये थे। और मैसर्स कानपुर काटन मिल्स के बन्द हो जाने पर ३६,७० और मज़दूर भी बेकार हो गये थे।

पंजाब के लिये उत्पादित परिषद

†१५२२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में एक प्रादेशिक उत्पादिता परिषद् स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब स्थापित किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सामान्य नीति के अनुसार तो देश के सभी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादिता परिषदों प्रादेशिक उत्पादिता परिषदों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार तथा अन्य सभी राज्य सरकारों से सहायता मांगी गयी है। भारत सरकार को ज्ञात नहीं है कि पंजाब में एक स्थानीय प्रादेशिक उत्पादिता परिषद् स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्तापना है या नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूत कातने की मिलें

†१५२३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पंजाब से सूत कातने की मिलों के लाइसेंसों के लिये कुल कितने आवेदन पत्र आये हैं ;

(ख) कितने लाइसेंस दिये गये हैं और किस किस व्यक्ति को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) क्या आवेदनकर्ताओं में कोई सहकारी संस्था भी थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसे लाइसेंस दिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) पंजाब में सूत कातने की नयी मिलों की स्थापना के लिये १-१-१९५६ से ले कर कुल १३ आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८.]**

(ग) और (घ). सहकारी कताई मिलों के लाइसेंसों के लिये ३ आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । तीनों आवेदन-कर्ताओं को बताया गया कि उन्हें तकुए आवंटित किये जा सकते हैं । उनमें से एक आवेदनकर्ता उस प्रस्ताव का उपयोग न कर सका । अन्य दो को लाइसेंस अभी तक नहीं दिये गये हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक टैक्सटाइल मशीनरी के आयात के सम्बन्ध में अपेक्षित शोधन प्रमाण पत्र (क्लीयरेंस सर्टिफिकेट) प्रस्तुत नहीं किया है ।

जीजीभाई समिति

†१५२४. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीजीभाई समिति ने कलकत्ता के लिये यथाकर्म मजूरी योजना के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन पर इस समय विचार किया जा रहा है और उसकी प्रतियां यथासमय संसदीय पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र

†१५२५. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ में १ अगस्त, १९५८ तक कितने भारतीय राष्ट्रजनों से अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ;

(ख) उक्त प्रत्येक अवधि में कितने पारपत्र जारी किये गये थे और कितने आवेदन पत्र अभी तक अनिर्णीत अवस्था में है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) किन किन देशों के लिये पारपत्र देने से इनकार किया गया है और कितने व्यक्तियों को प्रत्येक देश के लिये पारपत्र देने से इनकार किया गया है ; और

(घ) कितने विदेशी राष्ट्रजनों को भारत में आने के लिये बीसा देने से इनकार किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

पाकिस्तान जाने के लिये पारपत्र

†१५२६. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ में १ अगस्त, १९५८ तक राज्य वार कितने भारतीय राष्ट्रजनों ने पाकिस्तान जाने के लिये पारपत्र जारी करने के लिये आवेदन पत्र भेजे ;

(ख) कितने व्यक्तियों को पाकिस्तान के लिये पारपत्र देने से इनकार किया गया ;

(ग) उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिये वीसा देने से इनकार किया गया ; और

(घ) उक्त अवधि में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को भारत में प्रवेश करने के लिये बीसा देने से इनकार किया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जावाहरलाल नेहरू):** (क), (ख) और (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) यह जानकारी तो पाकिस्तान सरकार से ही उपलब्ध हो सकती है ।

स्थायी श्रम समिति

†१५२८. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थायी श्रम समिति की आगामी बैठक कब होगी ; और

(ख) उसका स्थान क्या होगा और उसकी कार्यावलि क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). अभी इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है ।

स्थगन प्रस्ताव

केरल में स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री अशोक मेहता व श्री जाधव की ओर से केरल की स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अपने प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि केरल में राजनीतिक कारणों से लोगों को मारा जा रहा है और कम्युनिस्टों की इन कार्यवाहियों से राज्य में असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है और शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है । मैं यह जानना चाहूंगा कि वे

---

†मूल अंग्रेजी में

किस आधार पर यह कहते हैं कि यह सब राजनैतिक कारणों से हो रहा है। और उसके लिये उनके पास क्या प्रमाण है ?

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : आज प्रातः मुझे त्रिचूर के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री कुरूर नम्बूदरीपाद से एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने एक कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्त्ता श्री पी० एन० वेलायुधन करमुक्कु पर मलालूर गांव में कम्युनिस्टों द्वारा छुरे से घातक प्रहार का उल्लेख किया है। तार में कहा गया है कि उनकी इस समय बड़ी गम्भीर दशा है। इससे कुछ देर पहले मुझे केरल विधान सभा में कांग्रेस दल तथा विरोधी पक्ष के नेता श्री पी० टी० चाको का भी एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि कुछ कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं ने छुरियों, चाकुओं व अन्य घातक अस्त्रों से लैस होकर कल रात विधान सभा के सदस्य, श्री जार्ज जोसेफ के मकान पर धावा किया है। कल ही मुझे केरल में प्रजा सोशलिस्ट दल के एक सदस्य, श्री जनार्धन द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि कम्युनिस्ट लोग कैसे खुले आम उनकी जान लेने पर तुले हुए हैं। उन्होंने मुझे त्रिचूर जिला के कलेक्टर को लिखी हुई एक चिट्ठी व एक स्थानीय अखबार की कतरन भी भेजी है। यह कतरन एक मलयालम अखबार "कोचीन एक्सप्रेस" की है। उन्होंने अपने पत्र में कलक्टर से कहा है कि उनके खिलाफ कम्युनिस्टों ने षड्यन्त्र रचा है और उनकी जान ख़तरे में है। उसमें कहा गया है कि आपने मेरी सुरक्षा और मेरे बाल बच्चों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। उन्होंने कई और घटनाओं की ओर उनका ध्यान दिलाया और कहा है कि इन सब बातों पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की है।

इस प्रकार ये चिट्ठियां व तार वहां की स्थिति के कुछ नमूने हैं। मैं समझता हूं ऐसे तार इत्यादि कई अन्य सदस्यों को भी मिले होंगे। केरल में आये दिन राजनीतिक डकैतियों, हत्याओं व छुरे बाज़ी के समाचार अख़बारों में छपते रहते हैं जो कि इस सभा के सदस्यों को भली भांति विदित हैं।

मैं समझता हूं केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद २५६ के अनुसार वहां के प्रशासन को उचित निर्देश देने में असफल रही है जिसके कारण हमारे संविधान के अन्तर्गत जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने की प्रत्याभूतियों का वहां की सत्तारूढ़ सरकार द्वारा स्पष्टतया उल्लंघन किया जा रहा है। वहां पर लोगों में असुरक्षा की भावना फैल रही है और संविधान के अनुच्छेद ३५५ और ३५६ द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का दिन दहाड़े उल्लंघन किया जा रहा है और नागरिकों को प्राथमिक स्वतन्त्रताओं से भी वंचित रखा जा रहा है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह सभा अपना काम स्थगित करके केरल की स्थिति पर विचार करे और केन्द्रीय सरकार को संविधान के अनुसार केरल की राज्य सरकार को उचित निर्देश देने का सुझाव दे ताकि वहां के लोगों के मनों से त्रास और आशंका की भावना दूर हो सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ये दृष्टान्त कानून और व्यवस्था से सम्बन्ध नहीं रखते ?

†**श्री अशोक मेहता** : नहीं, श्रीमान्, वहां पर एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कदाचित् माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि यद्यपि ये दृष्टान्त कानून और व्यवस्था सम्बन्धी हैं मगर वहां की सरकार इन घटनाओं को देखने के लिये कोई काम नहीं कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अशोक मेहता:** जी हां मेरा यह कहना है कि पिछले १६ महीने से ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम आप को अनेक ऐसे दृष्टान्त दे सकते हैं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य यह बता सकते हैं कि यह विषय स्थानीय सरकार के ध्यान में लाये गये थे ?

†**श्री अशोक मेहता :** जी हां । अभी मैं ने आप को एक पत्र व तार पढ़ कर सुनाये हैं । इन सबसे यही सिद्ध होता है कि स्थानीय सरकार को इन सब चीजों का पता है । जब स्थानीय सरकार लोगों को उचित सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती तो स्वभाविक है कि लोग केन्द्रीय सरकार की ओर मुड़ें और जब वह भी यह सुरक्षा नहीं प्रदान करेगी तब इस सभा को पूर्ण अधिकार है कि वह उसकी आलोचना करे ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो०ब० पन्त):** श्रीमान्, मैंने अपने माननीय मित्र के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना है । उन्होंने कई दृष्टान्त हमारे सम्मुख प्रस्तुत किये हैं । किन्तु वे सभी दृष्टान्त कानून व व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले हैं । यद्यपि हमें यह सुन कर बड़ा खेद व दुख हुआ है कि अनेक व्यक्तियों पर घातक प्रहार किये गये हैं तथापि क्योंकि ये सब घटनाएं कानून व व्यवस्था से सम्बन्ध रखती हैं इसलिये उनके आधार पर यहां पर स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है ।

मेरे मित्र ने कहा है कि ये घटनाएं संविधान की विफलता की स्थिति की द्योतक हैं अगर हम एक मिनट के लिये उनके कथन को स्वीकार भी कर लें तब भी हम कह सकते हैं कि इन थोड़ी सी घटनाओं से हम ऐसा नतीजा नहीं निकाल सकते और इस प्रकार की घटनाओं के आधार पर स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता । स्थगन प्रस्ताव किसी एक विशेष घटना के सम्बध में ही रखा जा सकता है । मेरे मित्र ने यह कहा है कि केरल का प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं हो रहा है । तो ये कोई एक घटना नहीं है जबकि स्थगन प्रस्ताव केवल एक विशेष घटना के आधार पर ही रखा जा सकता है ।

मुझे भी इस प्रकार की घटनाओं के सम्बध में तार व पत्र प्राप्त होते रहे हैं । उनमें से कुछ मामलों को मैंने वहां के मुख्य मन्त्री के पास भेज दिया है और कुछ मामले गृह मन्त्रालय ने वहां भेजे हैं । इनमें से कुछ मामलों के बारे में हमें केरल सरकार से उत्तर भी प्राप्त हुए हैं । शेष मामलों के उत्तरों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

केरल में अनेक समाचार पत्र हैं । उनमें यदा कदा ऐसे समाचार प्रकाशित होते रहते हैं जिन्हें पढ़ कर हम सब को दुःख व चिन्ता हो जाती है । किन्तु इन कुछ घटनाओं से हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वहां पर संविधान विफल हो गया है अथवा वहां की सरकार के लिये अब केन्द्र में से निर्देश भेजने जरूरी हो गये हैं । जहां तक कानून व व्यवस्था का सम्बन्ध है यह केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

अन्य स्थानों पर भी लूट व कत्ल की वारदातें होती रहती हैं । हमारे सामने यह प्रश्न है कि इन सबके लिये यह सरकार कहां तक जिम्मेवार है? वारदातें होती हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार की घटनाओं के लिये राज्य सरकार हमेशा जिम्मेवार हो । जहां तक हमारा ताल्लुक है हमारा इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । किन्तु जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि सरकार को संविधान के अनुसार चलना चाहिये अथवा वहां के प्रशासन को अपने हाथ में लेने अथवा उसे अनुचित निर्देश

†मूल अंग्रेजी में

देने चाहियें ये सब बातें निश्चय ही हमारे क्षेत्राधिकार में हैं। किन्तु इन थोड़ी सी घटनाओं के आधार पर यह निश्चय कर लेना कि अब हमारे इस प्रकार के कदम उठाने का समय आ गया है बड़ा कठिन है। ये थोड़ी सी घटनाएं इस प्रकार के कदम उठाने के लिये अपर्याप्त हैं। इसलिये यह विषय किसी भी हालत में स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता।

मुझे इन के सम्बन्ध में केरल सरकार से एक टिप्पण प्राप्त होने की आशा है। किन्तु मुझे अभी तक वह नहीं मिला है। जहां तक इन विशेष घटनाओं का सम्बन्ध है मैं अभी यह नहीं बता सकता कि इनके सम्बन्ध में केरल सरकार का क्या कथन है। मेरा विचार है माननीय सदस्य ने जो वक्तव्य दिया है ये बातें सम्भवतया केरल सरकार तक नहीं पहुंची हैं।

इसलिये मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति में सभा के नियमों के अनुसार यह स्थगन प्रस्ताव नियमों के अनुकूल नहीं है।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय) **:** श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष परिस्थितियों के कारण इस विषय पर वाद-विवाद के लिये स्थगन प्रस्ताव के स्थान पर एक पूरा दिन दिया जाना चाहिये।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** (नई दिल्ली) : श्री अशोक मेहता के वक्तव्य से यह प्रकट होता है कि यह घटनाएं यदा कदा होने वाली घटनाएं नहीं हैं। यदि ये कभी कभी होने वाली घटनायें हों तब तो इसे कानून व व्यवस्था सम्बन्धी मामला कहा जा सकता है। किन्तु यदि केरल राज्य के लोग १६ महीनों से इस प्रकार की स्थिति में रह रहे हैं और वे आज अपने जीवन व सम्पत्ति को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं तब निश्चय ही यह विषय केन्द्रीय सरकार के विचार के योग्य है और संसद् को उस के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। संसद् तथा केन्द्रीय सरकार देश में संविधान के अनुसार शासन चलाने के लिये उत्तरदायी है और लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने का उस पर पूरा जिम्मा है। यदि आज केरल के लोगों के मूलभूत अधिकार सुरक्षित नहीं हैं तो इस सभा को वहां की स्थिति पर विचार करने का पूरा अधिकार है। इसलिये मैं चाहती हूं कि इस विषय के लिये पूरा एक दिन दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस समय हमारे सम्मुख एक बड़ी गम्भीर घटना का उल्लेख किया गया है। यह कहा गया है कि कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं ने श्री वेलायुधन नामक एक व्यक्ति को बुरी तरह घायल कर दिया है और वह आज बड़ी गम्भीर दशा में है। किन्तु जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, यह निश्चय करने के लिये कि क्या कोई स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं तीन बातों की आवयकता होती है। एक विषय का बड़ा गम्भीर तथा सार्वजनिक होना; दूसरे इसका तत्कालीन घटना से सम्बन्धित होना; और तीसरे इसमें सरकार की ओर से किसी त्रुटि का होना। अन्यथा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जहां तक 'छुरा घोंपने' की घटना का सम्बध है यह कानून व व्यवस्था सम्बन्धी विषय है। इस नाते यह विषय राज्य सरकार के विचार का विषय बन जाता है। किन्तु यहां पर यह गम्भीर आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार जो कि कानून व व्यवस्था के लिये जिम्मेवार है उसका स्वयं इन घटनाओं में हाथ है। इसके प्रमाण में ऐसी घटनाओं के सिलसिलेवार घटने के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। वैसे तो कहीं पर भी इक्के दुक्के कत्ल की घटनाएं हो सकती हैं। मगर यह घटनाएं प्रायः परस्पर वैमनस्य या कुछ जाति कारणों से घटित होती हैं। परन्तु आज जो घटना हमारे सामने रखी

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

गई है इसमें दो राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। एक ओर शासन चलाने वाले सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति हैं और दूसरी ओर विरोधी पक्ष अर्थात् कांग्रेस प्रजा समाजवादी व अन्य दलों के सदस्य हैं। उनमें राज्य की विधान सभा के सदस्य भी शामिल हैं। यदि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ हो तो निश्चय ही ऐसे राज्य में नागरिकों का जीवन बड़ा कष्टप्रद बन जाता है। इसलिये यह स्थिति बड़ी गम्भीर है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस बात पर सहमत हूं कि ये घटनाएं इस बात के लिये पर्याप्त नहीं हैं कि केवल इनके आधार पर राज्य सरकार के मामलों में हस्तक्षेप किया जा सके। परन्तु फिर भी उन्हें ऐसी सब घटनाओं को एक साथ रख कर गौर करना चाहिये कि क्या इनके प्रकाश में राज्य सरकार को कुछ निर्देश देना आवश्यक है अथवा नहीं। क्योंकि यह बात निश्चित है कि इन घटनाओं को किन्हीं व्यक्तियों के बीच निजी झगड़ा नहीं समझा जा सकता है। ये साधारण प्रकार की घटनाएं नहीं हैं। इस प्रकार की सब घटनाएं मिला कर देखने से ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य सरकार को उचित निर्देश दे। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि केवल यही घटनाएं जिनका कि आज उल्लेख किया गया, केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के लिये पर्याप्त हैं अथवा नहीं, जब तक हमें गृह मन्त्री यह न बता दें कि ये घटनाएं सत्य हैं अथवा नहीं। माननीय गृह मन्त्री को इन घटनाओं की सूचना भी केरल सरकार के पास भेज देनी चाहिये और फिर पूरी जानकारी का इन्तज़ार करना चाहिये। यह तो हुई एक बात।

दूसरे यह दोष लगाया गया है कि स्थानीय सरकार ने ऐसी घटनाओं में कोई कार्यवाही नहीं की है। इसके प्रमाण में एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। मैं चाहता हूं इन सब बातों की सत्यता की जांच की जाये? यदि ऐसी घटनायें लगातार होती हैं और उनकी सचाई सिद्ध होती है तब निश्चय ही इस प्रश्न को यहां उठाया जा सकता है।

जहां तक यह प्रश्न है कि क्या ऐसी घटनाओं को स्थगन प्रस्ताव का विषय बनाया जा सकता है मैं समझता हूं इस प्रकार के विषय को स्थगन प्रस्ताव द्वारा उठाना उचित नहीं होगा। इस मामले में हमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये वरना सरकार पर यह दोष लगाया जा सकता है कि उसने राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करके संघीय संविधान का उल्लंघन किया है। इन विषयों पर विचार करने के लिये हमें सरकार को उचित समय देना चाहिये। इस लिये मैं अभी इस प्रकार के स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दे सकता। इस से कोई लाभ नहीं हो सकता। फिर हम यह भी नहीं कह सकते कि केन्द्रीय सरकार अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही है। प्रारम्भ में सरकार ऐसी घटनाओं को राज्य सरकार को सौंपने के अतिरिक्त और क्या कर सकती है और उसने वह काम कर दिया है।

श्री फ्रेंक एन्थनी ने कहा है कि इस विषय पर वाद विवाद के लिये पूरा दिन दिया जाना चाहिये। एक बार पहले श्री डांगे भी कह चुके हैं कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच क्या सम्बन्ध होने चाहियें इस विषय पर वाद विवाद के लिये एक दिन दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं यह सभा उच्चतम न्यायालय नहीं है। हम यहां पर काल्पनिक विधि-सिद्धान्तों की चर्चा नहीं करते। यहां पर हम वास्तविक घटनाओं के आधार पर ही चर्चा करते हैं। श्री मेनन ने मुझे एक प्रस्ताव भेजा है। मैं उस पर विचार कर रहा हूं। यदि मुझे यह संतोष हो गया कि इस प्रकार की अनेक घटनाएं राजनीतिक कारणों से हो रही हैं और राज्य सरकार उनके निराकरण व ऐसी घटनाओं का शिकार बनने वाले लोगों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है और सचमुच केरल के लोग अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं तब मैं निश्चय ही इस सारी स्थिति पर वाद विवाद के लिये सदस्यों को उचित अवसर देने का प्रयास करूंगा।

इस बीच मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय केरल सरकार को इन सारी घटनाओं से अवगत करा दें तथा उन से इनकी सत्यता आदि के बारे में शीघ्रतिशीघ्र पूछ ताछ कर लें । गृह मंत्री मुझे शीघ्र सूचना दें कि इनके सम्बन्ध में केरल सरकार ने क्या उत्तर दिया है । मैं इन सब चीजों को शीघ्रता से जानना चाहता हूं ताकि मैं इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय कर सकूं । मैं न तो जल्दबाज़ी करके स्थानीय सरकार के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करना चाहता हूं, और न ही जब मुझे यह सन्तोष हो गया कि वहां पर संविधानिक व्यवस्था सचमुच टूट गई है इस सभा के सदस्यों को वहां की स्थिति पर विचार करने से वंचित करना चाहता हूं । इस समय मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : क्या माननीय सदस्य मुझे उन सब पत्रों की एक प्रति देने की कृपा करेंगे जो कि उन्होंने पढ़ कर सुनाये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब पत्र सभा पटल पर रख दिये जायें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

संगठन तथा रीति विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, मैं संगठन तथा रीति विभाग के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन (१९५७-५८) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ८८३/५८]

प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत, लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवाएं, १९५७ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ८८४/५८]

(२) प्रतिरक्षा सेवाओं के वर्ष १९५५-५६ के विनियोग लेखे और उनका वाणिज्यिक अनुबन्ध ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ८८५/५८]

ऐसे मामलों का विवरण जिन में इंडिया स्टोर विभाग द्वारा निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : श्रीमान्, म ऐसे मामलों के विवरण की एक प्रति, जिनमें इंडिया स्टोर विभाग, लन्दन ने ३० जून १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही में निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये, सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ८८६/५८]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों में संशोधन

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : श्रीमान्, मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६९९/आर—अमैंडमेंट २५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ८८७/५८]

राजघाट समाधि संशोधन (विधेयक)—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेगी ।

सेठ गोबिन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक राजघाट समाधि के सम्बन्ध में यहां पर उपस्थित किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

कल इस विधेयक के सम्बन्ध में जो बातें कही गईं उनमें सरकार को एक दोष दिया गया था कि उन्होंने इस यादगार के निर्माण में बहुत अधिक समय लगा दिया । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बातों में शीघ्रता होनी ही नहीं चाहिए । सरकार के पास इस समाधि के अनेक नक्शे आये । उनमें विदेशियों ने भी कुछ नक़शे भेजे और हमारे देश के कलाकारों ने भी कुछ नक़शों को भेजा । मेरा विश्वास है कि यदि इस में शीघ्रता की जाती तो जिस प्रकार हमारे देश के एक कलाकार का नक़शा अन्त में स्वीकृत हुआ यह शायद नहीं हो पाता । मैं सरकार को इस बात पर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समाधि के लिए हमारे देश के एक कलाकार के नक़शे को स्वीकृत किया है । कलात्मक जगत में मैं कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना चाहता । मैं इस सम्बन्ध में विदेशी और देशी कलाकारों में भी कोई अन्तर नहीं करना चाहता परन्तु इसी के साथ हर देश की संस्कृति और सभ्यता के अनुसार उस देश की एक विशेष परम्परा होती है और वह परम्परा तभी ठीक प्रकार से व्यक्त की जा सकती है जब उस देश के कलाकारों को इस प्रकार के कामों को सौंपा जाय ।

मैं आपको दो दृष्टान्त देता हूं । ईसा के अच्छे से अच्छे चित्रों को मैं ने रोम में देखा, वैटिकन में देखा, फ्लोरेंस में देखा, पेरिस में देखा और अमरीका के लोसेजेलिस में भी देखा परन्तु ईसा का एक सा रूप होने पर भी भिन्न भिन्न देशों में बने हुए ईसा के चित्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं प्रकट होती थीं । अपने देश का ही मैं एक दृष्टांत देता हूं । अजन्ता में भगवान बुद्ध का जो पद्मपाणि चित्र है उस चित्र में और सारनाथ में जो कुछ जापानी चित्रकारों ने भगवान बुद्ध के चित्र बनाये हैं उनमें बहुत अन्तर है । मैं यह नहीं कहता कि सारनाथ में बनाये गये भगवान बुद्ध के चित्र में कोई कला नहीं है । कला की दृष्टि से वे चित्र भी सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में आते हैं परन्तु उनमें हमें वह भारतीयता दृष्टिगोचर नहीं होती जो भारतीयता हमें अजन्ता के भगवान बुद्ध के चित्रों में दृष्टिगोचर होती है ।

गांधी जी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की परम्परा के एक ज्वलन्त प्रतीक थे । मैं समझता हूं कि इस ज़माने में हमारी संस्कृति और सभ्यता का उनसे बड़ा और कोई प्रतीक उत्पन्न नहीं हुआ । हमारी संस्कृति और सभ्यता का उदय और विकास तपोवनों में हुआ था । सादगी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उसकी नींव थी। इसलिए कल हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने जो यह बात कही कि गांधी जी की समाधि में कोई बहुत बड़े भवन का निर्माण नहीं होना है, उसकी नींव भी सादगी की नींव होनी है, यह सर्वथा उचित है। यह समाधि होनी चाहिए, उपवनों से घिरी हुई, हरयाली से परिवेष्टित, ताल और तमाल, कदम्ब और वकुल तथा आम और नाना प्रकार के फल वृक्षों, गुलाब, केवड़ा, केतकी, जूही, केला, चमेली आदि के कुसुम तरुओं एवं लता गुल्मों के कुंजों से आच्छादित, जहां दिल्ली के इस भड़भड़ाते हुए वायुमंडल के बाहर जाकर हमें कुछ क्षणों तक सच्ची शान्ति प्राप्त हो सके। फिर इसके निर्माण में जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन में ५, १० वर्षों का समय महत्व रखता है परन्तु ऐसी वस्तुओं के निर्माण में नहीं, इन कलात्मक वस्तुओं के निर्माण की एक योजना अवश्य बनती है। उस योजना की रूपरेखा सदा वैसी रहती है परन्तु वह रूपरेखा वह योजना वैसी रहते हुए भी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होते होते उनमें अनेक सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं और वे परिवर्तन सूक्ष्म स्थूल वस्तु के वैसा का वैसा रहते हुए भी उस कलाजन्य वस्तु का सारा स्वरूप बदल देते हैं। उस स्वरूप के बदलने से जिन भावनाओं का मन में उदय होता है वे भावनाएं भी दूसरे प्रकार की भावनाएं हो जाती हैं।

एक कलात्मक कविता, नाटक या उपन्यास या कहानी लिखते लिखते अनेक बार तो यह होता है कि जिन पात्रों का चरित्र चित्रण होता है वे पात्र लेखक के स्वयं के हाथ से निकल जाते हैं। लेखक उन्हें जिस प्रकार चित्रित करना चाहता है वे उस के अनुरूप चित्रित नहीं होते। यद्यपि वे पात्र जीवित नहीं रहते पर लेखक उन पात्रों के साथ इस तरह बह जाता है कि वे पात्र लेखक की इच्छा के प्रतिकूल बिलकुल दूसरे प्रकार से निर्मित हो जाते हैं। यही बात मूर्त्तियों और चित्रों के सम्बन्ध में होती है। मूर्ति और चित्र व्यक्ति विशेष की रहते हुए भी उस की दृष्टि में, उसकी भृकुटि में, उस के ओंठों में उस के अंग विक्षेपण में इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है कि जिस मूर्ति का निर्माण होता है वह मूर्ति मूल योजना के ठीक विरुद्ध बन जाती है। जहां तक स्थापत्य कला का सम्बन्ध है स्थापत्य कला में यह परिवर्तन इतनी दूर तक तो नहीं होता परन्तु वहां भी वस्तु के निर्मित होते होते कुछ ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं कि जिस से वह स्थापत्य वस्तु एक दूसरे प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने लगती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार नकशे की मंज़ूरी में शीघ्रता नहीं की गई उसी प्रकार इस समाधि के निर्माण में भी शीघ्रता नहीं की जानी चाहिये और अधिक से अधिक समय कलाकार को दिया जाना चाहिये जिस से कि वह फ़ुरसत से उस वस्तु का ठीक रूप से निर्माण कर सके।

कल जो एक सुझाव दिया गया उसे सुन कर मुझे अत्याधिक आश्चर्य हुआ। कल यह सुझाव किया गया कि उस समाधि को उस स्थान से हटा कर दूसरे किसी स्थान पर लेजाया जाय। मेरी समझ में नहीं आया कि यह विचित्र सुझाव किस प्रकार से किया गया? गांधी जी की यादगारें अनेक बनी हैं, अनेक बनेंगी परन्तु उस समाधि के स्थल का एक विशेष कारण है। गांधी जी के शव का अग्नि संस्कार उसी स्थान पर हुआ था। उस की भावनायें उस समाधि में निहित रहेंगी। यदि वह समाधि उस स्थल से हटा कर किसी दूसरे स्थल पर कर दी जाय तो इस प्रकार की भावनायें उस समाधि के साथ किस प्रकार रह सकती हैं। मैं प्रधान मंत्री जी के इस सुझाव से सर्वथा सहमत हूं कि नदी बाढ़ से उस समाधि को बचाने के लिये और कुछ वैज्ञानिक साधन उपलब्ध करने चाहियें जिस से यदि कभी बाढ़ आवे तो समाधि को कोई क्षति नहीं पहुंचे परन्तु उस समाधि को उस स्थल से हटा कर किसी दूसरे स्थल पर ले जाना यह तो एक अद्भुत सुझाव था और मेरी समझ में नहीं आया कि यह सुझाव किस प्रकार से किया गया।

जैसा मैं ने बहुत संक्षेप से निवेदन किया इस नक़शे की स्वीकृति में देर हुई, यह बिलकुल उचित बात हुई। उसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस के निर्माण में भी शीघ्रता नहीं होनी चाहिये।

[सेठ गोविन्द दास]

कलाकार को हमें पूरा पूरा समय देना चाहिये ताकि जो भारतीय संस्कृति तपोवनों में उदित हुई, तपोवनों में विकसित हुई, और तपोवनों में ही फली फूली, जिस संस्कृति के इस काल में गांधी जी मूर्तिमन्त प्रतीक थे, उस संस्कृति का हमें उस स्मारक में दर्शन हो सके। इसलिये, जैसा हमारे प्रधान-मंत्री जी ने कहा, उन की समाधि पूर्ण रीति से सादी होते हुए भी, उन कलात्मक भावनाओं का प्रदर्शन करने वाली होनी चाहिये जो कलात्मक भावनायें भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से निहित हैं।

अध्यक्ष जी, इस संसार के ६ सब से पुराने देश हैं भारत, मिस्र, चीन, यूनान, मैसोपोटामियां और बैबीलोनिया । मैसोपोटामिया और बैबीलोनिया का आज संसार में कोई स्थान नहीं। शेष चार में से भारत का तो मैं रहने वाला हूं। शेष तीन देशों को मैं ने देखा है। मैं ने यूनान को देखा है, मैं ने मिस्र को देखा है, मैं ने चीन को देखा है, परन्तु इन तीन देशों में यदि आप वहां की प्राचीन संस्कृति के दर्शन करना चाहते हैं तो वे दर्शन आप को या तो वहां के खंडहरों में होते हैं या वहां के अजायबघरों में होते हैं। संसार में केवल भारत ही ऐसा देश है कि जिस देश के सामाजिक जीवन में हजारों वर्षों के बीत जाने पर आज भी हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता और प्राचीन परम्परा के हमें दर्शन होते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस संस्कृति और सभ्यता के इस काल में सच्चे प्रतीक गांधी जी की समाधि में हम को उस भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परम्परा के पूर्ण दर्शन हों।

मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : कल मैं ने संक्षेप में उन सभी बातों पर प्रकाश डाला था जिन के कारण हम ने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया है। परन्तु जिन माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया है उन्हों ने राजघाट समाधि के सम्बन्ध में सामान्य रूप से अपने विचार व्यक्त किये हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि राजघाट की समाधि उचित प्रकार की होनी चाहिये और इस के लिये सरकार ने जल्दी कार्यवाही नहीं की है। उन्हों ने कहा कि इस दिशा में सभी सम्भव उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य यही कह रहे थे कि यह समाधि हमारी परम्पराओं और संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिये। इस बात का उत्तर कल सविस्तार प्रधान मंत्री महोदय दे चुके हैं जब उन्हों ने इस वाद विवाद में भाग ले कर सारे मामले पर प्रकाश डाला था। उन्हों ने सारे मामले पर प्रकाश डाला और समाधि का नकशा स्वीकृत करने में देरी हो जाने का कारण भी बताया। अब इस डिज़ाइन का विस्तृत नक्शा बनाने की दिशा में जल्दी कार्यवाही की जायेगी और प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न किया जायेगा कि काम शीघ्र हो। सेठ गोविंद दास का कहना है कि हमें शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं और यह काम बड़े सचेत हो कर शनैः शनैः करना चाहिये ताकि बाद में हमें पश्चाताप न करना पड़े। कुछ माननीय सदस्यों का यह भी सुझाव था कि समाधि का नाम बदल दिया जाय और स्थान भी तबदील कर दिया जाये। इन दोनों बातों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री सरकार का मत व्यक्त कर चुके हैं, अतः इस बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।

समाधि की देख भाल करने के सम्बन्ध में कई एक सुझाव दिये गये हैं, बहुत से दोषों की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट करवाया है। उन का यह चाहना स्वभाविक ही है कि यह दोष दूर किया जाये, समाधि का वातावरण शान्त और सुन्दर बनाया जाये और यहां आते ही लोगों में पवित्रता और आदर के भाव जागृत हों। निस्सन्देह इन उच्च आदर्शों से किसी को मतभेद

†मूल अंग्रेजी में

नहीं हो सकता । मैं वहां कई बार गया हूं । लेकिन मेरे हृदय में वे विचार नहीं आये, जो मेरे मित्र श्री नाथपाई के मन में आये । शायद यह अपने अपने दृष्टिकोण की बात है । यदि वह चाहते हैं कि आदर भाव पैदा करने के लिये बहुत बड़ी विशाल इमारत चाहिये तो यह तो वहां है नहीं । यह तो अपने दृष्टिकोण की बात है, भावना को बात है, भावना हो तो इमारत इत्यादि कोई प्रभाव नहीं रखती ।

समाधि के आसपास के इलाके को सुधारने के सम्बन्ध में काफी सुझाव दिये हैं । समाधि के पास की गन्दी बस्तियों का भी उल्लेख किया गया । बिजली घर, नाले अथवा कुछ अन्य और बातों की भी चर्चा की गई । मैं वहां बहुत बार गया हूं और अक्सर जाता हूं ; यह सारी बातें समाधि की देख भाल करने वाली समिति के ध्यान में ला चुका हूं । और मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ओर पूरा ध्यान देता रहूंगा ।

वास्तव में इस समिति को इन बहुत सी बातों को देखने के लिये ही बनाया गया है और इस में कई एक प्रमुख व्यक्तियों को रखा गया है । स्वर्गीय देवदास गांधी, गांधी स्मारक निधि के मंत्री, श्री लक्ष्मी दास पुरुषोत्तमजी, काका कालेलकर, श्री कृष्ण नायर इत्यादि प्रमुख व्यक्ति इस में रहे हैं । और मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि समाधि के आस पास के क्षेत्र को सुधारने के बारे में इन लोगों ने ध्यान दिया है ।

यह भी सुझाव था कि यहां एक अजायबघर की स्थापना की जाये । इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो नकशा स्वीकृत हुआ है, उस के अनुसार हो सकता है कि कई माननीय सदस्यों के सुझाव कार्यान्वित किये जा सकें । जो नक्शा सरकार ने अन्तिम रूप में स्वीकार किया है उसका नमूना प्रदर्शनी स्थान पर रखा गया था, और अब भी जो प्रदर्शनी पहली अक्तूबर से प्रारम्भ हो रही है उस में भी उसे रखा जायेगा । माननीय सदस्य चाहें तो उसे वहां देख सकते हैं । मैं आशा करता हूं कि वे उसे पसन्द करेंगे । हम ने १०० नक्शों में से उस नक़शे को काफी सोच विचार के बाद स्वीकार किया है । जैसा प्रधान मंत्री महोदय ने कल कहा था, इस को प्रक्रमों में कार्यान्वित किया जायेगा ।

कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव दिये गये थे और उनकी सेवा शर्तों, वर्दियां देने आदि के बारे में कई बातें कही गई हैं । इन मामलों पर भी समिति को ही पहले विचार करना है । सरकार भी इन बातों की जांच करेगी और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि कर्मचारियों की उचित शिकायतों को दूर कर दिया जायेगा ।

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । माननीय मंत्री ने कहा कि वह राजघाट कई बार गये हैं । क्या उन्हें पता है कि चबूतरे पर जो 'हे राम' शब्द लिखे हुए हैं वे अलग अलग होने चाहियें जबकि वहां उन्हें मिला कर लिख हुआ है । मैं आशा करता हूं कि इसे जल्दी ठीक कर लिया जायेगा ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं ने इस पर ग़ौर नहीं किया । मैं फिर वहां जा कर इसे देखूंगा ।

अब मैं विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम नामजदगी के सिद्धान्त को बहुत अधिक अपना रहे हैं । और इस समिति के निर्माण में भी इस को प्रमुख रूप से अपनाया गया है । माननीय सदस्यों को पता ही होगा कि मूल अधिनियम के अन्तर्गत समिति के सभी सदस्य नामजद ही किये जाने थे, परन्तु अब पहली बार हम इसमें चुनाव की व्यवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

कर रहे हैं, अब इस के तीन सदस्यों का चुनाव संसद् के दोनों सदनों द्वारा किया जाया करेगा। कल डा० सुशीला नायर, श्री कृष्ण नायर, डा० मेलकोर्ट और श्री राधारमण आदि सदस्यों ने कहा था कि हम इस में सदस्यों के नाम मनोनीत करने को ही ठीक समझते हैं, और इस सिद्धान्त को ही जारी रखा जा सकता है। परन्तु अभी प्रथम बार हम ने संसद् के इन तीन सदस्यों के लिये चुनाव की व्यवस्था रखी है। देखें यह कैसे काम करता है। आवश्यकता हुई तो इस व्यवस्था का और विस्तार किया जा सकता है।

श्री महन्ती ने पूछा कि आखिर इस निर्वाचन के सिद्धान्त को अब क्यों अपनाया जा रहा है? क्या यह सरकार का सिद्धान्त है कि सभी समितियों में संसद् के दोनों सदनों को दो और एक के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ऐसा निश्चित सिद्धान्त नहीं है। लेकिन कई समितियों के निर्माण में, जैसे विधेयकों की संयुक्त समिति, लोक लेखा समिति तथा अन्य समितियों में यही प्रथा बन गई है कि एक और दो का अनुपात ही रखा जायेगा। राज्य सभा सचिवालय ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया कि वर्तमान अधिनियम में दो सदस्य अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत किये जा रहे हैं, इस लिए यह आवश्यक है कि इस में राज्य सभा के प्रतिनिधित्व का भी विशेषरूप से उल्लेख हो। इस में किसी मूल सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है। दो सदस्य लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं और एक राज्य सभा के सभापति मनोनीत कर सकते हैं। इस में कोई सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है। परन्तु विचार के बाद इसके लिए चुनाव ही ठीक समझा गया। व्यक्तिगत रूप से मुझे नामजदगी पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु हम ने इस समिति के निर्माण में चुनाव की व्यवस्था करना ही ठीक समझा।

कुछ माननीय सदस्यों ने अन्य सुझाव भी दिये और उसके लिए संशोधनों की सूचना भी दी है। एक सुझाव यह कि मेयर के पदेन सदस्य होने के अतिरिक्त दिल्ली निगम का एक निर्वाचित सदस्य भी समिति में लिया जाना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि निगम के सदस्य के स्थान पर दिल्ली के मामलों की मंत्रणा समिति का एक सदस्य इसमें होना चाहिए। इस प्रकार के विभिन्न सुझाव दिये गये हैं।

जैसा कि मैंने कल कहा था वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत नई दिल्ली नगरपालिका के प्रधान समाधि समिति के पदेन सदस्य थे। अब चूंकि यह क्षेत्र दिल्ली निगम के क्षेत्र में आता है, इसलिए हम ने निगम के मेयर को समिति के पदेन सदस्य के रूप में रखने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार निगम का इस समिति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है क्योंकि निगम के निर्वाचित मेयर इसके पदेन सदस्य होंगे। अब निगम के और अधिक निर्वाचित सदस्य इस में रखने की ज़रूरत मालूम नहीं होती क्योंकि इसमें किसी प्रकार की राजनीति तो लानी नहीं है; फिर भी यदि आवश्यकता हुई तो निगम और मंत्रणा समिति के निर्वाचित सदस्य समिति में रखने पर विचार किया जायेगा। ऐसा अवसर आने पर इस मामले पर विचार कर लिया जायेगा। अभी हमें इस बात को यहीं छोड़, इस उपबन्ध को स्वीकार कर लेना चाहिए।

यह भी सुझाव दिया गया कि सभापति का चुनाव धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार मनोनीत अथवा निर्वाचित सदस्यों में से होना चाहिए और सरकार को किसी अन्य व्यक्ति को, जो समिति का सदस्य न हो, सभापति नियुक्त करने की छूट नहीं देनी चाहिए। उनका सुझाव है कि सरकार

†मूल अंग्रेजी में

के अधिकारों को इस मामले में सीमित रखा जाना चाहिए। इस में मैं समझता हूं कि इस में सिद्धान्त का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार समिति के सदस्यों में से ही किसी को सभापति नियुक्त कर सकती है और वास्तव में पिछले सात सालों में उस ने किया भी ऐसा ही है। यद्यपि सरकार को किसी अन्य व्यक्ति को सभापति नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु सरकार ने ऐसा किया नहीं है। यह अधिकार केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए ही दिये गये हैं। मेरा सुझाव है कि अधिनियम के उपबन्धों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

सदस्यता की अवधि के बारे में हमारा प्रस्ताव यह है कि संसद् सदस्यों की सदस्यता की अवधि उनकी संसद की सदस्यता की अवधि के साथ ही खत्म हो। यह कोइ असाधारण बात नहीं। इस अवधि को ३ वर्ष या ५ वर्ष करने की बात और तत्सम्बन्धी संशोधन को मैं ठीक नहीं समझता। वास्तव में, जैसा कि मैंने कल कहा था आधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपने १९५७ के प्रतिवेदन में कहा है कि इन सदस्यों को संसद् के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए और उनकी अवधि सभा की सदस्यता की अवधि के साथ समाप्त होनी चाहिए। इसके अनुसार ही हम ने यह उपबन्ध किया है।

मुझे आशा है कि किसी प्रकार के संशोधन पर आग्रह नहीं किया जायेगा और जिस रूप में विधेयक को प्रस्तुत किया गया है उसी रूप में, सदन में इस पर विचार किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** : प्रश्न यह है :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री क० च० रेड्डी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकारी भू-गृहादि (अनाधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन विधेयक)

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करेंगे ।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि सरकारी भू-गृहादि से अनाधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन करने तथा कुछ तत्संबंधी बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री क० च० रेड्डी ने जब प्रथम बार मार्च, १६५८ में इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था तो हमने इसके सामान्य सिद्धान्तों पर काफी चर्चा की थी । इसलिये अब मुझे अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं । प्रारम्भिक अवस्था में हम ने सरकारी भू-गृहादि पर किये गये अनाधिकृत क़ब्जे के आंकड़े भी प्रस्तुत किये थे । इस मामले में शीघ्रतापूर्वक अधिकार प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही करने के चार बहुत महत्वपूर्ण और आधारभूत कारण हैं । सरकारी ज़मीनों पर अनाधिकृत क़ब्जे बहुत भारी पैमाने पर हुए हैं और एक बात मैं यह बता दूं कि इस प्रकार का क़ब्जा करने वाले सारे ही लोग विस्थापित नहीं हैं । हाल के आंकड़ों से पता लगता है दिल्ली में इस प्रकार के अनाधिकृत क़ब्जाधारियों में ५० प्रतिशत ैर विस्थापित लोग हैं । इसी प्रकार पुनर्वास मंत्रालय ने हमें बताया है कि सियालदा स्टेशन पर पड़े लोगों में ४५ प्रतिशत ऐसे हैं जो विस्थापित नहीं हैं ।

यह तो एक बड़ा कारण मैंने बताया । दूसरा कारण यह है इन जमीनों का फिर से क़ब्जा लेना सरकार के लिये इसलिये ज़रूरी हो गया है क्योंकि विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण विकास परि-योजनाओं में इसकी वजह से रुकावट पड़ रही है । उदाहरणतः दिल्ली के चारों ओर बनाई जाने वाली रिंग रोड का, जिससे दिल्ली के यातायात में काफी सुविधायें हो जाने की सम्भावना है, निर्माण रुका हुआ है । जिन स्थानों से इस सड़क को निकाला जाना है, वहां के कुछ हिस्सों से क़ब्जा-धारी उठने का नाम नहीं लेते । इसी प्रकार दिल्ली प्रशासन के प्रतिवेदन के अनुसार उनकी कई बहुत महत्वपूर्ण विकास योजनायें, स्कूलों और पार्कों का निर्माण और टीका लगाने वाले केन्द्रों आदि का निर्माण रुका पड़ा है क्योंकि वे ज़मीनें अनाधिकृत क़ब्जाधारियों के पास हैं । मेरा अन्दाजा है कि लगभग ३५७ एकड़ नजूल भूमि अनाधिकृत लोगों के क़ब्जे में है जिनकी संख्या ११००० से भी ऊपर है ।

यह ठीक है कि सामान्य क़ानून का आश्रय लिया जा सकता है परन्तु इसमें काफी समय लगता है । कई उलझनें आती हैं, अपीलें होती हैं, और कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब अन्तिम निर्णय होगा । और इन भू-गृहादि की हमें तुरन्त आवश्यकता है । वास्तव में इन क़ब्जाधारियों के स्वयं के हित में हमें इन ज़मीनों की सख्त जरूरत है । पुराने किले पर भारी संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने कब्जा कर रखा था और यह काफी वर्षों तक रहा । उनको वहां से हटा कर, उनके लिए निर्मित मकानों में उन्हें स्थान दिया गया । उनके जाते ही दूसरे लोगों ने आ कर उस पर क़ब्जा जमा लिया और पुराने किले की अवस्था वैसी की वैसी ही रही ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इसी प्रकार सराय रोहिल्ला में भी हम ने लोगों को वैकल्पिक स्थान दिये, परन्तु उनके जाते ही दूसरे लोग वहां आ धमके और वहां से हटने से इन्कार कर दिया। यही चीज़ नीलाम हुई निष्क्रान्त सम्पत्ति के मामले में होती है। नोटिस देते हैं, बल्कि उससे पहले ही ये लोग इन जगहों में आ धमकते हैं जिस के कारण उन लोगों को खाली मकान का क़ब्जा देना असम्भव हो जाता है जिन्होंने नीलामी में उसे खरीदा हो।

इस लिए इस मामले में शीघ्रता करने और लोगों को जल्दी हटाने के लिये व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। गत महायुद्ध के बाद कई एक अधिनियमों द्वारा सरकार के पास बहुत से अधिकार थे और सामान्यतः लोगों को बेदखल किया जा सकता है। परन्तु इस वर्तमान विधेयक द्वारा जिस अधिनियम को हम संशोधित कर रहे हैं उसके रास्ते में कुछ कठिनाइयां आ गई हैं। तीन उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि यह अधिनियम संविधान के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन करता है। कलकत्ता और पंजाब उच्च न्यायालयों का मत है कि इससे अनुच्छेद १९(१) (च) का उल्लंघन होता है, क्योंकि संशोधित किये जा रहे अधिनियम के अन्तर्गत बेदखल करने के सारे अधिकार एक अनिश्चित अधिकारी को दिये गये हैं, जिसे "सक्षम प्राधिकारी" कहा गया है और जिसे भी वह अधिकारी अनाधिकृत क़ब्जाधारी समझे, बेदखल कर सकता है।

हमारे विचार में पहले जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उससे कलकत्ता और पंजाब के उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में दी गयी आपत्ति को हल कर दिया गया था। परन्तु प्रवर समिति में जब आगे चर्चा हुई तो उसे और थोड़ा नर्म कर दिया गया है। अब सक्षम प्राधिकारी की जगह सम्पदा अधिकारी रख दिया गया है और यह सम्पदा अधिकारी भारत सरकार का गज़ेटेड अधिकारी होगा। उसे नोटिस देना होगा और दूसरे पक्ष की बात सुननी होगी। दूसरा पक्ष गवाही प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि अधिकारी का निर्णय सम्बन्धित क्षेत्र के जिला न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए यदि इस संशोधन विधेयक का उचित प्रकार से अध्ययन किया जाये, तो स्पष्ट हो जायेगा कि जिन दोषों का उल्लेख पंजाब और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने किया था उन्हें अब दूर कर दिया गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद १४ के विरुद्ध जाता है जिसमें समानता का उल्लेख है। इससे सरकारी सम्पत्ति के किरायेदारों और गैर सरकारी सम्पत्ति के किरायेदारों में भेद भाव किया जा रहा है। इस सभा में पहले जो बहस हुई थी उसको मैंने पढ़ा है और उससे पता लगता है कि इस सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी फैली हुई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वयं ही कहा है कि इस प्रकार के कुछ भेद भाव के उचित कारण हो सकते हैं और इस से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय का भी एक निर्णय है। नागरिकों के प्रति व्यवहार में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है यदि उसके समुचित कारण हों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में भी लगभग वही बातें थीं जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय में थीं। उसको स्पष्ट कर ही दिया गया है और जैसा मैंने बताया "सक्षम प्राधिकारी" के स्थान पर अब "सम्पदा अधिकारी" होगा। इससे उन तमाम कठिनाइयों का हल हो जाता है जिसका इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लेख है। कुछ माननीय सदस्यों की प्रार्थना पर सालिसीटर जनरल भी प्रवर समिति के समक्ष आये थे और उन्होंने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया है उन सब का हल इससे हो जाता है। यह तो हुई कानूनी बात।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अनिल कु० चन्दा]

अब मैं संशोधनों को लेता हूं जिनकी संख्या ५५ है। इन संशोधनों को तीन चार श्रेणियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है। कई संशोधन हरिजनों अथवा अनुसूचित जाति के अनाधिकृत क़ब्जाधारियों और ग़रीब लोगों से सम्बन्धित हैं जिन्होंने परिस्थितियों से मजबूर हो कर सरकार की भूमि पर क़ब्जा किया है। मैं हरिजनों की कठिनाइयों को जानता हूं। लेकिन इस मामले को सरकारी भू-गृहादि से अनाधिकृत क़ब्जाधारियों को हटाने के प्रश्न से नहीं मिलाया जाना चाहिए। शताब्दियों से उन के साथ समाज का व्यवहार ठीक नहीं रहा है और यह कभी नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने उनकी उपेक्षा की है। इन लोगों के लिये काफी धन की व्यवस्था की गयी है और केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ने हरिजनों और अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न संगठनों की स्थापना की है। इसी प्रकार शरणार्थियों के लिए भी किया गया है। मैंने पुनर्वास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का अध्ययन किया है जिससे पता लगता है कि करोड़ों रुपये विस्थापितों के पुनर्वास पर खर्च किये जा चुके हैं। इस लिये सरकार पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि आप उन लोगों को बेदख़ल कर रहे हैं जो पहले ही अपने घरों से निकाले जा चुके हैं और उनका दोष केवल यह है कि वे सरकारी भू-गृहादि पर क़ब्जा किये हैं। हम ने जितना सम्भव हो सका है इस प्रश्न को मानवीय दृष्टिकोण से हल करने का प्रयत्न किया है। इसका सबूत यह है कि आज भी हजारों लोग सरकारी स्थानों पर क़ब्जा जमाये बैठे हैं। फिर भी हम उनका कोई प्रबन्ध करके ही उन्हें सरकारी स्थानों से उठाते हैं। हो सकता है कि यह प्रबन्ध उनके विचार से काफी न हो परन्तु सरकार ने अपना भरसक प्रयत्न किया है। अतः इस मामले में हरिजनों, अनुसूचित जातियों, विस्थापितों अथवा इमारत बनाने का काम करने वाले मजदूरों इत्यादि का विशेष रूप से प्रश्न उठाना उचित नहीं है। हां, इन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यदि माननीय सदस्य कुछ और कार्यवाही करने तथा और अधिक खर्च करने की मांग करेंगे, तो मैं उनका साथ दूंगा।

सम्पदा अधिकारी के बारे में भी काफी संशोधन हैं। प्रवर समिति में भी यह कहा गया था कि विधेयक में यह विशेष रूप से आ जाना चाहिए कि सम्पदा अधिकारी, न्यायिक अधिकारी ही होगा अथवा कोई विधि विशारद होगा लेकिन ऐसा हमेशा करना हमारे लिये सम्भव नहीं हो सकता है। क्योंकि सम्पदा अधिकारी का पद इस विधेयक के उपबन्धों के लिए विशेष रूप से तो नहीं बनाया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में सम्पदा अधिकारी पहले से ही हैं, वे सरकारी सम्पत्ति की देख रेख करते हैं। उन पर अब अनाधिकृत क़ब्जाधारियों को बेदखल करने की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी डाली जायेगी। सम्पदा अधिकारी सरकार एक जिम्मेदार अधिकारी होता है और यह पूरी आशा की जा सकती है कि प्रत्येक स्थिति में उसका व्यवहार पूर्णरूप से न्यायपूर्ण और विधिवत् होगा। इसमें एक कठिनाई और यह है कि इस प्रकार की बहुत सी सम्पत्ति जिस पर अनाधिकृत क़ब्जा है, प्रतिरक्षा मंत्रालय की है, और उनका कहना है कि यह हर बार सम्भव नहीं कि यह काम ऐसे ही अधिकारियों को सौंपा जाये जो क़ानूनी दृष्टि से प्रशिक्षित हों। लेकिन हम अपने खुद के हित में ऐसे ही लोगों को सम्पदा अधिकारी बनायेंगे जो क़ानून का ज्ञान रखते हों। जहां इन ज़मीनों के स्वामित्व के बारे में क़ानूनी बात खड़ी की जायेगी वहां हम सरकारी आदेश द्वारा यह कह देंगे कि ऐसे मामलों में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही न की जाये।

अब मैं सब से कठिन समस्या को लेता हूं। सब से अधिक संशोधन गाडगील आश्वासनों से है। आप को याद होगा कि जब यह विधेयक सब से प्रथम सदन में लाया गया था तो उस समय के निर्माण, विद्युत तथा संभरण मंत्री श्री गाडगील ने कुछ आश्वासन दिये थे। उन आश्वासनों में

सभी प्रकार के अनाधिकृत क़ब्जाधारी और सभी प्रकार के विस्थापित व्यक्ति नहीं आते । उन्होंने कहा था कि यदि यह सिद्ध हो जाय कि क़ब्जाधारी एक विस्थापित व्यक्ति है और वह १५ अगस्त, १९५० से पहले का सम्पत्ति पर काबिज है तो उसे बेदखल करने से पूर्व उसे कुछ सुविधायें दी जायेंगी । यदि वह विस्थापित व्यक्ति है और १६ अगस्त, १९५० से ३१ दिसम्बर, १९५० के बीच उसने क़ब्जा किया है तो उसे स्थान खाली करने के लिए तीन मास का नोटिस दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त और किसी के लिए कोई आश्वासन नहीं था । क़ब्जाधारी किसी भी श्रेणी के हों उन्हें तुरन्त बेदखल कर दिया जायेगा । इस आश्वासन के सिलसिले में श्री गाडगील ने कहा था कि एक परामर्श समिति होगी जिसमें विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होंगे । एक क्षेत्रवार योजना बनाई जायेगी और जो लोग गाडगील आश्वासनों के अन्तर्गत आयेंगे उनसे जगह खाली करने को तभी कहा जायेगा जब दूसरी जगह तैयार हो जायेगी और यदि उन्होंने वहां कोई छोटी मोटी झोंपड़ी इत्यादि बना ली हो तो उसको गिराने के कारण कुछ आर्थिक सहायता दे दी जायेगी, क्योंकि सरकार इन लोगों की कठिनाइयों को खूब समझती है और उनकी मुसीबतों को बढ़ाना नहीं चाहती ।

इस सभा की द्वितीय आश्वासन समिति ने इस बात पर विचार किया कि इन आश्वासनों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है । उस समिति के सभापति पद पर श्रीमती सुचेता कृपलानी थी । यह समिति आश्वासनों की कार्यान्विति से सन्तुष्ट नहीं थी और उसने श्री गाडगील के आश्वासनों को कार्यान्वित करने के बारे में अपने कुछ निर्देश दिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रवर समिति में भी श्रीमती सुचेता कृपलानी तथा अन्य कई सदस्यों ने अपने विमति टिप्पण में कहा है कि सरकार की इच्छा उन्हें कार्यान्वित करने की थी ही नहीं । ऐसा कहना उनकी ज्यादती है और यह ग़लत भी है । राज्य सभा के कुछ सदस्यों ने यह कहा कि इस प्रकार का आश्वासन पुनः दिया जाय कि इस विधेयक के पारित होने पर भी गाडगील आश्वासनों को कार्यान्वित किया जायेगा । हमने यह आश्वासन दे दिया है ।

दूसरी आश्वासन समिति के प्रतिवेदन के उपलब्ध होने पर हम ने गाडगील आश्वासनों के कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण तैयार करवाया । वह सदन के समक्ष है, उसे लोक सभा पटल पर रख दिया गया था । बाद में तीसरी आश्वासन समिति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये आश्वासन ठीक ढंग से कार्यान्वित किये गये हैं । इसलिए मैं हैरान हूं कि श्रीमती कृपलानी आश्वासन समिति के दूसरे प्रतिवेदन की ही क्यों बात कर रही है । वह तीसरे प्रतिवेदन की नितान्त उपेक्षा क्यों कर रही हैं जिसमें कि हमें अच्छा प्रमाण पत्र मिला है ।

श्री गाडगील के आश्वासनों के अन्तर्गत बहुत सारे लोग आ गये थे और उनकी संख्या हजारों में है। हम ने दूसरी सभा में स्पष्टतः कहा है और हम उसे पुनः यहां कहने को तत्पर हैं कि हम गाडगील आश्वासनों को पूर्णतः कार्यान्वित करेंगे । एक मंत्रणा समिति की स्थापना की जायेगी और क्षेत्रानुसार योजना बनाई जायेगी । परन्तु हम से यह न कहिये कि यह समस्या एक ही दिन में हल कर दी जाये । इस में कितने ही हजार लोगों का सवाल है । जिस स्थान पर इन लोगों को भेजा जायेगा उसके विकास पर ही ५ करोड़ रुपया खर्च हो जायेगा । इसलिये इस समस्या को हल करने में काफ़ी समय की आवश्यकता होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : इस विधेयक का इतिहास विभिन्नताओं से भरा हुआ है किन्तु अब इसके लिये यहां उपयुक्त वातावरण है। किन्तु जो समय इस के लिये रखा गया है वह अपर्याप्त है।

श्री गाडगील ने पहले जब इस विधेयक को पुरःस्थापित किया था तब जो आश्वासन दिये थे उस समय विस्थापितों की समस्या इतनी नहीं सुलझी थी। खैर, कतिपय मंत्रालयों ने तो यह भी प्रकट किया था कि उन्हें उन आश्वासनों का पता नहीं है। आश्वासनों सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से इस बात का पता लग सकता है।

ये विस्थापित यही शिकायत करते हैं कि सरकार ने अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया और तीसरा प्रतिवेदन भी उनके अनुसार एक पार्श्विक है।

माननीय मित्र ने स्वतः कहा है कि उन आश्वासनों की पूर्ति पर ५ करोड़ का व्यय होगा और यदि रुपया भी मिल जाये तब भी उन्हें सरकार थोड़े से समय में पूरा नहीं कर सकती। जब स्थिति यह है तब तीसरे प्रतिवेदन में यह कैसे कहा गया है कि आश्वासन पूरे कर दिये गये हैं।

एक आश्वासन तो यह भी था कि निर्मित भवनों को यदि वे नगरपालिका नियमों पर पूरे उतरें गिराया नहीं जायेगा। हम ने मकानों के निरीक्षण के लिये नगरपालिका प्राधिकारियों से प्रार्थना की कि अभी तक अहाता केदारा के उन मकानों की भूमि का मूल्यांकन न हो सका। हम रकम देने पर सहमत थे किन्तु अभी तक किसी ने उनको नियमित नहीं किया।

ऐसी स्थिति में आश्वासन के होते भी मकान गिराये जा सकते हैं। ४०,००० तक के मकान गिराये गये हैं और मैं उदाहरण दे सकता हूं। दूसरे स्थान देने का वचन दिया गया था किन्तु उन्हें खाली जगहें दे दी गई हैं और बेघर बना दिया गया है। यह सब की आंखों के समक्ष हुआ है।

संभ्रान्त लोग उच्च न्यायालय में गये किन्तु न्यायालय ने कहा कि ये आश्वासन विधि का अंग नहीं अतः इनके आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती।

†**श्री अनिल कु० चंदा** : यदि यह अधिनियम न होता तो क्या हम उन बैठने वालों के विरुद्ध सामान्य विधि के अन्तर्गत कार्यवाही न कर सकते।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जब सरकार का आश्वासन है तब ईमानदार सरकार को कभी भी अपने अधिकारियों को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

जहां तक माननीय मंत्री के प्रश्न का सम्बन्ध है उस स्थिति में सरकार को दीवानी दावा दायर करना पड़ता मैं वहां जीतता। आप ही लोगों ने तो उन्हें मकान बनाने के लिये उत्साहित किया बाद में आप ही ने इन्हें गिरवाने के लिये कहा। हम जो कुछ भी कहते हैं सरकार पर उस का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यदि यह अधिनियम न होता तो कोई भी विस्थापितों को छेड़ न सकता था और अब उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता। उच्च न्यायालय ने कह ही दिया है कि आश्वासनों का विधि की दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं है। किन्तु यदि सरकार अपने आश्वासनों से मुकरती है तो अन्धेर आ जायेगा। सरकार को चाहिये कि वह अपने सम्मान का ध्यान रखे।

जहां तक आश्वसानों सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन का प्रश्न है उस की कोई कीमत नहीं क्यों विस्थापितों की तो वहां बात ही नहीं सुनी गयी। चौथी रिपोर्ट अब तैयार होने वाली है। आप

†मूल अंग्रेजी में

कैसे कह सकते हैं कि आश्वासनों को पूरा किया गया है जब कि आप ही ने कहा है कि पूर्ति के लिये पांच करोड़ रुपये की ज़रूरत है ।

सभा के अनेक सदस्यों ने संशोधन दिये हैं । माननीय मंत्री को उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिये । वैसे तो वह इस विधेयक को सचेतक आदेश से भी पारित करा सकते हैं ।

माननीय मंत्री ने कहा कि लोग सराय रोहिला तथा सियालदाह में भी धरना मारे बैठे हैं । यहां सियालदाह का उल्लेख कैसे हुआ । यह सारे भारत पर लागू नहीं है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह सारे भारत पर लागू है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव:** कैसे? यह गलत है । आप 'सार्वजनकि भूगृहादि' की परिभाषा देखें । उसके अनुसार सियालदाह स्टेशन सार्वजनिक भूगृहादि नहीं माना जा सकता । वैसे तो आप इसे अमेरिका पर भी लागू करें किन्तु सरकारी भू-गृहादि तो दिल्ली में ही हो सकते हैं ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** खण्ड १ (२) के अनुसार यह सारे भारत पर लागू है। खण्ड में लिखा है कि "सरकारी भूगृहादि का अर्थ है कोई भी ऐसा स्थान, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित किया गया हो या पट्टे पर लिया गया हो या उससे सम्बन्धित हो ।" उसके बाद फिर दिल्ली का उल्लेख है । उसके लिये अलग उपबन्ध हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** . तो जैसे दिल्ली भारत संघ में ही नहीं है । हां एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसे समस्त भारत के लिये समझा जा सकता है । वह इस तरह यदि किसी से भू-गृहादि का किराया लेना हो और वह यहां से चला जाय तो उस पर वहां ही दावा दायर किया जा सकेगा जैसे कि किराया वहां का ही हो ।

यह शक्तियां भारत के दूसरे राज्यों में प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं ।

आगे चल कर फिर लिखता है कि यह उन भवनों पर ही लागू है जो दिल्ली निगम के हैं। इसमें कलकत्ता आदि के निगमों का उल्लेख क्यों न हुआ यह मतभेद क्यों है । इसके पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकार के स्थानों का भी उल्लेख है ।

यह कानून राज्य राज्य में भेद करने वाला है और निगम निगम में अन्तर पैदा करता है । अतः यहां सियालदाह का उल्लेख असंगत है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपत्तियां अलाहाबाद, कलकत्ता तथा पंजाब न्यायालयों ने की थीं क्या उन्हें दूर किया गया है ?

श्रीमान्, १९४७-४८ में पंजाब से लाखों विस्थापित यहां आये । उनके पास तन ढांपने को कपड़े तक नहीं थे । अब उन्हें रहने का स्थान तो मिलना ही चाहिये । उस स्थिति का हल श्री नेहरू तथा श्री पटेल ने किया । उन्होंने कहा था कि विस्थापितों को बेदखल न किया जाये । १३ मास के विचार विमर्श के पश्चात् श्री गाडगिल ने ये आश्वासन दिये थे । अब सरकारी अफसर उन्हीं आश्वासनों की अवहेलना कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तीनों उच्च न्यायालयों की आपत्तियां पूरी नहीं की गई हैं। सब से बड़ी वैध आपत्ति यह थी कि देश के लोगों का मूलभूत अधिकार छीना गया है व्यवहार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से इसे बाहर निकाल लिया गया है। इस प्रकार सरकार ने अपनी स्थिति विशिष्ट कर ली है। सामान्य विधि के अनुसार यदि सरकार मुकदमा लड़े तो वादी तथा प्रतिवादी की स्थिति न्यायालय के समक्ष समान होगी। किन्तु यहां सरकार ने अपनी स्थिति जनता की स्थिति से ज्यादा अच्छी बना ली है।

हम सब सरकार की सहायता करना चाहते हैं किन्तु सरकार को इतनी अधिक शक्तियां तो नहीं लेनी चाहियें। सभी उच्च-न्यायालयों ने यही बात कही है। आपने इस विधि से जनता के मूलभूत अधिकारों पर हस्तक्षेप किया है। यह विधि भी पहली विधि के समान है।

इस विधेयक के अधीन न्यायपालिका के स्थान पर कार्यपालिका के पदाधिकारी ही न्याय करेंगे। अलाहाबाद उच्च-न्यायालय ने आपत्ति की थी कि वह कार्यपालिका का सम्पदा अधिकारी कौन है ? खैर पंजाब उच्च-न्यायालय ने कहा था कि चलो हम समझते हैं सरकार अच्छे लोगों को ही इस कार्य के लिये नियुक्त करेगी। मैं भी यही मानता हूं किन्तु सरकार यह कहती है कि वे कार्यपालिका के गजेटिड पदाधिकारी होंगे। क्या सरकार न्यायपालिका के किसी अधिकारी को वहां नियुक्त नहीं कर सकती ? आपके गजेटिड पदाधिकारी जो न्याय करेंगे हम उसे जानते हैं। गजेटिड पदाधिकारी तो प्रत्येक विभाग में हैं। तो हर एक कोई यहां नियुक्त किया जा सकता है।

वास्तव में पदाधिकारी ऐसा हो जो काम समझे और कर सके। वह न्यायाधीश होना चाहिये।

इसके बाद पक्षों के संरक्षण के लिये जो वैध प्रक्रिया होती है वह भी इस अधिनियम में नहीं है। पहले अपील की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के पास रखी गयी थी किन्तु अब ज़िला न्यायाधीश के हां रखी गयी है। वह क्या करेगा ? वह तो निस्सहाय होगा। वह सारा कार्य उसी प्रकार करेगा जैसा कि पहले अभिलिखित हो चुका है। यदि मिसल में कुछ बातें न हों तो वह बेचारा कुछ न कर सकेगा। इस प्रक्रिया में उस से भी हम न्याय की आशा नहीं रख सकते। हां यदि प्रक्रिया व्यापक हों वह तो तब न्याय कर सकता है। यह तो वह बात है कि कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका का अनमेल गठ-बन्धन किया गया है।

श्री जगन्नाथराव मेरा ध्यान खण्ड ५ की ओर दिलाते हैं। उसमें क्या है ? साक्ष्य का क्या उपबन्ध है। क्या उस धारा की शरण लेकर प्रतिवादी यह कह सकता है कि यह सम्पदा मेरी है, सरकार की नहीं और मुझे यहां पर झौंपड़ी बनाने के लिये भारत सरकार के मंत्री श्री मोहनलाल ने उत्साहित किया था। यही तो कठिनाई है ?

फिर यदि कोई प्रतिवादी यह कहे कि दफ्तर वालों ने किराया नहीं स्वीकार किया --क्या सम्पदा अधिकारी इस बात को मानेगा ? ऐसे बहुत से उदाहरण आप को मिल सकते हैं। क्या यह मामला किराया न देने का होगा ? ऐसी सब बातें यहां न हो सकेंगी। यह सब तभी हो सकता है जब उचित प्रक्रिया हो। इस में तो वकील भी न हो सकेगा। पदाधिकारी ही अपनी मर्जी से जो चाहे करेगा। यदि माननीय मंत्री यह कहते हैं कि वकील हाजर हो सकता है तो उन्हें मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये। सम्पदा पदाधिकारी की कचहरी में वकील अपने अधिकार से नहीं जा सकता।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हम नियमों में इस की व्यवस्था कर देंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या खण्ड १३ में यह निर्दिष्ट किया गया है कि नियमों में यह व्यवस्था हो जायेगी ? खैर माननीय मंत्री का आश्वासन ही इस समय मैं पर्याप्त समझता हूं ।

दूसरा प्रश्न और है । सभी कानूनों में सीमा की व्यवस्था होती है । कल्पना कीजिये एक व्यक्ति १९४७ में यहां आ कर छः महीने रहा । बकाया उस का अभी तक है तो ऐसे मामलों में क्या होगा । सीमा की व्यवस्था नहीं होगी क्या ? क्या इस की व्यवस्था भी नियमों में ही होगी ? अब चुप हैं मंत्री महोदय ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस का उत्तर मैं बाद में दूंगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर थोड़े मानवीय ढंग से भी सोचें । वह इन बकायों पर भी ध्यान दें ।

इस मामले में तो सरकार स्वतः ही कार्यवाही करने वाली है तथा स्वतः ही न्याय करने वाली भी है । सम्पदा पदाधिकारी तो सरकार का ही अभिकर्ता होगा । सरकार आरोप लगायेगी और नौकर निर्णय करेगा । क्या यह कार्यवाही न्यायोचित है ? जिन किरायों को माफ करने का वचन श्री गाडगिल ने दिया था उन्हें तो सरकार माफ करे ।

आप यदि इन लोगों को बेदखल भी करें तो एक और समस्या खड़ी होगी । कल्याणकारी राज्य में मकानों की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य होता है । श्री रेड्डी ने इस सम्बन्ध में स्वतः बहुत कुछ कहा था ।

इस विधि के अन्तर्गत सरकार ने सम्पदा पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया है । इस से मनमाना अत्याचार हो सकना संभव है । मुझे पता है कि सरकार ने सत्तर सत्तर साल के बूढ़ों को आश्वासन दे कर बेदखल कर दिया है । और वे बेचारे बुरी हालत में मारे मारे फिरते रहे हैं । सम्पदा पदाधिकारी संतुष्ट होने पर कि कोई अनधिकृत रूप में सरकारी मकान में बैठा है उसे बेदखल करने का आदेश दे सकता है ।

यद्यपि मैं जानता हूं कि इस कानून को पुनः उच्च-न्यायालयों में अवैध घोषित किया जायेगा तथापि सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि यदि किसी की परिस्थितियां ही खराब हों तो उसे बेदखल न किया जाये ।

लोगों को दुखी करना तो सरकार का उद्देश्य नहीं है । यदि सरकार जनता को दुखी नहीं करना चाहती तो फिर उन्हें श्रीमती सुचेता कृपलानी का और मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये ।

इस विधेयक की प्रक्रिया से किसी को भी न्याय प्राप्त न हो सकेगा । सारे विस्थापित ही इस विधेयक का शिकार होंगे । सारे निर्धन इस विधेयक से पीड़ित हो जायेंगे । सरकार ने अजमेरी गेट की गन्दी बस्तियों की जमीनें गरीबों से १०/१५ रुपये गज में ले लीं और फिर वह ३०० रुपये गज तक बिकीं इस प्रकार का अत्याचार तो नहीं होना चाहिये । सरकार को कार्यवाही करते समय मानवीय सिद्धान्तों की ओर पूरा ध्यान करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आज आप जानते हैं कि दिल्ली में एक कमरा भी १०० रुपये से कम में नहीं मिलता। विस्थापित या इस विधेयक से त्रस्त हरिजन लोग कहां रहेंगे। वैसे सरकार हरिजन कल्याण पर करोड़ों रुपये व्यय कर रही है। क्या वह यहां सहानुभूति नहीं दिखा सकते।

जो लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं उन्हें तब तक न हिलाया जाये जब तक उन्हें और स्थान न दे दिये जाये। गरीबों की रक्षा करनी चाहिये।

मैं पर्याप्त समय ले चुका हूं इसलिये जो फैसले उच्च न्यायालयों ने दिये थे उन्हें पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा। किन्तु मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य उन्हें अवश्य पढ़े।

कोई भी व्यक्ति जो विधि से भिज्ञ है तथा विस्थापितों की परिस्थितियों को जानता है वह इसे अच्छा कानून नहीं कह सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य पर्याप्त समय ले चुके हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : श्रीमान्, मैं अब सभा का ध्यान धारा १० की ओर दिलाता हूं। इस में लिखा है सम्पदा पदाधिकारी का आदेश अन्तिम होगा। इसी प्रकार के आधार पर इसे पहले अवैध घोषित किया गया था। अब आपने इस में क्या सुधार किया। माना अपील जिला न्यायाधीश सुनेगा किन्तु वह मिसल से बाहर तो नहीं जा सकता। धारा १० पहले के समान ही है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा ११० के अधीन कल्पना यह की जाती है कि जिस व्यक्ति के पास स्थान है वह उस का मालिक समझा जायेगा। किन्तु सम्पदा पदाधिकारी दूसरे ही आधार पर कार्य करेगा। वह किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं देखेगा। वह तो कार्य को ही अनधिकृत कब्जे से आरम्भ करेगा। अतः यह कानून एक सभ्य देश की संविहित पुस्त पर रहने के योग्य ही नहीं है। यह अवैध है तथा संविधान के विरुद्ध है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसे वापस लेंगे। यदि वे वापस न लें तो उन्हें हमारे संशोधन स्वीकार करने चाहियें।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** (नई दिल्ली) : हम ने इस विधेयक पर एक विस्तृत विमति टिप्पण दिया है। वस्तुतः इस विधेयक के सम्बन्ध में दिल्ली के बहुत से नागरिकों को भी बहुत आशंकायें थीं। निस्सन्देह मैं इस सिद्धान्त से सहमत हूं कि सरकारी भू-गृहादि का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये होना चाहिये, जिस के निमित्त उन का निर्माण हुआ है तथापि सरकार को जनता की कठिनाइयों पर भी ध्यान देना चाहिये।

अनधिकृत कब्जा भी दो प्रकार का होता है पहिला तो किसी की सम्पत्ति हड़पने की नियत से किया जाता है दूसरा वह जो विवशता के फलस्वरूप किया जाता है। दिल्ली में शरणार्थियों ने जो सरकारी-भूगृहादि में कब्जा किया है वह १९४७ में विभाजन के परिणामस्वरूप हुई उन की विवशता का परिणाम है।

उपमंत्री ने कहा है कि वे लोग पुराने किले में कब्जा कर के बैठ गये हैं। वे वहां एक मिनट भी नहीं ठहरना चाहते हैं। वे केवल यह चाहते हैं कि उन्हें किसी अन्य स्थान में मकान मिल जाये वहां वे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक में संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली का उपबन्ध है। यह अनुचित है। बेदखली के समय सामान्य प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। इस विधेयक का प्रभाव तीन वर्ग के लोगों पर पड़ेगा पहिले शरणार्थी दूसरे हरिजन और तीसरे अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी।

वस्तुतः १९४७ के दिनों में दिल्ली में शरणार्थी समस्या बहुत विकट थी। लोगों को सिर छिपाने के लिये थोड़ी सी भूमि के लिये अपने गहने बेचने पड़े थे। उस समय जिस को जहां स्थान मिला वह वहीं बैठ गया। १९५० में सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जा करने वालों का निष्कासन) विधेयक पहली बार पुरःस्थापित किया गया। उस समय श्री गाडगिल ने स्थिति को देखते हुए हमें कुछ आश्वासन दिये। प्रवर समिति तथा सभा में इन्हें पुनः दुहराया गया। वास्तव में यह सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि इन आश्वासनों की बिल्कुल अवहेलना की गई और उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया।

श्री गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार एक आवंटन समिति बननी थी जिस में संसद् के तीन सदस्य होने थे। तथापि यह समिति एक दो बैठकों के पश्चात् समाप्त हो गई। दूसरा आश्वासन यह दिया गया था कि हटाये जाने वाले व्यक्तियों को उन के रोजगार के स्थान के निकट वैकल्पिक स्थान दिया जायेगा। जो मकान इत्यादि नगर सुधार योजना के अनुसार होंगे या बनाये जा सकेंगे उन्हें नहीं गिराया जायेगा। इन लोगों को जमीन लागत दर पर दी जायेगी। प्रवर समिति ने हमें यह आश्वासन दिया कि वे विधेयक में इन उपबन्धों को इस कारण नहीं रख रहे हैं कि उन्हें पूरी आशा है कि सरकार उन का पालन करेगी।

आश्वासन समिति की सभापति होने के कारण मेरे पास इस सम्बन्ध में हजारों शिकायतें आईं कि लोगों को बिना वैकल्पिक स्थान दिये हुए बेदखल किया जा रहा है। इसलिये हम ने विभिन्न विभागों से इस सम्बन्ध में सूचना मांगी। हम जिस परिणाम पर पहुंचे उस से हमें ज्ञात हुआ कि बहुत से विस्थापितों को उन के स्थानों से बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये हुए हटा दिया गया है। उन्हें प्रसादतः कुछ भी राशि नहीं दी गई है। सरकार ने उन के द्वारा अधिकृत भूमि की कीमत भी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं की है। जहां सरकार ने कीमत निश्चित की है वह ३० रुपये प्रति गज है। इस प्रकार उन आश्वासनों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया।

माननीय उपमंत्री ने कहा है कि इन अनधिकृत कब्जाधारियों में केवल ५० प्रतिशत लोग शरणार्थी हैं बाकी ५० प्रतिशल कौन लोग हैं वे निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, धोबी, मजदूर, कारखानों में काम करने वाले या हरिजन लोग हैं। यह दुख का विषय है कि दिल्ली में इस समय २,२५,००० व्यक्ति गंदी बस्तियों में रहते हैं। उन में रहने वालों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है क्योंकि लोग गांव में बेरोजगारी के कारण यहां आ रहे हैं। इन वस्तुओं में पानी, पाखाने तथा सामान्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। इस पर भी आप उन की झोंपड़ियां गिरा रहे हैं। और उन्हें वहां भी नहीं रहने देते हैं। मेरे पास प्रति दिन कई व्यक्ति आकर इस प्रकार की शिकायतें करते हैं और मुझे यह देख कर दुख होता है कि सरकार ने बिना उन को वैकल्पिक सुविधायें दिये हुए उन की झोपड़ियां हटा दी हैं। स्वयं पंडित नेहरू ने 'दिल्ली की गंदी बस्तियों' की प्रस्तावना में लिखा है कि हमें उन लोगों को वहां से हटाने का तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक उन के लिये वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाये।

अब इस विधेयक से सरकार को संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा उन्हें बेदखल करने का अधिकार दिया जा रहा है। जो बहुत अनुचित है। मैं माननीय मंत्री से पुनः निवेदन करती हूं कि उन्हें बिना वैकल्पिक स्थान दिये हुए बेदखल करना अनुचित है। अतः इस विधेयक में व्यापक संशोधन होना आवश्यक है। इस मामले पर मंत्रिमंडल स्तर पर विचार किया जाना चाहिये और गरीब जनता के लिये निवास की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : बम्बई में भी इसी प्रकार का एक अधिनियम, आवास बोर्ड अधिनियम पारित किया गया था। उस के बड़े भयावह परिणाम हुए। इस अधिनियम के भी वैसे ही परिणाम हो सकते हैं।

१९५० का अधिनियम शक्तिपरस्तात् घोषित कर दिया गया था। सम्भव है यह अधिनियम भी शक्तिपरस्तात् घोषित हो जाये। क्योंकि इस में पदाधिकारियों का नाम बदलने के अलावा और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इस के अलावा सरकारी भूगृहादि की परिभाषा इतनी व्यापक हो सकती है कि उस के अन्दर सभी कुछ आ सकता है।

सरकारी भूगृहादि पर कब्जा करने के लिये नये प्रकार की प्रक्रिया विहित की गई है। यह व्यवहार न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध है। इस अधिनियम में व्यक्तिगत रूप से समन देने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। अधिकारी समन को किसी स्थान में चिपका सकता है और उस के १० दिन बाद मुकदमे की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकती है। और व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। मुकदमे की कार्यवाही में वकील केवल अधिकारी की अनुमति से ही पैरवी कर सकता है। इस के अलावा इस बात को भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि बचाव पक्ष को वादी पक्ष की प्रतिपृच्छा का अधिकार होगा। इस से स्पष्ट है कि सरकार कुछ भूगृहादि को अपने कब्जे में लेने के लिये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया निकाल रही है।

निस्संदेह यदि लोक हित के लिये सरकारी भूगृहादि से लोगों की बेदखली आवश्यक हो तो ऐसा किया जाना चाहिये, तथापि जनता की मुसीबतों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं ने देखा है कि बम्बई में इसी प्रकार के एक विधेयक से जनता पर बहुत जुल्म किये गये और शरणार्थियों को एक बार फिर शरणार्थी होने को मजबूर किया गया। इसी प्रकार की ज्यादतियां यहां भी की जायेंगी।

अतः मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे उपयुक्त संशोधनों को स्वीकार करें क्योंकि उन से वे आश्वासन पूरे होते हैं जो एक भूतपूर्व मंत्री ने दिये थे। वस्तुतः ये लोग अनाधिकृत कब्जा करने वाले नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि सरकार के प्रोत्साहन पर ही ये लोग सात आठ वर्षों से उस स्थान पर रह रहे हैं और उन्हों ने वहां अपने रहने के लिये मकान बना लिये हैं। अतः सरकार का उन्हें बिना वैकल्पिक स्थान दिये वहां से उठाना अनुचित है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि वे ऐसे शरणार्थियों से मकान जो वहां १६ अगस्त १९५० से पूर्व आ गये थे और वे मकान जो नगर योजना की शर्तों को पूरा करते हैं या कर सकते हैं उन्हें नियमित करार दे दें। या उन्हें वहां से तब तक न हटायें जब तक उन के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था न हो जाये।

अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक को पारित करने के पूर्व बेदखली इत्यादि के लिये विहित प्रक्रिया में अवश्यक परिवर्तन किये जायें अन्यथा इस से शरणार्थियों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : मैं वर्तमान परिस्थितियों में इस विधेयक का स्वागत नहीं कर सकता हूं। इस के पूर्व १९५० का इसी प्रकार का विधेयक तीन उच्च-न्यायालयों द्वारा शक्तिपरस्तात् घोषित हो चुका है। माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रवर समिति में हम ने उन आपत्तियों को दूर करने का प्रयत्न किया है जिन के कारण विधेयक शक्तिपरस्तात् घोषित किया गया था तथापि मैं इस सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव से सहमत हूं कि इस विधेयक की भी वही दशा होगी।

†मूल अंग्रेज़ी में

इस विधेयक के सम्बन्ध में इलाहबाद उच्च-न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यह अनुच्छेद १९ और १४ के विरुद्ध जाता है । क्योंकि इस के अनुसार सरकारी सम्पत्ति को अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले को विधि द्वारा वह संरक्षण प्राप्त नहीं है जो गैर सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा करने वाले को मिलता है । इस प्रकार उस से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है । लेकिन पंजाब उच्च न्यायालय इस निर्णय से सहमत नहीं हुआ है । अतः सरकार को तब तक ठहरना चाहिये था जब कि इस के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता । इसके पश्चात् सरकार को एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिये था ।

इस विधेयक का दूसरा पहलू यह है कि इसका शरणार्थियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा । १९५० में ही माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया था कि इस से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों में २० से ३० प्रतिशत व्यक्ति शरणार्थी होंगे । जब १९५० में यह अवस्था थी तो अब मेरे विचार से ७० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक इस से प्रभावित व्यक्ति शरणार्थी होंगे ।

वस्तुतः १९४७, १९४८ में जब शरणार्थियों की बाढ़ दिल्ली में आई तो सरकार के लिये एक विकट समस्या पैदा हो गई । उस समय स्वयं सरकार ने उन से अपने लिये स्थान ढूंढ़ने और अपने लिये मकान बनवाने को कहा । शरणार्थियों ने अपने आश्रय के लिये मकान बनवा लिये । तत्कालीन उत्पादन और निर्माण मंत्री श्री गाडगिल ने उन्हें कुछ आश्वासन दिये थे जिन पर श्रीमती सुचेता कृपलानी विस्तार से कह चुकी हैं, उन को न तो क्रयान्वित ही किया गया और न पंजाब उच्च-न्यायालय ने उन्हें वैध माना । अतः मैं माननीय उपमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन के द्वारा दिये गये आश्वासनों का क्या मूल्य है जब कि उन्हें विधेयक में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, कल पाकिस्तान की असेम्बली में नहरी पानी के विषय में एक विवाद हुआ । आज उस विषय पर हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में विवाद हो रहा है । लेकिन दोनों के नुक्तेनजर में फर्क है । वहां पर दौलताना साहब ने भाषण देते हुए कहा :

> "काश्मीर तथा नहरी पानी के सम्बन्ध में हम भारत से लड़ेंगे । हमारी पुलिस, सेना, हमारे पुरुष तथा स्त्रियां, बच्चे सभी लड़ेंगे ।"

इस के बाद दौलताना साहब से ट्रेज़री बेंचेज़ की तरफ से सवाल किया गया कि आप ने दिल्ली में एक समझौते पर दस्तखत किये थे मई ४, १९४८ को, तो दौलताना साहब कहते हैं :

> "यह दो नहरों के पानी के बारे में समझौता है । इस पर दबाव डालकर हस्ताक्षर कराये गये ।"

हो सकता है कि चूंकि दौलताना साहब हिन्दुस्तान के खिलाफ हैं इसलिये उन्होंने यह बात कही हो । लेकिन इस समझौते पर दो आदमियों के और दस्तखत हैं, जिन में एक तो गुलाम मुहम्मद साहब थे, जोकि बाद में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हुए, और दूसरे शौकत हयात खां साहब थे । इन दोनों के भी हस्ताक्षर उस समझौते पर मौजूद हैं । मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान के और सब लोग दौलताना साहब की तरह के नहीं हैं और वे लोग इस विषय पर बड़ी संजीदगी के साथ

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

विचार करेंगे। लेकिन आप देखें कि जो मौलिक बात इस समझौते में है वह यह है कि इस में यह मान लिया गया है कि ईस्टर्न पंजाब विकसित नहीं है। वैस्टर्न पंजाब विकसित है। इसलिये हिन्दुस्तान को और ईस्टर्न पंजाब को पाकिस्तान की अपेक्षा ज्यादा पानी की आवश्यकता है।

फिर इसके बाद इस समझौते की एक मौलिक बात और है कि जब तक उन नहरों के लिये जोकि हिन्दुस्तान की तरफ से वैस्ट पाकिस्तान को जाती हैं पानी का दूसरा प्रबन्ध न हो तब तक हिन्दुस्तान उन को पानी दे। मैं नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया था कि हिन्दुस्तान की तीनों नदियों का पानी अपनी नहरों के लिये है। वह उसी वक्त तक हिन्दुस्तान से लेगा जब तक कि वह आल्टरनेटिव सोर्स उन के वास्ते खोज नहीं लेता है।

इस के बाद वर्ल्ड बैंक ने सन् ५४ में यह प्रोपोज़ल रखा। पांच बरस के अन्दर पाकिस्तान आल्टरनेटिव सोर्स अपने लिये खोज ले ताकि हिन्दुस्तान का पानी हिन्दुस्तान को मिल सके। वह इस पानी को अपने अंडर-डेवेलप्ड (अल्प विकसित) एरिया के लिये काम में ला सके।

मैं आप को जरा और पीछे ले चलना चाहता हूं। सन् १९४७ के समझौते के बाद सन् १९४९ में हिन्दुस्तान ने एक निवेदन किया कि एक ज्वाइंट कमीशन दोनों मुल्कों का होना चाहिये और वह कमीशन कोई वाया मीडिया (तरीक़ा) निकाले कि जिस के द्वारा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों की समस्या हल हो सके।

इस के पश्चात् ४ अगस्त सन् १९५१ को डेविड ई० लिलयेल ने कोलियर्स जरनल में एक आर्टिकल लिखा "एनादर कोरिया इन मेकिंग"। उन्होंने समझा कि यह पानी का विवाद नार्थ और साउथ कोरिया के विवाद की तरह का सवाल है। लिहाजा उन्होंने एक सुझाव दिया और उस के आधार पर सितम्बर सन् १९५१ में इंटरनेशनल बैंक के प्रेसीडेंट ब्लैक साहब ने एक प्रोपोज़ल रखा। वह यह था कि बैंक दोनों देशों के इंजीनियरों को एकत्रित करेगा। मैं यह बात साफ कर दूं कि हम ने इंटरनेशनल बैंक को अपना आरबिट्रेटर (न्यायनिर्णायक) मुकर्रर नहीं किया था बल्कि इंटरनेशनल बैंक ने अपनी सरविसेज़ इस वास्ते दी थीं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के इंजिनियर को वे एक जगह मिला कर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि दोनों देशों का काम चले। दिनांक ८ नवम्बर, सन १९५१ को ब्लैक साहब ने हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री को अपना यह प्रोपोज़ल भेजा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह सजेस्ट किया कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के इंजिनियर्स की एक वर्किंग पार्टी इस नहरी पानी के विवाद का हल खोजे।

इस के बाद मैं एक बात और साफ करना चाहता हूं। यहां पर १५ मई सन् १९५७ को इर्रीगेशन के मिनिस्टर साहब एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट का यह स्टैंड था कि आपस में समझौता करने में सहायता मिल सके। अर्थात् वह समझौते का साधन मात्र बन सके। सिर्फ यही परपज़ (उद्देश्य) इस इंटरनेशनल बैंक का था, इस के अलावा और कोई परपज़ नहीं था।

मई-जून सन् १९५२ में वाशिंगटन में दोनों पार्टियां मिलीं। उस वक्त इंडिया ने एक प्लान रखा। आप जानते हैं कि पंजाब में ६ नदियां हैं, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। इन ६ नदियों में से तीन यानी व्यास, रावी और सतलज हिन्दुस्तान में बहती हैं और फिर सतलज और रावी पाकिस्तान में जाती हैं। बाकी तीन नदियां पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान को सींचती हैं शायद इंटरनेशनल बैंक यह भूल गया कि वहां पर एक नदी काबुल नाम की भी है। यह नदी काफी पानी लाती और सिन्ध में मिलती है। इस प्रकार आप देखें कि पाकिस्तान में चार नदियों का पानी

आता है, जबकि ईस्टर्न पंजाब में सिर्फ तीन नदियों का पानी आता है जोकि बहुत कम है। इस का आगे चल कर मैं विश्लेषण करूंगा।

हिन्दुस्तान ने जो प्रोपोजल रखा उस में यह था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों हिस्सों की नदियों में ११९ मिलियन एकड़ फीट पानी आता है। हिन्दुस्तान ने कहा कि हम को ईस्टर्न रिवर्स (नदियां) अर्थात् सतलज, व्यास और रावी का सारा पानी मिले और जो वैस्टर्न रिवर्स हैं उन का ७ परसेंट पानी सिर्फ हम को और मिले। अर्थात् ११९ मिलियन एकड़ फीट पानी में हिन्दुस्तान ने अपने लिये २९ मिलियन एकड़ फीट पानी का प्रपोजल रखा। हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान से कहा जितना पानी वैस्टर्न रिवर्स में है उस का ९३ परसेंट आप ले लीजिये और हमें सिर्फ ७ परसेंट पानी दे दीजिये। चूंकि हिन्दुस्तान ने एक प्रोपोजल रखा तो पाकिस्तान को भी एक प्रोपोजल रखना जरूरी था। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जो तीन नदियां बहती हैं उन में से ३० परसेंट पानी पाकिस्तान को और चाहिये। आप देखें कि पहले एग्रीमेंट से मालूम होता है कि ईस्टर्न पंजाब अंडरडेवेलप्ड है पर पाकिस्तान कहता है कि हिन्दुस्तान अपने पानी में से पाकिस्तान को और पानी दे और जो वैस्टर्न रिवर्स हैं उन के पानी में से हम एक छटांक पानी भी हिन्दुस्तान को नहीं देंगे। आप देखें कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों के प्रोपोजल्स में कितना अन्तर है। इस प्रकार पाकिस्तान का यह प्रोपोजल था कि १०२ मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान में रहेगा और आप को सिर्फ १५ मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। इस का अर्थ यह हुआ कि जितना पानी ईस्टर्न और वैस्टर्न पंजाब में है उस का सिर्फ ९ परसेंट भारत को मिलेगा बाकी सब इंडस (सिन्धु) बेसिन का पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिये।

इस के बाद बैंक ने दूसरा प्रोपोजल रखा। बैंक ने देखा कि ये दोनों लड़ रहे हैं। बैंक ने कहा कि अच्छा भाई हिन्दुस्तान तुम २२ परसेंट ले लो। बैंक ने कहा कि कुल ११९ मिलियन एकड़ फीट पानी है उस में से ९७ मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को दे दिया जाये और २२ मिलियन एकड़ फीट हिन्दुस्तान को दिया जाये, अर्थात् जो २९ मिलियन एकड़ फीट के लिये हिन्दुस्तान का प्रोपोजल था उस को बैंक ने ७ मिलियन एकड़ फीट पानी कम कर दिया। पाकिस्तान ने १०२ मिलियन एकड़ फीट पानी की मांग की थी। उस में से उन्होंने पाकिस्तान को ९७ दे दिया। इस प्रकार घाटे में हम रहे। इस प्रोपोज़ल के अनुसार बैंक ने पाकिस्तान के हिस्से में कुल पांच परसेंट कम किया और हिन्दुस्तान के हिस्से में सात परसेंट कम कर दिया। जैसाकि मैं ने अभी कहा है, इस सारी बातचीत में काबुल नदी को बिल्कुल भुला दिया गया है। उस में बहुत पानी आता है। लेकिन उस का मेनशन (ज़िक्र) तक नहीं किया गया है। बैंक ने दूसरी प्रोपोज़ल यह रखी कि संक्रमण काल में—ट्रांज़ीशनल पीरियड में—भारत पाकिस्तान को पानी देता रहेगा। वह तब तक देता रहेगा, जब तक कि लिंक कनाल्ज़ (नहरें) तैयार न हो जायें। इस सम्बन्ध में पांच वर्ष की अवधि निश्चित की गई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह अवधि तो समाप्त हो चुकी है। तीसरी प्रोपोज़ल यह थी कि दोनों देशों में जो निर्माण होगा, उस का खर्च दोनों देश देंगे। यह भी तय किया गया कि भारत केवल उस खर्च के लिये ज़िम्मेदार होगा, जोकि रीप्लेसमेंट बेनिफ़िट आफ़ वाटर के कारण उस के हिस्से आयेगा। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि पाकिस्तान ने प्रोपोज़ल किया था कि सिन्ध नदी से पानी निकालकर हिन्दुस्तान की कैनाल्ज़ में डाल दिया जाय और उस का खर्च हिन्दुस्तान दे। यह तो वैसी बात है कि कलकत्ते का पानी दिल्ली लाया जाय। यह तो बिल्कुल उलटी बात है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान ने इस बात को स्वीकार न कर के अच्छा किया है। बैंक के जिन सुझावों का मैं ने अभी ज़िक्र किया है, हिन्दुस्तान ने उन को मान लिया। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना। जिस का परिणाम यह है कि नहरी पानी विवाद बराबर चल रहा है। वह कब तक इस तरह चलता रहेगा, यह पता नहीं है। इस का अन्त होना चाहिये।

[श्री रघुनाथ सिंह]

सन् १९५४ में एक और स्कीम निकाली गई। को-आपरेटिव वर्क (सहकारी) के बेसिस पर एक प्लान बने। दिनांक २१-६-५५ को वाशिंगटन में एक एड हाक (तदर्थ) समझौता हुआ, जिस में यह तय हुआ कि १-४-५५ से ३०-९-५५ तक हिंदुस्तान पाकिस्तान को पानी दे। दिनांक ३०-१०-५५ को वाशिंगटन में एक दूसरा एग्रीमेंट,हुआ, जिस के अनुसार यह निश्चित हुआ कि हिन्दुस्तान १-१०-५५ से ३१-३-५६ तक पाकिस्तान को पानी दे। इस के बाद एक तीसरा एग्रीमेंट २४-९-५६ को वाशिंगटन में हुआ, जिस के अनुसार यह तय किया गया कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान को १-४-५६ से ३१-३-५७ तक पानी देगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज, १९५८ में, हम किस एग्रीमेंट के आधार पर पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हम १९५८ में भी पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं, तो वह नाजायज़ तौर पर दे रहे हैं।

मैं आप के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इन एग्रीमेंट्स के सम्बन्ध में कांफ़रेंस इत्यादि करने में भारत का क्या खर्च हुआ। शायद वह आप का ही सवाल था, जिस के उत्तर में इस सदन में बताया गया कि इस सम्बन्ध में १०,८१,००० रुपया खर्च कर दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश को फ़ारेन एक्सचेंज (विदेशी विनिमय) की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सात आठ पन्ने के छोटे से एग्रीमेंट के लिये इतनी बड़ी राशि वाशिंगटन में खर्च कर दी गई। मैं समझता हूं कि इस के उत्तर में शायद कहा जायगा कि आखिरकार सारी दुनिया एक है, हम पंचशील के सिद्धान्त को मानते हैं, को-एग्ज़िस्टेंस (सह-अस्तित्व) में विश्वास रखते हैं, इसलिये हम को आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिये, लड़ना नहीं चाहिये। मैं आप को कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। सारे इन्दस बेसिन में, अर्थात् जब ईस्ट और वैस्ट पंजाब एक थे, तो उस सारे क्षेत्र में ६,०५,००,००० एकड़ भूमि खेती लायक थी, जिस में से पाकिस्तान के हिस्से ३,६०,००,००० एकड़ भूमि और भारत के पास सिर्फ २,६०,००,००० एकड़ भूमि आई। पार्टीशन (विभाजन) परिणामस्वरूप भारत को सिर्फ ५० लाख एकड़ सींची हुई भूमि मिली और पाकिस्तान को २,१०,००,००० एकड़ सींची हुई भूमि मिली, अर्थात् भारत को १९ सैंकड़ा और पाकिस्तान को ५४ सैंकड़ा सींची हुई भूमि मिली। यह पार्टीशन की विभीषिका थी। हमारे सिख और जाट भाइयों ने अपने खून से वैस्ट पंजाब को सींचा था, अपनी जान लड़ाई थी और इस तरह रेगिस्तान को हरी भरी भूमि बना दिया था। वे लोग विस्थापित किये गये। इस के उत्तर में यह कहा जायेगा कि यह तो होता ही है, दुनिया में हरेक आदमी को जीने का अधिकार है, लोग तो दान दिया करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आप को आबादी के आंकड़े देना चाहता हूं। ईस्ट पंजाब की आबादी २,१०,००,००० है, जबकि वैस्ट पंजाब की आबादी २,५०,००,००० है। आबादी में सिर्फ ४० लाख का फ़र्क है और भूमि में १९ और ५४ परसेंट का फ़र्क है। यह क्या न्याय है? हाथी साहब को पता होगा कि भारत में---यहां मेरा मतलब ईस्ट पंजाब से है---२,१०,००,००० एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जबकि वैस्ट पंजाब में सिर्फ १ ८०,००,००० एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। जहां तक पर कैपिटा भूमि का सवाल है, भारत में सींची हुई भूमि प्रति व्यक्ति के ऊपर सिर्फ २४ एकड़ है, जबकि पाकिस्तान में---वैस्ट पंजाब में---वह .८० एकड़ है, अर्थात् पाकिस्तान में वह तीन गुना ज्यादा है। आप पूछेंगे कि पानी कितना आता है और उस का बंटवारा कैसे हो। इन्दस बेसिन में १६८ मिलियन एकड़ फ़ीट पानी होता है, जिस में से ८० परसेंट तो वैस्ट पंजाब में है और सिर्फ २० परसेंट ईस्ट पंजाब में है। अगर सतलुज, ब्यास और रावी का एक एक बूंद पानी भी यूटिलाइज़ किया जाय, तो भी २० परसेंट से ज्यादा पानी नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने सब पानी को यूटिलाइज़ करे, तो वह ८० परसेंट पाता है। पाकिस्तान की नहरों में ६,६०,००,००० एकड़ फ़ीट पानी होता है, जबकि हिन्दुस्तान में सिर्फ ९०,००,००० एकड़

फ़ीट पानी से सिंचाई होती है। इस में अपनी अपनी अक्ल, अपनी अपनी बुद्धि का भी सम्बन्ध है। हम लोगों ने भाखरा डैम बनाया है और पानी का ठीक इस्तेमाल करने के उपाय किये हैं। मैं आप को इन्टरनेशनल बैंक की आबज़रवेशन बताना चाहता हूं। उस ने कहा है कि अरब सागर में पाकिस्तान को ७,५०,००,००० एकड़ फ़ीट पानी खराब होता है। हिन्दुस्तान अपने के लिये सिर्फ़ १६ परमेंट पानी प्रयोग करता है। अगर पाकिस्तान चाहे, तो वह ८० परसेंट से अधिक पानी का प्रयोग कर सकता है और अपनी एक एक इंच भूमि को सींच सकता है, लेकिन हम ईस्ट पंजाब की पूरी भूमि नहीं सींच सकते हैं। एग्रीमेंट की शर्तों से साफ़ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को डेवेलप्ड लैंड मिली है और हम को अन-डेवेलप्ड लैंड मिली है। इसलिये दुनिया की सिम्पथी, दुनिया की सहानुभूति हमारे साथ होनी चाहिये। भूखे हम हैं, वे भूखे नहीं हैं। उन के पास साधन मौजूद हैं। खेत मौजूद हैं, पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) .८० एकड़ उन का है। पर कैपिटा .२४ एकड़ हमारा है। वे खुशहाल हैं। इस लिहाज़ से हम नहीं हैं। मैं दुनिया से कहना चाहता हूं वह इन फैक्ट्स को आंखें खोल कर देखें और समझें कि हिन्दुस्तान के साथ क्या अन्याय हो रहा है।

पाकिस्तान ने उस को भी नहीं माना तो जून, १९५७ में वाइस-प्रेसीडेण्ट आफ वर्ल्ड बैंक हिन्दुस्तान आये। वह अप्रैल और मई में पाकिस्तान भी गये और उन्होंने प्लान्स को स्टडी किया। जुलाई १९५८ में जब पाटिल साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ यह कहा कि कनक्रीट प्रोपोजल क्या है वह सामने नहीं आया है उन्होंने परामर्श दिया। जुलाई १९५८ में सवाल पूछा गया कि लन्दन में जो कान्फ्रेंस हुई थी उस का क्या नतीजा निकला तो कहा गया—कि पाकिस्तान का प्लान मिला है और हम उस को स्टडी कर रहे हैं। दिनांक ३१ जुलाई १९५८ को फिर सवाल पूछा गया लेकिन फिर भी यही जवाब दिया गया कि पाकिस्तानी प्लान को स्टडी किया जा रहा है। १२-८-५८ को हाफ़िज़ जी ने कहा और बड़ी मर्दानगी के साथ कहा कि एक फार्मूला है और वह फार्मूला यह है कि वैस्टर्न रिवर्स और टू सप्लाई वाटर टू पाकिस्तान (पश्चिमी नदियों का पाकिस्तान को पानी देना है)। इस में हाफिज़ जी ने एक बात तो साफ कही। अभी इसी महीने से पिछले महीने में १६-१७ दिन हुए इस सदन में यह उत्तर दिया गया था :—

> "अपनी जनता की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर के भारत समझौते की अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं करेगा।"

इस से पता चलता है कि स्थिति कुछ साफ हुई है। उस स्थिति को हमारे सामने रखा गया है। मैं चाहता हूं कि हाफ़िज़ जी इस पर स्टिक करें। कहें कि जो वैस्टर्न रिवर्स का पानी है उस को पाकिस्तान ले। और जो ईस्टर्न रिवर्स का पानी है, उसे हम लें। हम अपनी गवर्नमेंट से तथा हाफ़िज़ जी से यह आशा करते हैं कि वे हमारी जो इस वक्त तक ढिलमिल नीति रही है, उस को त्याग देंगे और इस पोज़ीशन पर स्टिक करेंगे। मैं चाहता हूं कि साफ तौर से यह कहा जाय कि न एक बूंद पानी हम तुम को देंगे और न एक बूंद पानी हम तुम्हारा लेंगे।

हाथी साहब से जब एक सवाल पूछा गया कि आखिर बाबा यह बात कब तक चलती रहेगी तो उन्होंने कहा कि सन् १९६२ तक। अभी पाकिस्तान को पानी देने की चार बरस की लीज़ आपने और दे दी है और आपने कहा है कि १९६२ के बाद हम पाकिस्तान को जो पानी देते हैं, वह बन्द कर देंगे। इस के बाद हमने पाटिल साहब से पूछा कि आखिरकार साहब आप कब तक वेट करेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया कि :

> "अपनी जनता की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर के भारत समझौते की अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं करेगा।"

[श्री रघुनाथ सिंह]

मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट की यह नीति है तो उस को इस नीति पर स्टिक करना चाहिये और इस वास्ते स्टिक करना चाहिये कि २ करोड़ ६० लाख भूमि जो ईस्टर्न पंजाब में है जिस में से कि १ करोड़ १० लाख भूमि ऐसी है जोकि बंजर पड़ी हुई है, जो सींची नहीं जा रही है उस को सींचने के लिये ईस्टर्न रिवर्स का एक एक बूंद पानी मिल सके, उस का उपयोग भारत में किया जा सके।

हाथी साहब से जब यहां एक बार सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि दो तरह के खाते हैं, एक डिसप्यूटिड खाता है और दूसरा अनडिसप्यूटिड खाता है। हमारे यहां खाता बहुत जल्दी खुल जाता है। बजाय इस के कि मामले को तय किया जाय, हम खाता खोल देते हैं। पाकिस्तान ने इस का फायदा उठाया। नतीजा यह हुआ कि इस खाते में जो हमारा २७ लाख ८१ हज़ार ८३१ रुपया पाकिस्तान के ज़िम्मे बाकी है, उस को पाकिस्तान ने सन् १९५० से हमें अदा नहीं किया है उस में से एक पैसा भी नहीं दिया है। इस के साथ ही साथ जो डिसप्यूटिड एमाउंट है वह करीब ९७ लाख ८७ हज़ार ९८० रुपया है जिसे पाकिस्तान ने अभी तक अदा नहीं किया है। आप अच्छे महाजन हैं। जब तक भी कोई खाना चाहे उस को खिलाते जाना चाहते हैं। चाहे वह आप को आपका रुपया दे या न दे। आप यह कहते जाते हैं कि हम खिलावेंगे जरूर। इस नीति का मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं अन्त होना चाहिये। इस के साथ ही साथ १९४७-४८ से इलैक्ट्रिक ड्यू के तौर पर १ लाख ८४ हज़ार ७०९ रुपया भी बाकी है।

दिनांक ५-९-१९५७ को एक मोशन कालिंग एटेंशन का दिया गया था। उस का जवाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सफा १२४२ पर दिया था। उन से पूछा गया। पाटिल साहब के जवाब को तो आप छोड़ दें, आप बतायें कि पाकिस्तान के ज़िम्मे कितना रुपया है। कुछ मालूम तो हो कि वह कैसा व्यापारी है जोकि उधार ले कर देता भी नहीं है और उस का पेट भरते जाते हैं क्या आप के यहां भी कोई खाता है। उन्होंने कहा कि यहां भी खाता खुला हुआ है और उस में तीन तरह की कैटेगरीस हैं। उस में उन्होंने बताया कि एक पार्टिशन ड्यूस हैं जो करीब ३०० करोड़ के हैं। इस में एक कैटेगरी ५० करोड़ की है। यह कुछ अधिक या कुछ कम हो सकती है, यह पार्टिशन ड्यू में है। इस पर एक माननीय सदस्य ने झट से सवाल पूछा कि वह सेपेरेशन करेंसी का क्या मामला है? इस पर कहा गया कि ४९ करोड़ रुपया उस में भी पाकिस्तान के ज़िम्मे है। इस के बाद जो डिफेंस स्टोर सप्लाई किये गये उन के बारे में प्रश्न किया गया है। इस पर कहा गया कि १३ करोड़ रुपया उस में भी बाकी है। इस तरह से कोई ११२ करोड़ रुपया भारत का पाकिस्तान के सिर पर मौजूद है। इतना होने पर भी हम उन को रुपया देते हैं, उन को पानी देते चले जा रहे हैं। एक तरफ तो वहां जिहाद का नारा लगाया जा रहा है दूसरी तरफ हम उन को खिलाते पिलाते जा रहे हैं। आप यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान के बजट का ८० प्रतिशत फौज के ऊपर खर्च हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना रुपया फौज पर क्यों खर्च किया जा रहा है? इस फौज को किस के खिलाफ इस्तेमाल करना वे लोग चाहते हैं? यह फौज हमारे खिलाफ तैयार हो रही है, इस फौज को हम पानी देते जा रहे हैं, इस फौज को हम खिला रहे हैं और क्या हम इस को इसलिये खिला रहे हैं कि यह हम पर हमला करे और आकर हमारे साथ लड़े? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने घर में आबाद रहे और हम अपने घर में आबाद रहें। हमें उन को साफ साफ कह देना चाहिये कि बाबा तुम्हारा पानी तुम्हारे पास और हमारा पानी हमारे पास, तुम्हारी नदियां तुम्हारे पास और हमारी नदियां हमारे पास।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक पार्टीशन कमेटी बनी थी। उस ने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ बटवारे किये। आखिरकार हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की हैसियत क्या है? पाकिस्तान भी सावरेन है, हम भी सावरेन हैं। हमारे देश में जो नदियां हैं तथा उन का जो पानी

है, वे हमारी हैं और पानी हमारा है और पाकिस्तान में जो नदियां तथा पानी है वह उस का है। अगर आज पाकिस्तान यह कहता है कि जो हिन्दुस्तान की नदियों का पानी है, उस में उस का भी हिस्सा है, तो इस का मतलब यह है कि वह हमारी सावरेन्टी में हिस्सा बटाता है इस का यह मतलब होगा कि हिन्दुस्तान की भूमि पर आप पाकिस्तान का कब्ज़ा मानते हैं। इस हमारी भूमि में से एक इंच भूमि पर भी उस का कब्ज़ा नहीं माना जाना चाहिये। ऐसा कर के आप पाकिस्तान को एक साझीदार बनायेंगे, जोकि नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस पालिसी का अन्त हो।

आप देखेंगे कि पाकिस्तान वाले चिल्लाते हैं कि राजस्थान को सींचने के लिये कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्कीमें बनाई हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था करने की स्कीम आज नहीं बनी है, यह स्कीम तो बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई थी। सन् १९०२ में श्री जे० विलसन ने राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था करने की स्कीम बनाई थी और कहा था कि राजस्थान को पंजाब की नदियों में जो एक्स्ट्रा पानी है, पहुंचाया जाना चाहिये। जब यह बात है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट को क्यों बीच में घसीटा जाता है; जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक थे, जब इस मुल्क का बटवारा नहीं हुआ था, जब सब मिल जुल कर रहते थे, उस वक्त एक स्कीम बनी थी कि राजस्थान को पंजाब की नदियों से पानी पहुंचाया जाये। अब अगर कांग्रेस गवर्नमेंट......

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : नहर तो वहां पर अब भी है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं सन् १९०२ की बात कह रहा हूं, आज से कोई ५५ साल पहले की बात। हमने कोई नई बात नहीं की है, हमने कोई नई स्कीम नहीं निकाली है, हमने कोई नई पालिसी तय नहीं की है। आज से क़रीब ५५ बरस पहले जो पालिसी थी, जो स्कीम थी, उसको हमने पुरानी रद्दी फाइलों में से निकाल कर अमली रूप देने की कोशिश की है। यह स्कीम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जब दोनों देशों के लोग एक थे, ने मिल कर तय की थी। अब हम उसको कैरीआउट कर रहे हैं।

पाकिस्तान ने एक और नया नारा उठाया था। उसने कहा था कि जो इंटरनैशनल कोर्ट हेग में है, उसको यह सारा मामला सुपुर्द किया जाये। आप जानते ही हैं जो सावरेन बोडीज़ होती हैं जब तक वे रज़ामन्द न हों, मामला वहां नहीं जा सकता है। हिन्दुस्तान ने इस कोर्ट को मामला न सौंपने की बात कह कर बुद्धिमानी की बात की है। मैं आपको दो और मिसालें बतलाना चाहता हूं। अमरीका और मैक्सिको के बीच भी कैनाल वाटर डिसप्यूट चल रहा है। अमरीका और कनाडा में भी कैनाल वाटर डिसप्यूट चल रहा है। ये डिसप्यूट ८० वर्ष पुराने हैं। हालांकि इतने पुराने ये डिसप्यूट हैं फिर भी मामला आर्बिट्रेशन के लिये नहीं सौंपा गया है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये स्टेट्स सावरेन हैं। अपनी अदालतों में ही वे मुकदमा ले जायें। अगर हिन्दुस्तान सावरेन है। पाकिस्तान सावरेन है तो हमको आर्बिट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अमरीका, कनाडा, मैक्सिको में ८० बरस से इसी तरह का मामला चल रहा है। हमें भी उसी को फालो करना चाहिये। हमको किसी आर्बिट्रेशन के झमेले में नहीं पड़ना चाहिये। हमारी जो पालिसी है वह बिल्कुल साफ होनी चाहिये। हमारी पालिसी यह होनी चाहिये कि हमें अपनी १ करोड़ १० लाख भूमि को सींचना है जिसमें इस समय सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा जो पानी है, वह इस काम में आना चाहिये और यह जो घिस घिस, ढिस ढिस और मिस मिस की पालीसी है, इसका अन्त होना चाहिये। इस अवस्था का अन्त होना चाहिये। हाफ़िज़ जी जब यू० पी० में थे तो अपनी स्पष्टवादिता के लिये बहुत मशहूर थे और मैं समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस बारे में साफ साफ स्टेटमेंट्स दिये, कुछ ठोस कदम उठायेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की जो जनता हिन्दुस्तान की जनता के खिलाफ़ नहीं है और हिन्दुस्तान की जनता भी पाकिस्तान की जनता के खिलाफ़ नहीं है। हम दोनों भाई भाई की तरह से हैं। भाई की तरह से, पड़ौसी की तरह से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग युद्ध के नारे लगाते हैं और 'फाइट, फाइट, फाइट' कहना चाहते हैं उन से मैं कहूंगा कि अगर तुम 'फाइट, फाइट, फाइट' कहोगे तो पहले तो हम 'शांति, शांति, शांति' कहेंगे, पर अगर तुम महमूद गजनवी की तरह से, गोरी की तरह से, नादिरशाह और तैमूर लंग की तरह से हिन्दुस्तान की दौलत को लूटने के लिये आओगे तो ठीक नहीं होगा। आज पुराना ज़माना बीत गया, आज हिन्दुस्तान आजाद है। तुम कहते हो कि हमारे बच्चे और स्त्रियां लड़ेंगे, मैं कहूंगा कि हमारे बच्चे और स्त्रियां अपने को कुर्बान कर देंगे। सैक्रिफाइस करेंगे, इस वास्ते कि दोनों मुल्कों में शान्ति हो।

†**श्री गोरे** (पूना) : भारत सरकार भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से जो कमज़ोर नीति अपनाये जा रही है नहरी पानी विवाद से उस कमज़ोर नीति का एक आभास मिल जाता है। पहले से ही सिन्धु नदी हिमालय से १६८० लाख एकड़ फीट पानी लाती है जिसमें से लगभग ६६० लाख एकड़ फीट पानी पाकिस्तान के काम आता है और ६० लाख एकड़ फीट पानी भारत के काम आता है और शेष ७५० लाख एकड़ फीट बेकार चला जाता है। यदि दोनों देशों ने मिल कर इस समस्या को वैज्ञानिक आधार पर ध्यान रख कर विचार किया होता तो सिन्धु नदी के समस्त पानी का सदुपयोग हो सकता था। परन्तु पाकिस्तान ने यह ज्यादा ठीक समझा कि यह पानी समुद्र में चला जाये तो अच्छा है परन्तु भारत के काम न आये। मैं इसके लिये पाकिस्तान पर ही दोषारोपण नहीं करता हूं। यह तो सदा ही होता आया है कि सत्य की ओर होते हुये भी यदि ढ़ीली ढीली नीति अपनाई जायेगी तो दूसरे यही कहेंगे कि अपना भी कुछ दोष होगा तभी तो चुप हैं।

मैं अपने मित्र के इस कथने से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि पाकिस्तान एक सर्वप्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र है और हमारा भी सर्वप्रभुत्व सम्पन्न देश है। तो जब दोनों के बीच कोई विवाद हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि एक राष्ट्र अपने आप हानि उठाकर और अनावश्यक त्याग कर के दूसरे राष्ट्र को खुश करने की कोशिश करे। यह कहा गया कि विश्व बैंक का सुझाव बड़ा सीधा सा सुझाव है कि पाकिस्तान अपनी ओर की नदियों का प्रबन्ध करे तथा भारत अपने ओर की, और इसमें यदि हमें भारतीयों को कुछ त्याग करना पड़ता है तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जब भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया था तो और आगे बातचीत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती थी। परन्तु मेरा अपना विचार है कि इस के कारण भारत को बहुत हानि उठानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने आठ वर्ष से तो पानी के मूल्य दिये ही नहीं हैं अब हम उनसे क्या आशा कर सकते हैं।

१९०२ में राजस्थान सिंचाई आयोग के इंजीनियर विल्सन ने कहा था कि हम पंजाब की नदियों से राजस्थान में सिंचाई करा सकते हैं। परन्तु अब केवल तीन नदियों से ऐसा करना सम्भव नहीं है ; हमें इस कारण भी नुक़सान उठाना पड़ रहा है।

विश्व बैंक ने यह भी सुझाव दिया है कि १९५९ के पश्चात् हम पाकिस्तान को पानी देना बन्द कर सकते हैं परन्तु हमारा कहना यह है कि १९६२ तक हम पानी देते रहेंगे तो विश्व बैंक की सिफ रिशें किस रूप में स्वीकार की गई। इसीलिये मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को नहरी पानी विवाद ।-

†मूल अंग्रेजी में

के बारे में अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त कर देने चाहियें । यह एक ऐसी समस्या है जिसमें सारा देश भारत सरकार के साथ है और इसीलिये विश्व बैंक के सुझावों से अधिक भारत सरकार को पाकिस्तान को सुविधायें नहीं देनी चाहियें ।

सरदार इकबाल सिंह (फ़ीरोज़पुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जिस कैनाल वाटर डिसप्यूट (नहरी पानी विवाद) का ज़िक्र चल रहा है वह उस वक्त से चल रहा है जिस वक्त से कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान आज़ाद हुये और जिस के पहले पंजाब की नहरों, पंजाब के इर्रिगेशन का सिलसिला एक ढंग से चल रहा था । तक़सीम (विभाजन) के साथ साथ जहां पर और बहुत सी मुसीबतें आईं, इर्रिगेशन का सिलसिला भी तक़सीम हो गया । १६ नहरों में से पाकिस्तान पंजाब को १३ नहरें गईं और हिन्दुस्तान पंजाब को ३ नहरें मिलीं । जो नहरें उस वक्त रियासतों को जाती थीं उन में से ११ नहरें वह थीं जो कि बहावलपुर या मुल्तान के इलाक़े को सैराब (सिंचाई) करती थीं और सिर्फ एक गंग कैनाल थी जो बीकानेर के इलाक़े को सैराब करती थी । लेकिन हिन्दुस्तान ने पहले सन् १९४७ में और उस के बाद सन् १९४८ में एक समझौता किया था । आज सब से बड़ी कोशिश यह की जा रही है कि उस समझौते को बैकग्राउण्ड में डाला जाय और उस के बाद की जो बाक़ी बातें हुईं उन को आगे रक्खा जाय ।

इस समझौते में हिन्दुस्तान की तरफ़ से हमारे प्रधान मंत्री, उस वक्त के पंजाब के इर्रिगेशन के मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और श्री एन० वी० गाडगिल थे । पाकिस्तान की तरफ़ से गुलाम मुहम्मद और शौकत हयात, जो उस वक्त इर्रिगेशन मिनिस्टर थे, और मियां मुमताज दौलताना थे । वही मियां मुमताज दौलताना आज दस साल के बाद पाकिस्तान की असेम्बली में और बाकी जगहों में कहते हैं कि सन् १९४८ का समझौता अन्डर ड्यूरेस (दबाव) किया गया था । आप यह जानते हैं कि उस वक्त अण्डर ड्यूरेस, हिन्दुस्तान था न कि पास्कितान । उस वक्त पाकिस्तान फ़ीरोज़पुर के ६ मील उत्तर में आरज़ी (अस्थायी) नहरें बना रहा था । अब गंग कैनाल के इलाक़े से, जहां से कि हम पानी लेते हैं, उस के पानी को काट कर दिपालपुर कैनाल में डालें, इस को सामने रखते हुये सब से पहले हिन्दुस्तान की सरकार ने हरीका बैराज बनाने का फैसला किया ताकि कम से कम बीकानेर के इलाक़े के जो लोग हैं, पांच छः लाख आदमी, उन में से किसी को पाकिस्तान नुक़सान न पहुंचा सके । उस वक्त अण्डर ड्यूरेस तो हिन्दुस्तान के वह आदमी थे जिन के पानी को किसी वक्त काटा जा सकता था, और वही आदमी जो तब इस बात को करने में कामयाब नहीं हुये, उन्होंने खुद कहा था कि हिन्दुस्तान को हक़ है कि इन तीन नदियों का पानी ले । उस के बाद जब ऐसे हालात हुये कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की वह बात नहीं चली तो वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट (सुझाव) किया कि एक इंजीनियरिंग टीम बनाई जाय । उस के बाद वर्ल्ड बैंक ने कुछ तजवीज़ें हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सामने रक्खीं । हिन्दुस्तान की सरकार ने उन तजवीज़ों को मंजूर किया लेकिन पाकिस्तान सरकार ने न सिर्फ उन को मंजूर ही नहीं किया बल्कि वह दो तीन साल तक कहती रही कि हम उन को स्टडी करते हैं । इस तरह से उन्होंने इतना वक्त गुज़ार दिया । उन तजवीज़ों में हिन्दुस्तान का यह हक माना गया था कि जो तीन दरिया सतलज, रावी और व्यास हैं उन का पानी उस को मिले ।

आप यह जानते हैं कि इन तीनों दरियाओं का जो पानी है वह कुल मिला कर २९ लाख क्यूसेक्स के करीब बनता है और पाकिस्तान को जो जो दरिया जाते हैं जिन में इन्डस और काबुल के साथ साथ चेनाब और झेलम भी हैं, उन का जो पानी है वह १४० लाख क्यूसेक्स के करीब बनता है जिस का प्रपोर्शन २० और ८० के करीब बनता है । उस में से भी जो हिन्दुस्तान इस्तेमाल करता है वह सिर्फ ७ लाख क्यूसेक्स के क़रीब है । इस के बाद जब फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की तजवीज़ को नहीं माना तो अगले साल वर्ल्ड बैंक ने एक नया प्रपोजल दिया । उस के बाद आलिफ साहब

[सरदार इकबाल सिंह]

आये, उन्होंने एक नई तजवीज़ रक्खी। आज हम इस हाउस में और इस के बाहर इस बहस को इस लिये उठाते हैं कि हिन्दुस्तान के लोगों के दिल में, पंजाब और राजस्थान के मुसलमानों के दिल में, शकूक (शंका) पैदा होते हैं, जिस ढंग से कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस पोजीशन को रक्खे हुये है कि आज हिन्दुस्तान के साथ जो कैनाल वाटर डिस्प्यूट है वह एक एकानमिक झगड़ा है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के अन्दर कुछ आस और उम्मीद थी कि जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम होगी तो उस के साथ उन के हालात भी बेहतर होंगे। आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान की नहरें थीं, जिन को पंजाब की सरकार ने बनाया था, उन को जो पानी दिया गया वह साढ़े तीन क्यूसेक फी हज़ार के हिसाब से दिया गया और इस तरफ़ की जो नहरें हैं उन को सिर्फ ढाई क्यूसेक्स फी हज़ार के हिसाब से दिया गया। इधर का इलाका भी बहुत खराब था।

इसके साथ साथ यह हुआ जो कि सब से बड़ी बात है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने कोई मजबूत स्टैंड नहीं लिया। हमारा एक यही गिला है कि आखिर जब वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप पांच साल के बाद, सन् १९५९ के बाद बेशक पाकिस्तान को पानी न दें तो क्यों हिन्दुस्तान की सरकार ने यह कह दिया कि हम सन् १९६२ तक पानी देंगे। दो तीन साल ट्रांजिशनल ऐग्रीमेंट्स किये, उन का कम से कम एक फायदा ज़रूर होता था कि पाकिस्तान भी अपना डाटा (आंकड़े) हिन्दुस्तान को सप्लाई करता था और हिन्दुस्तान भी अपना डाटा पाकिस्तान को सप्लाई करता था। पिछले साल पाकिस्तान ने कोई ट्रांजिशनल एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि एक गलत बिना पर वर्ल्ड बैंक के पास गया और कहा कि देखो, हिन्दुस्तान ने हम को पानी नहीं दिया। हालांकि इस जून और जुलाई में सब से कम पानी पिछले २५ या ३० सालों में रावी, व्यास और सतलज में पहुंचा और पंजाब में कम से कम इस खरीफ़ की फसल कम बोई गई। इस का फायदा न उठाते हुये ह्यूमैनिटी (मानवता) के नाते पर हिन्दुस्तान ने कहा कि बेशक पाकिस्तान की नहरों को पानी मिलना चाहिये जब तक कि वह दूसरा कोई अल्टर्नेटिव अरेंजमेंट नहीं कर लेता। इस के बजाय कि पाकिस्तान इस ह्यूमैनिटेरियन मोटिव को समझे, उस ने एक नई शिक़ायत वर्ल्ड बैंक के पास भेज दी और इसके बाद वर्ल्ड बैंक के इंजीनियर और हिन्दुस्तान के इंजीनियर उन से मिले। पता नहीं उन से मिलने के बाद वर्ल्ड बैंक को खुफिया रिपोर्ट देगा या क्या करेगा। इस के बावजूद पाकिस्तान वाले एक लड़ाई का, कोल्ड वार का सिलसिला चलाना चाहते हैं। इस के बाद आप जानते ही हैं कि सन् १९४८ के समझौते में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने यह माना है कि जिस वक्त दोनों सरकारें लिंक चैनेल्स बना लेंगी उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता विदड्राल खत्म हो जायेगा। उसके बाद पाकिस्तान बांवन वाला बेदियन लिंक की चैनल बना कर अपर बारी दोआब के इलाक़े में पानी के मामले में सेल्फ सफिसिएंट (आत्मनिर्भर) हो गया है।

इसके बाद वल्लोकी सुलेमानकी चैनेल बहावलपुर का जो इलाक़ा था उसमें अपने ढंग से पानी सप्लाई कर सकते हैं। जब लिंक चैनेल्स बन जायेंगे और उसके बाद जब हम यह कहें कि सन् १९६२ तक भी पानी देंगे और इसलिये सन् १९४८ के भारत-पाकिस्तान नहरी पानी समझौते की जो शर्तें थीं उनको वे अपने ढंग से पूरा कर चुके।

इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर पंत जी ने इसी जुलाई में सरहिन्द कैनाल फीडर का एफ़तिताह (उद्‌घाटन) किया और उसके साथ साथ हम राजस्थान कैनाल वीक मना रहे हैं। अब अगर आप सन् १९६२ तक पानी देना चाहते हैं तो कम से कम हमें यह चीज़ तो

ज़रूर माननी चाहिये कि इन नहरों में जिस ढंग से पानी की ज़रूरत ज्यादा होगी उस ढंग से हम उन को पानी की सप्लाई कम करते जायेंगे। मगर उसके बजाय आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी कहा है कि हमने एक नया कमिश्नर लगा दिया है जो यह देखेगा कि कम से कम उसी ढंग से पानी दें। जब आपकी नहरें ज्यादा बन रही हैं, जब आपकी नई नहरें चल चुकी हैं और नई नहरों को पानी की ज़रूरत है और यह वह इलाक़ा है जिस इलाक़े में सब से ज्यादा नौन स्टेपुल कौटेन (रूई) पैदा होता है। आज हमारे देश को करोड़ों रुपये इसलिये बाहर देने पड़ते हैं कि लौंग स्टेपुल कौटेन हमारे पास नहीं है और जिस इलाक़े के लोग इस उम्मीद पर बैठे थे कि जिस वक्त यह नहरें बन जायेंगी उस वक्त पाकिस्तान को यह पानी देना बन्द कर दिया जायगा। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो १६ नहरें थीं, जितना इलाक़ा है जितना भी पानी देना चाहिये वह देने के बाद हिन्दुस्तान का जो पानी आता है वह क़रीब क़रीब ८० फीसदी होता है, ८० और २० का रेशियो (अनुपात) है।

अब जहां तक नये प्रपोजल्स का ताल्लुक़ है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में, इस मुल्क के लोगों में और खास तौर पर पंजाब और राजस्थान के बसने वालों में एक शुबहा पैदा होता है। सन् १९५४ के प्रपोज़ल्स में वर्ल्ड बैंक ने यह कहा था कि तीन दरिया उनके होंगे और तीन दरिया इनके होंगे और उसके बाद तक़रीबन ५० करोड़ रुपया हिन्दुस्तान पाकिस्तान को देगा। उसके बाद बहुत सी बातें सुनते रहे। इस बारे में हिन्दुस्तान के अख़बार नहीं बल्कि बाहर के देश का एक अख़बार यह लिखता है कि पाकिस्तान ने नये प्रपोज़ल्स के मुताबिक़ हिन्दुस्तान से ७०० करोड़ रुपया मांगा है। अब आप समझ सकते हैं कि ७०० करोड़ रुपये की रक़म कोई एक छोटी और मामूली रक़म नहीं है जिसको कि यूंही नज़रअन्दाज़ किया जा सके। इस तरफ़ के बसने वाले किसान और लोग भी जो यह समझते हैं कि हमें पानी ज्यादा मिक़दार में और ज्यादा दिनों के लिये मिल सकेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद हिन्दुस्तान के जो बाहर भाई रहते हैं वे हमारे पानी के मसले और हमारी ज़रूरयात को नहीं समझ सकते। गर्मियों और सर्दियों के दिनों में पानी की ज़रूरत में बहुत फ़र्क़ है। सरदी के दिनों में इन तीन दरियाओं में जो हिन्दुस्तान को आई हैं कुल तक़रीबन ८ हज़ार क्युसिक पानी होता है और इसलिये पंजाब की जो नहरें हैं मसलन् सरहिन्द कैनाल और दूसरी नहरें महीने में सिर्फ़ क़रीब १५ दिन चलती हैं, आलटरनेटिव ढंग से चलती हैं और उनमें तक़रीबन आधा या एक तिहाई के क़रीब पानी होता है। सर्दियों में पानी की बहुत ज़रूरत होती है और अगर आप सर्दियों में पाकिस्तान को पानी देना मंजूर करते हैं, जब कि आपके अपने रिज़रवायर्स बने नहीं हैं और जब कि उनके लिंक चैनेल्स बन चुके हैं तो मैं समझता हूं कि आप उस हालत में हिन्दुस्तान के लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। अलबत्ता अगर उनके लिंक चैनेल्स न बने हुये होते तो मैं यह कह सकता हूं कि आपको उनको पानी देना चाहिये था। लेकिन जब उन्होंने लिंक चैनेल्स बना लिये हैं और जब सर्दियों के लिये उनको पानी मिल सकता है तो फिर सर्दियों में आप उनको इतनी वाटर सप्लाई दें जब कि हिन्दुस्तान के लोगों को १० दिन पूरा पानी मिलता है और दस दिन आधा पानी मिलता है और दस दिन बिल्कुल उन नहरों में पानी नहीं होता, ठीक और मुनासिब नहीं जंचता।

अगर आप यह नये प्रपोज़ल्स मंजूर कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको हिन्दुस्तान के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और उनकी ज़रूरत का पानी उनको ज़रूर सप्लाई किया जायगा। यह चीज़ हिन्दुस्तान का अख़बार नहीं बल्कि लन्दन का "एकोनामिस्ट" अख़बार लिखता है कि उन्होंने ७०० करोड़ का प्रपोज़ल दिया है और यह ७०० करोड़ का प्रपोज़ल जो पाकिस्तान ने किया है वह सिर्फ़ इसलिए दिया है कि वह दो बातें चाहता है। एक तो यह कि सन् १९६२ के बाद भी पानी ले और दूसरे यह कि किसी ढंग से इस ईश्यू को कोल्ड वार का ईश्यू बना कर दुनिया के दायरे में इसको ले जा कर हमारे खिलाफ़

[सरदार इकबाल सिंह]

प्रचार करे कि देखिये हिन्दुस्तान हमारे साथ कैसी नाइंसाफ़ी बर्त्त रहा है, हमें पानी के लिए तरसा रहा है । इसलिए मैं अपने इलाक़े के लोगों की तरफ़ से सरकार की ख़िदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह इस नहरी पानी की समस्या के बारे में एक नई और मजबूत पालिसी अख़्तियार करे ।

आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे जिस इंजीनियर ने इस कैनाल वाटर डिस्प्यूट के सिलसिले में हिन्दुस्तान की नुमायन्दगी की है वह एक बहुत क़ाबिल इंजीनियर है। हमारे गुलाटी साहब पंजाब के बेहतरीन इंजीनियरों में से एक हैं लेकिन दरअसल बात यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार इस मस्ले को पार्ट टाइम मसले की तौर पर देखती है जब कि पाकिस्तान का सब से बैस्ट ब्रेन डेलिगेशन का सेक्रटरी होता है और पाकिस्तान का सब से अच्छा इंजीनियर बातचीत में हिस्सा लेता है । मैं इससे इंकार नहीं करता कि हमारे इंजीनियर गुलाटी साहब बहुत क़ाबिल हैं और उन्होंने हिन्दुस्तान के केस को मज़बूती के साथ पेश किया लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार को लोगों को यह बताना चाहिए कि हम भी इस नहरी पानी के मामले में उतने ही इंटरेस्टेड हैं जितना कि पाकिस्तान । अगर पाकिस्तान का बैस्ट इंजीनियर और उसके बैस्ट ब्रेंस (मस्तिष्क) नहरी कान्फ्रेंसेज़ में शिरक़त (सम्मिलित) करते हैं तो हिन्दुस्तान को भी उसी ढंग से इस मसले को सीरियसली (गंभीरता) लेना चाहिए ताकि हिन्दुस्तान के अवाम (जनता) के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला न हो और हमारे लोग यह शिकायत न कर सकें कि ऐसा इसलिए हो गया चूंकि हमारी नुमायन्दगी कमज़ोर थी । इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें उसी लेबिल पर बातचीत करनी चाहिए जिस लेबिल पर कि पाकिस्तान करता है । अगर वह मिनिस्ट्रियल लेविल पर बातचीत करता है तो हमें मिनिस्ट्रियल लेविल पर बातचीत करनी चाहिए और सेक्रेटरी लेविल पर अगर वह करे तो हमें भी उसी लेविल पर करनी चाहिए । बस मैं इस मौक़े पर इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : जनाब चेअरमैन, मैं उन तमाम समझौतों की तवारीख़ (इतिहास) में नहीं जाना चाहता जिनमें पिछले स्पीकर्स (वक्ता) जा चुके हैं । मैं तो सिर्फ़ गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को यह बताना चाहता हूं कि मेरा सूबा पंजाब इस बारे में क्या सोचता है । यह हमारी बड़ी बदक़िस्मती है कि वहां के लोग कभी किसी एक मसले पर एक राय नहीं हो पाते लेकिन जहां तक कि नहरी पानी झगड़े का सवाल है, तमाम पंजाबी लोग चाहे वे किसी मज़हब के हों, चाहे किसी कास्ट के हों और चाहे किसी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, कम से कम इस बारे में वे एक ही तरह से सोचते हैं और वह यह है कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ नहरों के मामले में पंजाब को बुरी तरह से लैट डाउन किया है ।

यह जो भाखरा डैम बनाया जा रहा है यह जो भाखरा की स्कीम है यह मुत्तहिदा (अविभाजित) पंजाब की स्कीम थी । मुत्तहिदा पंजाब में बारबार बहसें हुईं । यह अपने दौलताना साहब नहीं थे बल्कि इनके वालिद मोहतरीम अहमद यार खां दौलताना उस वक्त मौजूद थे । शौक़त हयात नहीं थे बल्कि उनके वालिद मोहतरीम सिकन्दर हयात खां मौजूद थे । यह नौजवान मिस्टर मामदोत नहीं थे बल्कि उनके वालिद मोहतरीम नवाब मामदोत उस वक्त होते थे जो कि बड़े बुज़ुर्ग थे। मेरी उन के साथ बड़ी लम्बी एसोसियेशन रही है । मुझे वह हिस्सा बड़ा प्यारा लगता है जिसको कि अब पाकिस्तान कहते हैं । वहां पर भी हमारे भाई लोग रहते हैं । पाकिस्तान के साथ मेरी एप्रोच नफ़रत पर मबनी (आधारित) नहीं है । वहां पर मेरे भाई रहते हैं और उनसे मेरा खून का रिश्ता है जो कि एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है । यह मेरी एप्रोच है और कम्युनिस्ट पार्टी की यह एप्रोच है । सीधी सी बात यह है कि उन्होंने अपना घर अलग कर लिया और हम ने अपना घर

अलग कर लिया। हमारे सामने सीधी बात यह है कि जब पानी की हमारे यहां कमी है तब हम दूसरे मुल्क को पानी कैसे दे सकते हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब पंजाब संयुक्त प्रान्त था उस समय ऐसी भावना थी कि पूर्वी पाकिस्तान में सिंचाई का विकास नहीं था और इसीलिये संयुक्त निधि से उसका वहां पर विकास करना था। जब पानी की हमारे यहां खुद कमी है तब हम दूसरे मुल्क को कैसे दे सकते हैं और यह तो वही बात हुई कि मां गुलगुले दान करे और घर में गुड़ नहीं। मेरे बुजुर्ग मोहतरीम चौधरी छोटूराम ९ जनवरी, १९४५ को भगवान को प्यारे हुए। ८ जनवरी की शाम को उन्होंने इंजीनियर को बुलाया और फ़ाईल मंगवा कर भाखरा डैम पर दस्तखत किये और दस्तखत करने के बाद आराम से लेट गये और कहा कि अब हे भगवान बेशक़ उठा लो और ९ जनवरी को वह प्यारे हो गये। उस वक्त तमाम मुत्तहिदा पंजाब के अन्दर यह मांग हुई थी कि ईस्ट पंजाब यानी अम्बाला डिवीज़न के इर्रीगेशन को डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च किया जाना चाहिए ताकि दरियाओं का पानी ईस्टर्न पंजाब के लिए बंध बांध कर जमा किया जाय। लेकिन पंजाब का पार्टीशन हुआ। यह पंजाब की बदकिस्मती थी कि उसका पार्टीशन हुआ। इसकी वजह यह थी कि पंजाब वाले किसी भी पोलीटिकल पार्टी के हाई-कमांड में नहीं थे। पंजाब का पार्टीशन करते वक्त वहां के लोगों की तकालीफ का किसी ने अन्दाजा नहीं लगाया और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान वालों ने उसको आपस में बांट लिया। यह तो सन् १९४७ की बात हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब के बारे में आम एप्रोच यह है कि यह झगड़ालू सूबा है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह बहुत भले आदमियों का सूबा है।

यह जो ईस्टर्न पंजाब का नहरों का झगड़ा है उसको मैं समझने से कासिर हूं कि यह चीज क्या है। आप देखें कि पंजाब का किसान इस के बारे में क्या सोचता है। एक किसान ने मुझ से पूछा कि यह नहर का क्या मसला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिन्दुस्तान वालों ने हमारे पानी को पाकिस्तान के पास गिरवी रख दिया है। मैं कहता हूं कि यह एक सिंपिल सी बात है। दोनों सावरिन मुल्क हैं। हर एक के अपने अपने दरिया हैं। तुम अपने दरियाओं का पानी लो हम अपने दरियाओं का पानी लें। इस सिलसिले में एक चीज़ का रेफ़रेंस दिया जाता है। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि पाकिस्तान को तो हिस्टारिक सप्लाई आव वाटर मिलनी चाहिए। वह हिस्ट्री की दलील देते हैं। मुझे सन् ४७ के पहले की किताबों की याद आती है। एक किताब डा० राजेन्द्र प्रसाद की लिखी हुई है और दूसरी डा० अम्बेडकर की। दोनों मास्टर पीसेज़ हैं लेकिन दोनों ने बुनियादी तौर पर यह वारनिंग दी है कि भाइयो हिस्टरी ने हिन्दुस्तान को एक रखा है, हिस्टरी से लड़ाई न लड़ो। हिस्टरी ने मुल्क को इस तरह से जोड़ा है कि अगर मुल्क डिवाइड हुआ तो बड़ी भारी तकलीफ होगी। लेकिन इस बुनियादी बात को ठोकर मार दी गयी और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग कर लिया गया। अब कहा जाता है कि हम को हिस्टारिक रीजन्स पर वाटर सप्लाई मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं कि हिस्टरी की वह कोई दलील न दें क्योंकि हिस्टरी को तो उन्होंने ठुकरा दिया और मैं समझता हूं कि दुनिया में उस तकलीफ की मिसाल नहीं मिलेगी जो कि पंजाब को हिस्ट्री में ठोकर मारने की वजह से मिली। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दोनों सावरिन स्टेट्स हैं और दोनों के अपने अपने दरिया हैं। इस में झगड़ा क्या हो सकता है।

जहां तक डेवेलपमेंट का सवाल है मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पानी की कमी की वजह से क्या हाल हो सकता है यह आपने १८ तारीख को देख लिया जब कि दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिला। मुझे वह चीज़ देख कर खुशी हुई क्योंकि यहां के हुक्मरां लोगों को भी तो पता चला कि पानी न मिले तो क्या तकलीफ होती है। हमारे यहां झज्जर और रिवाड़ी तहसीलों में पानी का यह हाल है कि एक एक घड़ा पानी लेने के लिए लोगों को सत्ताईस सत्ताईस मील इंजिनों के पास जाना पड़ता है। वहां पानी की बड़ी तकलीफ है। पीने का पानी नहीं मिलता है। वहां का

[श्री प्र० सि० दौलता]

पानी खारा है । वहां पर लोग जोहड़ों में बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उसको काम में लाते रहते हैं । जोहड़ सूख जाते हैं तो वहां पानी नहीं मिल सकता । जब तक वहां की जमीन पर नहर का पानी नहीं आवेगा तब तक पानी की तकलीफ दूर नहीं हो सकती । गुलाटी साहब की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन जिन इंजीनियरों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा है कि भाखरा डैम से गुड़गांवा को एक बूंद पानी नहीं मिल सकता । रोहतक को एक ड्राप पानी नहीं मिलेगा, महेन्द्रगढ़ के उरले (इधर के) हिस्से को एक घूंट पानी नहीं मिलेगा, परले हिस्से को कुछ मिलेगा । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सन् ४५ में सर छोटूराम ने पानी के लिए दस्तखत किये थे और उस वक्त की वहां की गवर्नमेंट भी कहती थी कि इन इलाकों को पानी मिलना चाहिए । आज हमारी हिन्दुस्तान की अपनी गवर्नमेंट है लेकिन इस हिस्से को पानी नहीं मिल रहा है । मैं तो कहता हूं कि पंजाब के लिए कोई रिगार्ड ही नहीं है । एक तो यह वजह है कि पंजाब में कोई बड़े आदमी जैसे सर छोटूराम, लाला लाजपत राय वगैरह थे इस वक्त नहीं हैं । हमारी कोई बात बतलाने वाला नहीं है । इससे पहले जब कि पार्टीशन नहीं हुआ था सर सिकंदर यह चीज़ हमें देने के लिए तैयार थे, बुजुर्ग दौलताना साहब इसके लिए तैयार थे जो कि इन दौलताना साहब के बाप थे । लेकिन इन नौजवानों के साथ समझौता कर लिया है और हमारी तकलीफों का लिहाज नहीं रखा गया । मेरे ये दिली जज़बात हैं । यह पानी का मामला है । मैंने राड़ेवाला साहब के साथ इस फसल के जमाने में अपने इलाके का दौरा किया है और देखा है कि पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा है और हमारी फसलें सूख रही हैं । ईस्ट पंजाब के अम्बाला डिवीजन की फसलें सूख गयीं उनको पानी नहीं मिला और पाकिस्तान को पानी जा रहा था, और इसके बावजूद पाकिस्तान वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं ।

मुझ से एक इंजीनियर साहब ने कहा था कि जब तक सिरसा ब्रांच को भाखरा ब्रांच से नहीं जोड़ा जायेगा अम्बाला के उरले हिस्से को पानी नहीं मिल सकता और सरदियों में अगर पाकिस्तान को पानी दिया गया तो अम्बाला तो क्या, पटियाला डिवीजन और जालंधर डिवीजन तक को पानी नहीं मिल सकेगा । जहां तक अम्बाला डिवीजन का ताल्लुक है उसको तो एक घूंट पानी नहीं मिलेगा जब तक कि सिरसा ब्रांच की नहर के लिए पानी न दिया जाये और वह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि पाकिस्तान की सप्लाई बन्द न हो । तो मैं अर्ज करता हूं कि ख्वाहिश तमाम पंजाब के लोगों की है कि यह झगड़ा तै हो । मैं आपके सामने पंजाब के किसानों के, छोटे दुकानदारों के जज़बात पेश कर रहा हूं ।

आज पंजाब का मसला यह समझा जाता है कि यह मिनिस्टर बने या वह मिनिस्टर बने । लेकिन पंजाब का यह मसला नहीं है । पंजाब का मसला यह है कि पंजाब के जो तीन इलाके दिल्ली से लगे हुए हैं आप उनको पानी दें । वहां का पानी का मसला सब से बड़ा मसला है । मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन अपोजीशन में मैं पंजाब का मेम्बर हूं । मेरे भाई जो उस तरफ हैं उनको पाकिस्तान की ज्यादा फिक्र है । अपने मुल्क के किसानों की उतनी फिक्र नहीं । मैं पंजाब के किसानों के जज़बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज पंजाब किसान कितनी परेशानी में है । वे आज गवर्नमेंट आव इंडिया के बारे में यह सोचता है कि वह हमारा पानी पाकिस्तान को दे रही है । यह पानी देना जल्द बन्द होना चाहिये । अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईस्ट पंजाब के लोग उस पानी पर धरना देंगे जो पाकिस्तान को जा रहा है और फिर आप कहेंगे कि अपोजीशन वाले सिचुएशन को एक्सप्लाइट करते हैं । मैं तो चाहता था कि जो हालत यहां पर १७ और १८ तारीख को रही वह कम से कम एक हफ्ते रहती तो शायद यहां के हुक्मरां को पता लगता कि पानी के वगैर क्या तकलीफ होती है । हमारी यह तकलीफ उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान का पानी बन्द नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : श्रीमान्, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूम कर देखा और पाया कि इस नहरी पानी विवाद के कारण पंजाब के किसानों को उतना पानी नहीं मिल पा रहा है जितना कि उनको फसल के लिए आवश्यक है। मैंने इस पानी की कमी की ओर प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को पानी के आंकड़े देने पड़ते हैं और बताना होता है कि हम ज्यादा पानी नहीं ले रहे। मैं जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान हमें कोई आंकड़े नहीं देता है तो हम उन्हें आंकड़े क्यों देते हैं। क्योंकि हमारी सरकार की नीति दृढ़ नहीं है। मैं मानता हूं कि हमें मैत्री भाव रखना चाहिये परन्तु हमारे लिए यह संभव नहीं होना चाहिए कि हम स्वयं हानि उठा कर मैत्री भाव रखें। मेरी माननीय मंत्री से अपील है कि वह इस सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र प्रकाशित करायें जिससे हमारे मैत्री भाव की नीति को हमारे देशवासी और विशेषतया पंजाबवासी ग़लत न समझ बैठें।

किसी ने कहा कि हमने इस विषय पर गंभीर हो कर कभी विचार नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में सर्वदा बड़े उत्सुक रहे हैं और सजग रहे हैं। पंजाब की नदियां पंजाब के लिए जीवन स्रोत रही हैं और अभी भी हैं। पंजाब देश का अन्न भंडार कहा जाता है। परन्तु यदि उसी स्थान को पानी नहीं देंगे तो पंजाब ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष भुखमरी का शिकार हो जायेगा। इसलिए हमने १९६२ की जो अवधि निश्चित कर दी है उसको और नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध बुरे हो जायें परन्तु साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि मैत्री रखने के लिए हम अपने ३६ करोड़ व्यक्तियों को एकदम भुला दें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** आज देश में सब से पहली समस्या खाद्यान्नों की समस्या है। इस खाद्यान्न समस्या पर ध्यान रख कर ही हमें इस नहरी पानी की समस्या पर विचार करना चाहिए। मेरे मित्र प्रस्तावक महोदय ने इस सम्बन्ध में पुराने विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत किया और पुराना इतिहास बताया जिससे ऐसा पता लगे कि यह मामला बड़ा उलझन का मामला है। परन्तु मुझे तो यह बड़ा सीधा सा मामला लगता है, हालांकि इसे बड़ा उलझा दिया गया है। सन् १९४८ में एक समझौता किया गया था और उसके बाद कोई समझौता नहीं हुआ तो फिर उसे क्यों नहीं माना जाता है। मैं पूछता हूं कि आप उसे क्यों भुला रहे हैं और क्यों बेकार की बहस में पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि हमें इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। यह बड़े खेद की बात है जब हमारा देश भुखमरी का शिकार हो रहा है उस समय हम इस महत्वपूर्ण समस्या को इस प्रकार सुलझा रहे हैं जिससे किसी को भी कोई संतोष नहीं है।

मैं सरकार से यह प्रश्न पूछता हूं कि वह किन कारणों से १९६२ तक पाकिस्तान को पानी देने को तैयार है। मैं जानता हूं कि मुझे यह उत्तर दिया जायेगा कि उस तिथि से पहले हमारी नहरें नहीं बन पायेंगी। मेरा विचार है कि सरकार को इस समस्या को सबसे महत्वपूर्ण समझ कर प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरे जिन स्थानों पर नहरें बनी हुई हैं, कम से कम उन स्थानों पर तो पर्याप्त पानी दिया जाये। उनको क्यों कष्ट दिया जा रहा है।

जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उससे पता लगता है कि पाकिस्तान ने शिकायत की है कि हम समझौते के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं अर्थात् उन्हें पानी नहीं दे रहे हैं। जितना मुझे मालूम है, वह समझौता १९५७ में समाप्त हो गया था और उसकी अवधि नहीं बढ़ाई गई थी। बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान कोई आंकड़े नहीं देता है और समझौते की अवधि बढ़ाने को तैयार नहीं है परन्तु फिर भी आप देश में भुखमरी करके उनको पानी दे रहे हैं। इतना होने पर भी पाकिस्तान पानी के उन पैसों को भी देने के लिये तैयार नहीं हैं जिनके सम्बन्ध में कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

झगड़ा नहीं है। मेरा विश्वास है कि यदि पाकिस्तान को यह पता लग जाये कि पानी बन्द होने वाला है तो वह एक भी पैसा भारत को नहीं देगा। यह केवल इसी कारण हो रहा है क्योंकि हमारा व्यवहार पाकिस्तान के साथ बड़ा उदारता का है। सरकार को पानी के पैसों के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में बता दिया जाना चाहिये कि हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार रहें परन्तु हमारा धन हमें दे दिया जाना चाहिए। यदि वह ऐसा न करें तो पानी रोक दिया जाना चाहिए। अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर को सभी योजनाओं से प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे खाद्यान्नों की कठिनाई शीघ्र दूर की जा सके।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : माननीय मित्र श्री रघुनाथ सिंह इस समस्या पर बहुत कुछ कह चुके हैं और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता।

शायद अभी हाल में पश्चिमी पाकिस्तान के मुख्य मंत्री ने कहा था कि १९४८ का समझौता दबाव में आकर किया गया था। जब उनका यह रवैया है तो फिर किसी शान्तिपूर्ण समझौते की कैसे आशा की जा सकती है। पिछले दस वर्षों से यह एक समस्या बनी हुई है। सिन्धु नदी केवल भारत तथा पाकिस्तान में से गुजरती है परन्तु इस के बारे में आज १० वर्ष बाद भी कोई समझौता नज़र नहीं आता है जब कि विश्व में इस प्रकार की नदियां भी हैं जो आधे दर्जन देशों में से गुजरती हैं और उसके सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित देशों में आपस में समझौता है और उसके पानी के वितरण के मामले को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता। मैं नहीं समझता कि सरकार इस मामले में कोई कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं करती है। यह ठीक है कि दोनों देशों को मित्रता रखनी चाहिए परन्तु इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम कमज़ोरी दिखा कर मित्रता बनाये रखें। मेरे मित्र श्री माथुर ने अभी बताया कि जिस धन के बारे में कोई झगड़ा नहीं है वह भी पाकिस्तान ने नहीं दिया है। मैं भी समझता हूं कि यह सरकार की ढीली नीति के कारण ही हो रहा है।

उत्तरी भारत की सभी नदियां विभाजन के पश्चात् से अन्तर्राष्ट्रीय नदियां हो गई हैं। और यदि हम ने सिन्धु नदी के सम्बन्ध में कड़ी नीति नहीं अपनाई तो हो सकता है कि आगे चल कर ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी तक के पानी के वितरण के बारे में गड़बड़ हो। मैं चाहता हूं कि सरकार दृढ़ता का बर्ताव अपनाये और १९६२ की जो अन्तिम तिथि रखी गई है उसको न बदले। इस बीच जो अपना बकाया धन पाकिस्तान पर है उसको लेने का भी प्रयत्न किया जाये।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : जनाब चेअरमैन साहब, मैं मेम्बरान का बहुत ही आभारी और मशकूर हूं कि उन्होंने हमारे इस देश के एक ऐसे बड़े मसले पर, जिसका ताल्लुक हिन्दुस्तान के लाखों आदमियों की जिन्दगी से है, वह रोशनी डाली, जिस का मुझे सुनने का मौका मिला।

जहां तक इन बातों का ताल्लुक है जो कही गईं, उन से पहले एक बात जो मेरे खयाल से इस मसले से हटी हुई थी वह यहां कही गई और जो इस से पहले मेरे इल्म में नहीं थी। इसलिये मैं उन मोअज्जिज मेम्बर साहबान (माननीय सदस्यों) की खिदमत में जिन्होंने कि रोहतक हिसार वगैरह की तरफ को पानी की स्केअर्सिटी (कमी) का तजकिरा किया है, जनाब के जरिये से गुजारिश करता हूं कि अगर वह प्राइवेट तौर पर इस से ज्यादा रोशनी इस मसले पर डालेंगे तो शायद गवर्नमेंट इस मामले की तरफ ज्यादा तवज्जह करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैंने कैनाल वाटर डिस्प्यूट के इस मसले पर जो तकरीरें सुनीं, उन से मुझे अहसास हुआ कि हमारे इस मुल्क के नुमाइन्दों के जजबात इस मामले में क्या हैं। मैं यह अर्ज नहीं करता कि मैं किसी भी हैसियत से यह कह सकता हूं कि जो उन के जजबात हैं वे बेजा हैं। मैं नहीं अर्ज कर सकता। वाकई हर मुल्क के रहने वालों के जजबात अपने मुल्क के फायदे और अपने मुल्क के भाइयों की जरूरतों के लिहाज से ऐसे ही हो सकते हैं जैसे जजबात का इजहार इस जगह किया गया। लेकिन शायद इस बात का खयाल नहीं रखा कि इस मसले के ऊपर आज जो मुबाहसा हो रहा है वह दस साल के बाद हो रहा है। अब तक दस साल गुजर चुके हैं इस मसले को चलते हुए और हमारे दरम्यान और दुनियां के अन्दर यह इतने दिनों से कायम है, और बहुत कुछ विचार इस मसले के मुताल्लिक दुनियां के सामने किया गया। बहुत सी बातें की गईं। आज अमली तौर पर कहां तक यह मुमकिन होगा कि हम उन सब बातों को, जो इस वक्त तक हो चुकी हैं, इग्नोर (उपेक्षा) करें, उन की तरफ से निगाह हटा कर यकलख्त (एकदम) कोई पालिसी अख्त्यार कर लें जिस से कि इस किस्म के नतीजे मुरत्तब हों, जिन नतीजों को खुद हमारा दिल भी न चाहता हो ? जिनकी कि निस्बत मैं थोड़ी सी गुज़ारिश भी करूंगा। तो मैं समझता हूं कि उस रोशनी में अगर इस मामले को देखा जाय तो शायद इतनी सख्त राय न क़ायम हो जिसकी कि निस्बत मैं कोई शिकायत नहीं करता कि वह राय क्यों क़ायम हुई। लेकिन मैं यह अर्ज़ कर रहा हूं कि अगर पूरी हक़ीक़त को सामने रक्खा जाय तो शायद उस के अन्दर इतनी सख्त नहीं होगी। मसलन् (उदाहरणतः) एक बात मैं अर्ज़ करूं। अब यह तो मेरे लिये मुश्किल होगा कि मैं सभी बातें जोकि यहां पर फ़रमाई गई हैं उनके मुताल्लिक़ तफ़सीली तौर पर कुछ अर्ज़ कर सकूं क्योंकि वक्त की तंगी है। अलबत्ता उनमें से जिस जिस की निस्बत मैं ऐसा समझूंगा कि उन को इस हाउस के सामने रख देना ज़रूरी है, उन के मुताल्लिक़ मैं अर्ज़ कर दूंगा।

एक बात यह फ़रमाई गई कि आज जो पानी पाकिस्तान को दिया जाता है अपने यहां से सालाना हर फ़सल के ऊपर वह किस मुआहिदे (समझौते) के मुताबिक है ? उस का यहां एक सवाल हुआ और उसका जवाब दिया गया और उसकी वह सतर मैं पढ़ दूंगा लेकिन मैं इस तौर पर जवाब देना चाहता हूं कि फ़र्ज़ कीजिये मुआहिदा नहीं हुआ और इस सिलसिले में क़ानून और इंटरनेशनल ला का भी ज़िक्र हुआ। मैं ने मान लिया कि इंटरनेशनल ला का भी तकाज़ा नहीं है और जो मुल्क का हमारा क़ानून है उसका भी तकाज़ा नहीं है, लेकिन एक बात मैं उस वक्त इस हाउस में नहीं था लेकिन मेरे दिमाग़ में वह मौजूद है, मुझ को किताब याद है वह पढ़ी हुई है और मैं ने उस को इस तौर पर समझा कि वह इस हाउस के कौनकरेंस और इस हाउस के फ़ीलिंग्स को दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिये कही गई थी और उस में यह कहा गया था कि हम पानी पाकिस्तान को इसलिये नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान की हुकूमत का हमें कोई लिहाज़ है बल्कि हम पाकिस्तान को पानी इसलिये देते हैं कि जो लाखों आदमी उस पानी के ज़रिये से आज अपनी रोज़ी कमा खा रहे हैं और ज़िन्दा हैं उन के ऊपर यकलख़्त (एकदम) कोई मुसीबत न आ जाय। यह ह्युमैनेटेरियन प्वाएंट आफ व्यू (मानवतावादी दृष्टिकोण) है, इंसानी हमदर्दी का मामला है जिसकी कि निस्बत मैं यह कह सकता हूं कि आज दुनिया के सामने हिन्दुस्तान का सिर ऊंचा है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के रवैये को नहीं देखते हैं। यहां के जो आदमी हैं उन में और उधर जो हमारे लोग रहते हैं उन में क्या फ़र्क हैं ? आख़िर जब पाकिस्तान नहीं बना था तो वे भी तो यहां के और लोगों की तरह पानी पा रहे थे और पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान की कैनाल्स बनीं तब भी वे पानी पा रहे थे और अब भी पानी पाते हैं लेकिन अब वह बिलकुल उससे महरूम हो जायेंगे और जिस वक्त तक उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम नहीं होगा उस वक्त तक वे पानी से बिलकुल महरूम हो जायेंगे और उस वक्त तक उन को कुछ नहीं मिलेगा।

[हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है पाकिस्तान ने वाक़ई लिंक कैनाल्स बनाई हैं और उनको जो अब पानी दिया जाता है, जितना लिंक कैनाल्स से पानी मिल सकता है उतने रक़बे को उसमें से काट कर पानी दिया जाता है । आज यही हो रहा है और यही तरीका जारी रहेगा जब तक कि यह मामला इस तरीके से चलता है । मगर अब सवाल यह है कि जो मैं समझा तकरीरों के खुलासे से वह यह है कि चूंकि पाकिस्तान की वह बातें हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वह शिकायतें हैं उस की वजह से पानी बन्द कर दो । मैं जानता नहीं कि मैं किसी वक्त अपने जज़बात के तहत (भावनाओं के बहाव) किसी बात को कह दूं लेकिन अगर ठंडे दिल से उस को सोचने बैठूंगा तो किस नतीजे पर मैं पहुंचूंगा यह मैं जानता नहीं । मैं समझता हूं कि इस ऐवान (सभा) के मेम्बरान अगर इस बात को सोचेंगे और मेरे उन भाई ने जिन्हों ने कि इस मज़मून को इनीशिएट (प्रारंभ) किया, उन्हों ने अपनी तकरीर में कहा कि हम को उन भाइयों को जोकि हमारे भाई हैं और जिन का और हमारा गोश्त और खून एक है, वे हमारे हैं और हम उन के हैं, उन को हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है । मेरे दोस्त ने अपनी तक़रीर में यह बात कही और इस हक़ीक़त को तसलीम किया । अब अगर आज इस हक़ीक़त को तसलीम किया जाता है तो फिर मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई शख्स यह मशविरा नहीं दे सकता है कि इस तरह से ब्रुटैली और क्रुएली उन आदमियों के साथ कार्यवाही की जाय और उन को उस पानी से महरूम कर दिया जाय । मेरा यह कहना पाकिस्तान के बचाव के लिये नहीं है जो मुआहिदे की शर्तें हैं उन को तो पूरा करें । अब अगर पाकिस्तान को यूं समझ लिया जाय कि पाकिस्तान मुआहिदे की किसी चीज़ को एक हिस्से को भी नहीं मानता, किसी पर अमल नहीं करता और कोई काम ठीक नहीं करता तब आप क्या मशविरा देते हैं ? क्या हम मुआहिदे (शर्तों) की शरायत को न मानें ? सन् १९६२ तक तो हमें उन को पानी देना ही है . . .

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह एटीच्यूड अगर पाकिस्तान का दस साल से अब तक रहा है तो वह सन् १९६२ तक यानी तीन साल और बना रह सकता है और उस वक्त भी यही सवाल पेश होगा ।

एक माननीय सदस्य : जब तक वहां की सरकार बदल जायगी और जनता की सरकार बन जायगी ।

श्री अचिंत राम (पटियाला) : पानी आप भले ही दीजिये लेकिन उस के साथ ही साथ उन से पैसा भी मांगिये ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : उन की पानी की सप्लाई भी बढ़ती जा रही है और वह बढ़ती चली जायगी और हम इस बात की कोशिश में हैं कि उन को इस का रिएलाइज़ेशन आये और वह इस बात को समझें, हमारे ज़रिये से नहीं तो औरों के ज़रिये समझायें और उन के ऊपर इस तरह से एन-फ्लुएंस डालें कि वे इस मसले को ठीक तौर से समझ कर के जो माकूल तरीक़ा इस मसले के फ़ैसला करने का हो सकता है उस तरीक़े को अख़्तियार करें यह कोशिश हमारी है

श्री अचिंत राम : ज़रा उस एनफ़्लुएंस का ज़िक्र कर दें जोकि आप उन पर डाल रहे हैं ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : ताकि जो हमारा असर होता हो वह भी खत्म हो जाय । इस का नतीजा इस के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता कि अगर मैं कोई तरक़ीब कर रहा हूं या कोई असर डाल रहा हूं और अगर मैं उस को एक्सपोज़ करता चला जाऊं और दुनिया को हक़ीक़त मालूम हो जाय तो उस हालत में मेरी वह कोशिश और एनफ्लुएंस बेकार हो जायगा ।

श्री अचित राम : कैसी खुफ़िया बात है। खुफ़िया बात को रहने दीजिये जो बेखुफ़िया बात हो उस को बता दीजिये।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : बात यह है कि सन् १९४७ से अब तक कुछ वक्त एग्रीमेंट्स के होने में और उस के बाद कुछ वक्त वर्ल्ड बैंक से गुफ्तगू होने में गुज़रा और गुज़र रहा है लेकिन उसी के साथ इतनी बात ज़रूर है कि जहां तक वाटर सप्लाई का ताल्लुक़ है यह खुद उसी प्वाएंट पर नहीं है जहां पर कि सन् १९४७ में थी। सप्लाई के ऐतबार से वह आगे बढ़ गई है और जितनी वाटर की सप्लाई आप को आज पाकिस्तान को देनी है उस से ज्यादा देनी नहीं होगी और वह बराबर घटती जा रही है। यह मैं इसलिये अर्ज़ कर रहा हूं कि यह चीज़ बिल्कुल ऐसी नहीं है कि उस से हम बिल-कुल मायूस हो जायें। जहां तक किसी फ़ैसले के मामले का ताल्लुक़ है उस मामले की निस्बत जो कुछ मैंने यहां तक़रीरों में सुना उस से भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस हाउस के मुअज्ज़िज़ मेम्बरों की राय यह है कि जितना भी मुमकिन हो इस मामले को बाहमी समझौते से तय किया जाय। यह मेम्बरान तसलीम करेंगे कि गवर्नमेंट इस बात की बराबर कोशिश करती रही है कि किसी तरीके से यह मामला हल हो जाये। लेकिन मैं और मेरे छोटे भाई जिस के कि मेरे साथ आपस के ताल्लुक़ात हैं, अगर उन में किसी क़िस्म का खुदा न ख़ास्ता एख़्तलाफ़ हो और मैं उस को राहरास्त पर लाना चाहूं और वह राहरास्त पर न आये तो क्या मैं सीना तान कर और तलवार ले कर उस के मुक़ाबले में खड़ा हो जाऊंगा? यह ज़रूर है कि गवर्नमेंट इस मामले में ग़ाफ़िल नहीं रही है और उस की अब भी कोशिश है कि किसी तरह यह मामला शान्ति और आपसी बातचीत से तय हो जाय और वह छोटा भाई ठीक एटीच्यूड अख्तियार कर के सही रास्ते पर आ जाय।

एक बात यह इरशाद फ़रमाई गई कि गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि हम १९६२ तक इंतिजार करते हैं। इस के मानी साफ हैं कि हम को तो अपनी लिमिट बता देनी है और जो तकरीरें हुई उन से मेरे नजदीक यही नतीजा निकलता है कि गवर्नमेंट को यह ऐटीट्यूड ले लेनी चाहिये थी जोकि उस ने अब ली है। हम ने अब दुनिया के सामने अपनी यह लिमिट रख दी है और बतला दिया है कि हमारी सब्र की इन्तिहा का यह मुकाम है। हम ने यह बतला दिया है कि जो कुछ करना हो इस अरसे में कर लो।

श्री अ० मु० तारिक : (जम्मू तथा काश्मीर): लेकिन हमारे सब्र का पैमाना तो कभी लबरेज़ ही नहीं होता।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं अर्ज़ करूं कि जो आला ख़याल लोग होते हैं उन का सब्र का प्याला कभी लबरेज़ नहीं होता।

जहां तक बैंक के इंटरवेंशन का ताल्लुक है उस के निस्बत शायद मुझ को कुछ कहने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन अभी एक बात कही गई उस की बिना पर मुझ को उस के बारे में कुछ कहना पड़ रहा है। बैंक वालों को न पाकिस्तान ने इनवाइट किया और न हिन्दुस्तान वालों ने इनवाइट किया, बल्कि अभी यह बात चर्चा में आई है कि एक साहब ने, जोकि अमरीका के थे, अपना एक मजमून किसी रिसाले में छपवाया जिस में उन्हों ने कहा कि यहां हिन्दुस्तान में और एशिया के इस हिस्से में एक नया कोरिया बन रहा है। उस कोरिया के किस्से को पढ़ने के बाद वर्ल्ड बैंक ने खुद पूछा कि क्या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान इस के लिये तैयार हैं कि उन से कोई बात इस मामले को तै करने की की जाय तो वह उस को सुनें। इस पर पाकिस्तान ने भी बताया कि हम तैयार हैं और यही जवाब हिन्दुस्तान ने भी दिया। इस पर बैंक ने इस मामले को टेक अप किया और उन्हों ने उसे अभी भी टेक अप कर रखा है, और आप को अखबारों से यह भी मालूम हुआ होगा कि उन को इस मामले में कुछ

डिसएपाइंटमेंट भी हुआ, लेकिन बावजूद उस डिसएपाइंटमेंट के वे उस मामले के धागे को बराबर जारी रखे हुए हैं और उस को छोड़ नहीं रहे हैं और वह कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक मुमकिन हो इस मामले का फैसला आपस के तस्फिये से हो जाये । चुनांचे मैं ने उस रोज अर्ज़ किया था कि जो प्लान पाकिस्तान ने इस वक्त बना कर उन को दिया है वह हम को दिया गया है ताकि हम उस को एग्ज़ामिन करें । उस के बाद जो मीटिंग्स वगैरह होने वाली हैं उन में मैं ने यह तवक्को जाहिर की है कि शायद कुछ फैसला हो जाये ।

एक बात और है । पाकिस्तान को रुपया देने की बात कही गई । उस के मुताल्लिक मुझे यह अर्ज़ करना है कि इस मामले में अभी तक हिन्दुस्तान का कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम को आया रुपया देना है या नहीं और अगर देना है तो कितना देना है । किसी रकम का कमिटमेंट हिन्दुस्तान की तरफ से नहीं हुआ है और अभी उस का मौका भी नहीं आया है कि हम से यह कहा गया हो कि हम को इस मामले में आखिरी तौर पर क्या तै करना है । रुपया तो वह होगा जो पाकिस्तान को उन नहरों के लिये चाहिये कि जो वह उस पानी को छोड़ने के लिये बनायेगा जोकि वह अभी हिन्दुस्तान से ले रहा है । इस के मुताल्लिक यह कहा जाता है कि प्रिंसिपल यह है कि अगर हिन्दुस्तान पाकिस्तान से वह पानी छुड़ाना चाहता है तो वह उस खर्च को अदा करे जो उतना पानी पैदा करने के वास्ते उन को करना पड़ेगा । यह एक बात कही जाती है । इस उसूल को दुनिया के लोग भी मान रहे हैं और यहां भी उस को माना जाता है, तो उस के मुताबिक शायद हम को भी कुछ तै करना हो लेकिन उस रकम के मुताबिक अभी तक कुछ तै नहीं किया गया है ।

अब एक बात और मैं जनाबवाला की खिदमत में अर्ज़ करूंगा । वह यह कि जो तकरीरें कुछ साहिबान मुख्तलिफ जगहों पर करते हैं उन को सुन कर अगर हम अपनी तबीयतों के ऊपर असर ला कर अपनी राय कायम करें तो मेरे खयाल में कोई इस को सही नहीं मानेगा । यह भी कोई तरीका है कि मसलन दौलाताना साहब ने कुछ इरशाद फरमाया, या किसी और साहब ने कुछ इरशाद फरमाया, और उन के उस फरमाने की बिना पर हम अपनी तबीयत में असर ले कर के अपने उस तरीके को जो तरीका कि हम ने इस वक्त तक इस मामले को फैसल करने का अख्तियार कर रखा है छोड़ दें, और उस के बजाये कोई दूसरा तरीका अख्तियार कर लें ।

और एक बात मैं अर्ज़ करूं कि जितनी बातें यहां कही गयीं उन के बारे में कहा गया कि ये शिकायतें हैं । लेकिन मेरे सामने कोई कांस्ट्रक्टिव प्रोपोज़ल नहीं आया कि हम इस मामले में और क्या तरीका अख्तियार करें । आम तौर पर यह कहा गया कि साहब पानी बन्द कर दो । इस के अलावा और कोई तरीका किसी के पास नहीं है । अगर कोई तरीका है तो वह पानी के बन्द करने का है । पानी को बन्द करें या न करें यह तो हम देख ही रहे हैं । लेकिन अगर इस के सिवा कोई दूसरा तरीका किसी के खयाल में था तो वह हमारे सामने नहीं आया । न किसी ने यह कहा कि हम इस मामले में क्या पालिसी अख्तियार करें ।

एक बात डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड पेमेन्ट्स के बारे में कही गई । इस के मुताल्लिक मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । डिस्प्यूटेड क्या है । जो बारी दुआब कैनाल है उस के बारे में यह ठहरा हुआ है कि पाकिस्तान उस की जो बुक वेल्यू या कैपीटल वैल्यू (मूल मूल्य) है उस पर इंटेरेस्ट अदा करे और मेनटिनेन्स कास्ट अदा करे । जहां तक कैपीटल वैल्यू का ताल्लुक है उस के बारे में यह डिस्प्यूट है कि उस की कितनी कीमत लगाई जाये । इस नहर को बने हुए सौ बरस हो गये । उस वक्त आज के मुकाबले में बहुत कम खर्चा हुआ होगा । जो नहरें कि ५०, ६०, ७० या ८० साल पहले बनाई गई हैं उन नहरों को इस नहर से मुकाबला किया जाय तो वह नहीं चलेगा । हमारी तरफ से

यह बात कही गई कि बारी दुआब कैनाल की कीमत बुक वैल्यू का चौगुना मानी जाये। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं दुगना मानी जाये। यह डिस्प्यूट है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : १९५० तक जो वह बैंक में रुपया जमा करते रहे वह किस बेसिस पर जमा करते रहे।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : वह डिपाज़िट यों हुआ। वह किसी बेसिस पर नहीं था। वह तो यह तै हुआ था कि एक फिक्स्ड एमाउंट जो हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बतला देंगे वह रिजर्व बैंक में जमा कर दिया जायेगा। लिहाजा वह एमाउंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया वह १९५० तक जमा किया गया। वह किसी खास बेसिस पर नहीं दिया गया। मगर उस में दो चीज़ें डिस्प्यूटिड हैं। एक प्वायंट तो यह डिस्प्यूटिड है कि सीनियरेज लिया जाय या नहीं। सीनियरेज क्या है, उस की मिसाल मैं आप को दूं। भागलपुर स्टेट में नहर निकली, उस से जो पानी वे लेते थे, उस के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट सीनियरेज लेती थी। जैसे और स्टेट्स थीं, जोकि अब खत्म हो गई हैं, से वैही यह भी स्टेट थी। हम ने कहा कि उस के ऊपर सीनियरेज मिलना चाहिये। वह उस को डिस्प्यूट करते हैं। ये दो प्वाइंट्स डिस्प्यूटिड हैं—एक तो सीनियरेज के मुताल्लिक और दूसरा अप्पर बारी दुआब कैनाल के मुताल्लिक।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : कभी कभी ऐसा लगता है कि सभा में न हो कर मंत्री महाशय और श्री अचिंत राम के बीच पेड़ के नीचे बहस हो रही है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मुझ को तो चेयर के सामने बोलने की वाकफ़ियत है। मैं इस वक्त यूं नहीं बोल रहा हूं कि मैंने कहीं और, बदकिस्मती से कहिए या खुश-किस्मती से, यह देखा नहीं है कि इस तरीके से लोग अपनी तरफ को मुतवज्जह करें। मुझ को कहीं कोई आवाज़ देगा, तो नैचरली मेरा ख्याल और दिमाग़ उस तरफ़ जायगा और बग़ैर मेरे उस तरफ़ फिरे मेरा चेहरा उस तरफ़ को फिर जाता है, लेकिन यह बग़ैर इन्टेन्शन के होता है—अन-इन्टेन्शनली होता है। चूंकि मुझे इससे पहले कभी इस तरह का इत्तिफ़ाक नहीं हुआ, इस लिए मैं उस तरफ़ खिंच गया हूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने आप को ट्रेन कर लूंगा कि बावजूद इधर उधर की कोशिश के चेयर की ही तरफ़ देखूं।

जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, मैं मेम्बरान का बहुत मशकूर हूं। उन्होंने हम को—गवर्नमेंट को—बहुत सबक दिया है, बहुत अच्छा मशविरा (परामर्श) दिया है। हम चाहते हैं कि खुदा उनके मश्विरे पर अमल करने की हम को तौफ़ीक दे और हम यह भी चाहते हैं कि हमारे भाई पाकिस्तान से जिस तरीके से भी हो, एक मुनासिब और उमदा फ़ैसला हो जाय और यह सब किस्सा खत्म हो जाय।

सरदार इकबाल सिंह : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनकी लिंक चैनल—सुलेमानकी बल्लोकी लिंक चैनल और वख्नवाला बादियां लिंग चैनल—बन चुकी हैं, जहां से वे अप्पर बारी दोआब के पानी की कमी अपने ढंग से पूरी कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर क्या वजह है कि सरदियों में फ़ीरोज़पुर हैडवर्क्स से इस्लाम, पंचनद और सुलेमान की लिंक के लिए पानी दिया जाता है, जबकि हमारी नहरों में उतने दिन, या कुछ दिन के लिए बन्दियां रहती हैं।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम: मैंने यह अर्ज़ किया था कि अब जो हम पाकिस्तान को पानी देते हैं, वह उस पानी को काट कर देते हैं, जो कि उन के यहां अपनी नहरों के ज़रिये से उनको मिलने लगा है और मिल सकता है।

इस के पश्चात लोक सभा शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ४ सितम्बर, १९५८]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२२३५—६०
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९५	दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	२२३५-३६
८९८	भारत-पाक सीमा का सीमांकन	२२३६—३८
८९९	बिहार में प्रचण्ड-विस्फोटकों का कारखाना	२२३८-३९
९००	लोकमान्य तिलक का स्मारक	२२३९-४०
९०१	मैसर्स हुगली डॉकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, सल्किया	२२४०-४१
९०३	नाहन फाउण्ड्री (प्राइवेट) लिमिटेड	२२४१-४२
९०५	भारत का राज्य-व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	२२४२-४३
९०७	दर्शन-यंत्रों के शीशे	२२४३-४४
९०८	बाटों तथा मापों की दाशमिक प्रणाली	२२४४—४६
९११	केबल फैक्टरी, त्रिचूर	२२४७
९१४	काम दिलाऊ दफ्तरों को रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में सूचना दिया जाना	२२४८
९१५	भारतीय राज्य-क्षेत्र का चीन के अधीन दिखाया जाना	२२४८—५०
९१६	तम्बाकू और सिगरेटों का आयात	२२५०-५१
९१७	उत्पादिता दल	२२५२-५३
९१८	मद्य सार (पावर अल्कोहल)	२२५३-५४
९२०	जूता निर्माण सम्बन्धी प्रतिमान	२२५४-५५
९२१	काफी का उत्पादन और बिक्री	२२५५—५७
९२२	ऊनी कपड़े का निर्यात	२२५७
९२६	उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड	२२५७—६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२२६०—६८
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९४	सूती कपड़े का निर्यात	२२६०
८९६	भारी मशीनी औजार का कारखाना	२२६०
८९७	गैर-कानूनी वायदा व्यापार	२२६१
९०२	राष्ट्रपति की जापान यात्रा	२२६१
९०४	वस्त्र परामर्शदाता बोर्ड	२२६१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९०६	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	२२६१–६२
९०९	भारतीय मोटर कारों का निर्यात	२२६२
९१२	इंजीनियरी के बेकार स्नातक	२२६२
९१३	अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सम्पत्ति में अधिकार	२२६२–६३
९१९	कांच के नगों का आयात	२२६३
९२३	कलकत्ता में पत्तन श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश	२२६४
९२४	रेमोमेगासाइसाइ पुरस्कार	२२६४
९२५	पाकिस्तान में पावन स्थान	२२६४–६५
९२७	सिगारों के लिये लपेटी जाने वाली तम्बाकू	२२६५–६६
९२८	दिल्ली विश्वविद्यालय में रोज़गार ब्यूरो	२२६६
९२९	औषधियों का निर्यात	२२६६
९३०	साबुन उद्योग	२२६६–६७
९३१	हिन्दुस्तान एण्टी बायटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	२२६७
९३२	विस्थापित व्यक्तियों के लिये बेतिया कैम्प	२२६७
९३३	कच्ची फिल्मों का वितरण	२२६७–६८
९३४	सांख्यकीय गुण नियंत्रण	२२६८
९३५	बेरूत में भारतीय वाणिज्य दूतावास के निकट बम विस्फोट	२२६८
९३६	भविष्य निधि की बकाया राशि	२२६९
९३७	आसाम में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन	२२६९
९३८	हसनाबाद में भारतीयों की गिरफ्तारी	२२६९–७०
९३९	भारत-पाकिस्तान पुलिस अधिकारियो की बैठक	२२७०
९४१	भेड़ों और बकरियों का निर्यात	२२७०
९४२	मोटर और पुर्जों का आयात	२२७१
९४३	तापसह ईंटों का उत्पादन	२२७१
९४४	विभाजन से उत्पन्न विषयों का हल	२२७२
९४५	प्लास्टिक रेज़िन और मध्यवर्ती पदार्थ	२२७२
९४६	छोटे जहाजों का निर्माण	२२७२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४६१	विस्थापित व्यक्तियों के लिये प्रतिकर	२२७२–७३
१४६२	नमक का निर्यात	२२७३
१४६३	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	२२७३
१४६४	टेकनीकल संस्थायें	२२७३–७४
१४६५	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	२२७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४६६	बम्बई में हथकरघे	२२७५
१४६७	बम्बई में रेशमकीट पालन उद्योग का विकास	२२७५
१४६८	आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग	२२७५–७६
१४६९	राजस्थान में दस्तकारी का प्रशिक्षण	२२७७
१४७०	राजस्थान में खादी का उत्पादन	२२७७
१४७१	राजस्थान में बुनकरों की सहकारी संस्थायें	२२७७
१४७२	राजस्थान में हथकरघा	२२७७–७८
१४७३	राजस्थान में पंजीबद्ध समवाय	२२७८
१४७४	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान	२२७८
१४७५	काम दिलाऊ दफ्तर	२२७८
१४७६	पंजाब में केन्द्रीय योजनायें	२२७९
१४७७	लघु उद्योग बोर्ड	२२७९
१४७८	बेरोजगारी का सर्वेक्षण	२२७९–८०
१४७९	कांडला में अबाध व्यापार बन्दरगाह	२२८०
१४८०	रेडियो धर्मिता	२२८०
१४८१	श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर सम्बंधी प्रलेखीय चित्र	२२८१
१४८२	दण्डकारण्य योजना	२२८१
१४८३	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	२२८१
१४८४	काम दिलाऊ दफ्तर	२२८२
१४८५	स्वास्थ्य बीमा निगम	२२८२–८३
१४८६	राज्यों को सहायता	२२८३
१४८७	वेलोनया की शरणार्थी बस्तियां	२२८३
१४८८	पान की काश्त	२२८४
१४८९	पश्चिमी पाकिस्तान से आये लोग	२२८४
१४९०	दिल्ली में सरकारी इमारतों के किराये की बकाया राशि	२२८४–८५
१४९१	भारत सेवक समाज	२२८५
१४९२	विदेशी प्रतिनिधिमण्डल	२२८६
१४९३	हथकरघों का पंजीयन	२२८६
१४९४	भारतीय पदाधिकारी का पाकितान से वापस बुलाया जाना	२२८६–८७
१४९५	तिलहन, चाय और जूट का निर्यात	२२८७
१४९६	चाय का उत्पादन	२२८७
१४९७	उड़ीसा राज्य का सीमेण्ट का कोटा	२२८७
१४९८	मनीपुर में नागा विद्रोही	२२८७
१४९९	सरकारी क्वाटरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोग	२२८८
१५००	आयात लाइसेंस सम्बन्धी नीति	२२८८
१५०१	पंजाब में सूत कातने की मिल	२२८८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५०२	अमेरिका को चाय का निर्यात	२२८९
१५०३	आंध्र प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना	२२८९
१५०४	पाकिस्तान जाने वाले तीर्थ यात्री	२२८९
१५०५	वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण का अन्तर्राष्ट्रीय आयोग	२२८९–९०
१५०६	मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना	२२९०
१५०७	कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों का केन्द्रीय बोर्ड	२२९०
१५०८	सिन्दरी में भारी पानी का उत्पादन	२२९०
१५०९	अफगानिस्तान से मेवों का आयात	२२९०–९१
१५१०	रोक लगाये गये चलचित्र	२२९१–९२
१५११	फरीदाबाद विकास निगम	२२९३
१५१२	जालंधर सूचना केन्द्र	२२९३
१५१४	सूती मिलों का बन्द होना	२२९३–९४
१५१५	स्थानीय विकास निर्माण कार्य	२२९४
१५१६	नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये मशीनें	२२९४
१५१७	सीमा विवाद	२२९५
१५१८	सीमा दुर्घटनायें	२२९५
१५१९	हिमाचल प्रदेश में अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना	२२९५–९६
१५२०	पंजाब की राज्य योजना	२२९६
१५२१	कानपुर टैक्सटाइल मिल्स	२२९६
१५२२	पंजाब के लिये उत्पादित परिषद्	२२९६
१५२३	सूत कातने की मिलें	२२९७
१५२४	जीजीभाई समिति	२२९७
१५२५	अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र	२२९७–९८
१५२६	पाकिस्तान जाने के लिये पारपत्र	२२९८
१५२८	स्थायी श्रम समिति	२२९८

स्थगन प्रस्ताव २२९८–२३०३

अध्यक्ष ने केरल में कथित राजनैतिक हत्याओं तथा सुरक्षा के अभाव की स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री अशोक मेहता और यादव नारायण जाधव ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्रः— . . . २३०३–०४

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये —

(१) संगठन तथा रीति विभाग के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन (१९५७-५८) की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)

(२) निम्न पत्रों की एक-एक प्रति :--

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत, लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन—प्रतिरक्षा सेवायें, १९५७ ।

(दो) प्रतिरक्षा सेवाओं के वर्ष १९५५–५६ के विनियोग लेखे और उनका वाणिज्यिक अनुबन्ध ।

(३) ऐसे मामलों के विवरण की एक प्रति जिनमें इंडिया स्टोर विभाग, लन्दन ने ३० जून, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही में निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये ।

(४) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६९९ आर—अमैंडमेंट २५ की एक प्रति ।

विधेयक पारित २३०४–०९

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . २३१०—२१

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) ने सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

भारत पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में चर्चा . . २३२१–४१

श्री रघुनाथ सिंह ने भारत पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में चर्चा उठायी । सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि--

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा तथा श्री रघुबीर सहाय द्वारा २२ अगस्त, १९५८ को प्रस्तुत दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ तथा ५६२ का संशोधन) पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर भी विचार ।